खण्ड-285, अंक-3
शुक्रवार, 5 आषाढ़, शक संवत् 1892
(26 जून, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 285 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२६१–२६५
मंत्रि मण्डल के सदस्यों की सदन में अनुपस्थिति पर आपत्ति	२६५–२६६
प्रश्नोत्तर	२६६–३००
टाइम्स आफ इंडिया और नव भारत टाइम्स को विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विधान सभा तथा विधान परिषद् में भिन्न उत्तर देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	३००–३०४
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र १९७०-७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	३०४
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	३०४
उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक की प्रति सदन में जलाने के सम्बन्ध में श्री श्यामलाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय रिजर्व)	३०४–३१६
११ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	३१६–३१७
व्यवस्था का प्रश्न	३१७
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० (प्रस्ताव कि विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय—स्वीकृत)	३१८–३४६
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	३४६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	३४६–३५५
रामनगर बाजार में विषाक्त भोजन से दो व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	३५५–३५६
श्री केदारनाथ अग्रवाल उप-निदेशक पोलिटेक्निक लखनऊ की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	३५६–३६०
लखियां	३६१–३७५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार २६ जून १९७० ई०

विधान सभा की बठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३६६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमा शंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविंद सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनरायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहरवार एडवोकेट, श्री

फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदर्नसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महौलाल श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मोहम्मद नवी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल वेहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
रामकुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख , श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल' , श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पांडेय, श्री
राम शिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना , श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख , श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप , श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा , श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
बिक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्व नाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भू नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिंडारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन , श्री
शिव महेन्द्र सिंह कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर , डाक्टर
श्याल लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र , श्री
सत्तार अहमद, श्री

सन्त राम, श्री
सन्त्, श्री
सरदार सिंह, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह बिष्ट, श्री
हलीमुदीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे।

मंत्रिमण्डल के सस्दयों के सदन में अनुपस्थिति पर आपत्ति

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल इस सदन के प्रति कितना लापरवाह है। आप देखेंगे कि सारी ट्रेजरी बेंचेज खाली हैं बजट पास होने के बाद कोई भी ध्यान सरकार का इस सदन को चलाने की तरफ नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

वह तो सेन्ट्रल में ही वैसे ही खाली हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को स्थगित करने वाला तो नहीं हूं, लेकिन आपकी व्यवस्था उचित ही है। मंत्रियों को यहां रहना चाहिए।

एक सदस्य—

यह लोग दिनेशसिंह के इस्तीफा दे दिए जाने के कारण बहुत परेशान हैं, दौड़ धूप में लगे हैं, इसलिए सदन चलाना तो ठीक नहीं है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मुख्य मंत्री जो जब इस सदन के प्रति अपने कर्त्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो सेशन के बाद जनता की तरफ क्या ध्यान देते होंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक मंत्री तो इस समय मौजूद हैं। लेकिन मैं उचित समझूंगा कि प्रश्नों के समय में मंत्रियों को सदैव यहां उपस्थित रहना चाहिए। यह उचित ही है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, यह लोग आपकी सौजन्यता का लाभ उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

बराबर इस सदन की और हमारी उपेक्षा इस सरकार द्वारा होती रही है। इतना ही नहीं कि मंत्रिगण नहीं आते बल्कि जो उत्तर दिए जाते हैं, वे भी बचने के लिए—अधूरे और अस्पष्ट, गोल उत्तर दिए जाते हैं। मुझे कहीं श्रीमन्, विवश होकर आपके इस नियम के निलम्बन की बात न करनी पड़े कि पब्लिक पालिसी के नाम का जो सहारा लिया जाता है···

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम समिति की बैठक बुला लूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

ठीक है। चौधरी चरण सिंह की सरकार रही तो यह करना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

(मना करने पर भी श्री जगदम्बा प्रसाद द्वारा बोलने का प्रयत्न करने पर)।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरों को प्रश्न करने नहीं देते हैं और आप स्वयं लिखित प्रश्न नहीं भेजते हैं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ जून, १९७०

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

महर्षि दधीच विद्यालय, मिश्रिख, जिला सीतापुर के प्रधानाचार्य द्वारा परीक्षा उत्तर पुस्तकों की बिक्री

*१—श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि महर्षि दधीच विद्यालय, मिश्रिख, जिला सीतापुर के प्रधानाचार्य द्वारा हाई स्कूल परीक्षा की सादी परीक्षा उत्तर पुस्तकें बेंची गईं और क्या इस प्रकार की उत्तर पुस्तकें सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रैल, मई, १९७० माह में प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर की मोहर है? यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा मूल प्रश्न का उत्तर 'सूचना एकत्र की जा रही है' देने पर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

देखिए रोज का ही यह रवैया है, आज तक प्रश्नों पर केवल सूचना एकत्र हो रही है, आगे कब एकत्र होगी ?

श्री अवधेश कुमार—

अध्यक्ष महोदय, आप जरा देखने का कष्ट करें, इसमें कौन सी ऐसी चीज है, जिस पर सूचना एकत्र की जा रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

सूचना एकत्र तो करनी ही थी ।. अब थोड़ी सूचना इस बीच आ भी गई है । यदि माननीय सदस्य सप्लीमेंटरी प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगी । पूरी सूचना तो नहीं आ सकी है, लेकिन जितनी आई है, उतनी दे दूंगी ।

श्री अध्यक्ष—

जितनी सूचना आई है, उसे आप देने के लिए तैयार हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

सप्लीमेंटरी प्रश्न करेंगे तो मेरे पास होगी तो दे दूंगी ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

पहले जितनी है, वह देने की कृपा करें ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

प्रधानाचार्य महर्षि दधीच इण्टर कालेज, मिश्रिख से जानकारी प्राप्त करने पर पता लगा कि उनके केन्द्र पर हाई स्कूल परीक्षा की कुल उत्तर पुस्तकें ५,७०० "अ" कापी तथा १,००० "ब" कापी प्राप्त हुई जिसमें से ५,४६७ "अ" कापी तथा २०२ "ब" कापी काम में लायी गयीं और शेष बची हुई उत्तर प्रस्तकें २०३ "अ" तथा ७६८ "ब" उनके पास वापस करने के लिए सुरक्षित हैं उनके द्वारा न तो कोई सादी उत्तर पुस्तकें बेची गयीं और न गायब ही हैं ।

हो सकता है कि पिछले वर्षों की कोई सादी कापी हो, उसकी सूचना मंगा कर दें इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस रूप में दिया गया ।

श्री अवधेश कुमार—

मेरे प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्च, अप्रैल, मई में कोई कापियां रजिस्टर्ड आपके सचिव इलाहाबाद बोर्ड के पास भेजी गयी हैं उनके सम्बन्ध में बता दें कि कितनी कापियां उनको मिली हैं, कितनी नहीं मिली हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

सचिव के पास से ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि ऐसी कोई कापी मिली है ।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मैं पहले निवेदन करूंगा कि मुझे मंत्री जी ने केवल यह जवाब दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । जो आचार्य जी के प्रश्न पर बताया वह मुझे लिखित मिला नहीं है । उस पर

क्या सप्लीमेंटरी कर सकता हूं ? लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगा कि जो कापियां मिश्रिख कालेज से खाली गयी हैं उनकी कितनी गिनती है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

इसमें लिखा है २०३ 'अ' और ७९८ 'ब' कापियां उनके पास वापस करने के लिए सुरक्षित हैं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् से कोई सूचना मांगी है, यदि हां तो कौन सी तारीख को पत्र लिखा गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

माननीय सदस्य के प्रश्न करने के बाद सचिव महोदय से सूचना मांगी गयी है । अभी तक कोई निश्चित् जवाब आया नहीं है ।

श्री दीप नारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी इस बात का भी पता लगायेंगे कि जब माध्यमिक शिक्षा परिषद् कापियों को गिन कर भेजता है, और गिन कर वापस लेता है तो बाजार में कापियां किस आधार पर बिक रही हैं, इस सेंटर की हैं या माध्यमिक शिक्षा परिषद् से सीधे चुरा ली गयी हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

जो सूचना आयी है उसके अनुसार इस वर्ष गिनती 'अ' और 'ब' की सब पूरी है । प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने कहा कि मेरी तरफ से यह इनक्वायरी की गयी है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पिछले वर्षों की कोई सादी कापी हो इसकी भी जानकारी कर ली जाय, सचिव के पास से निश्चित् जवाब नहीं आया है । इस वजह से मैंने सूचना एकत्र कराने को कहा था । बाकी आप प्रश्न कर ही सकते हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इसको मुल्तवी कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मुल्तवी तो है ही । १५ दिन के बाद फिर आयेगा ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री ने पहले उत्तर में कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है । माननीय मंत्री के पास वह परचा था । उनको पता था कि कुछ सूचना मिली है । उन्होंने क्यों गलत बयानी की जब सूचना मिली थी वह पहले बता देतीं उन्होंने बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है जब कि उनके पास वह परचा था । उस परचे के रहते हुए उन्होंने गलत बयानी की ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने सफाई के साथ कह दिया कि इतनी सूचना आयी है । पूरी सूचना न आने की वजह से मैंने यह उत्तर दे दिया । उस उत्तर में कोई खामी नहीं है १५ रोज के बाद फिर आयेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस प्रकार की अनियमिततायें इस प्रदेश के अन्दर शिक्षा परिषद् द्वारा हो रही हैं क्या इस बात की व्यवस्था करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अभी तो यही बात विवादग्रस्त है कि वास्तव में ऐसी कोई कापी देखी गयी या नहीं देखी गयी । बोर्ड के कापियों के लेखे जोखे के संबंध में बहुत ही निश्चित नियम बने हुये हैं एक-एक कापी गिनने तथा लौटाने के लिये, लेकिन अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो निश्चित रूप से उस पर ऐक्शन लिया जायगा ।

श्री अवधेश कुमार—

उत्तर में कहा गया है कि सूचना मांगी जा रही है तो यह सूचना कब तक आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

१५ रोज में फिर यह सवाल एजेंडे पर आ जायगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जौनपुर तथा प्रतापगढ़ जिलों के विद्यालयों में प्रशासन योजना का लागू न होना

*१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर प्रतापगढ़ जनपदों के अन्तर्गत कितने और किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रशासनिक योजना अभी तक नहीं है ? ऐसे विद्यालयों के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

जौनपुर तथा प्रतापगढ़ जनपदों के निम्न विद्यालयों में प्रशासन योजना अभी तक नहीं है:—

जौनपुर—

१—राजा श्री कृष्णदत्त इंटर कालेज, जौनपुर ।

२—राष्ट्रीय इंटर कालेज, सुजानगंज, जौनपुर ।

३—हिन्दू इंटर कालेज, मुगरा बदशाहपुर, जौनपुर ।

४—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछलीशहर, जौनपुर ।

प्रतापगढ़—

१—पी०वी० इंटर कालेज, एवं

२—ए० एस० हाई स्कूल, प्रतापगढ़ ।

इन विद्यालयों की प्रशासन योजना स्वीकृत कराने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उत्तर में वर्णित विद्यालयों में प्रशासन योजना के लागू न होने के कारण क्या हैं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अलग-अलग विद्यालयों में अलग-अलग कारण हैं । राजा कृष्ण दत्त इंटर कालेज, जौनपुर में जो योजना बनाई गयी वह २१-१२-६८ को कुछ सुझावों के साथ विद्यालय को लौटा दी गयी क्योंकि वह जनतांत्रिक नहीं थी । उसके बाद अभी तक उसका जवाब नहीं आया ।

इस पर फिर उनको याद दिलाई गयी । लिहाजा अभी उनका अनुदान निलम्बित कर दिया गया है और माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती है वह की जा रही है ।

दूसरा राष्ट्रीय इंटर कालेज, सुजानगंज जौनपुर है । जिस प्रकार योजना बनानी चाहिये वह नहीं बनाई गयी लिहाजा उसे भी लौटा दिया गया । इसकी प्रबन्ध समिति में झगड़ा है और यह मामला कोर्ट में है । वह अभी तक बन नहीं पाई है बार-बार उनको याद दिलाया जा रहा है ।

तीसरा हिन्दू इंटर कालेज, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर है । इसका मामला न्यायालय में है और उस पर निर्णय नहीं हुआ है । इस वर्ष मार्च में उनके हस्ताक्षर हुये हैं इस प्रशासन योजना के ऊपर परन्तु उनके कार्यालय में वह प्राप्त नहीं हुयी थी ।

चौथे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मछलीशहर में भी मामला विवादग्रस्त है प्रबन्ध समिति में और एक नियंत्रक वहां नियुक्त किये गये हैं । इन कारणों से देरी हुई क्योंकि प्रशासन योजना वहां पर अनुमोदित नहीं हुई है। वहां के विद्यालय निरीक्षक जो हैं उनसे कहा गया है कि वह जल्दी से इसको करा दें ।

श्री रामदेव—

क्या हिन्दू इंटर कालेज मुगरा बादशाहपुर में यह प्रशासन योजना इसलिये लागू नहीं हो सकी कि वहां के नये मैनेजर श्री जमुना प्रसाद गुप्त उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं ? इसके लिये मंत्री जी कुछ कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

यह सही है कि अभी तक इस पर प्रबन्धक के हस्ताक्षर नहीं हुये हैं इसी वजह से विद्यालय का अनुदान निलम्बित कर दिया गया है। विद्यालय निरीक्षक की तरफ से बार-बार जोर डाला जा रहा है कि वह हस्ताक्षर करके भेजें । नियम के अन्तर्गत हम यही कर सकते हैं। पहले अनुदान निलम्बित किया है । उसके अतिरिक्त भी कार्यवाही की जायगी अगर वह हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में प्रबन्धक लोगों ने इस प्रकार की समितियां नहीं बनाई हैं और वे बराबर अनुदान लेकर धन का दुरुपयोग करते हैं तो क्या सरकार कोई ऐसा उच्च आयोग नियुक्त करेगी कि जो सारे प्रदेश के विद्यालयों में जाकर देखे कि आया प्रबन्धकों ने इस योजना को अपने यहां लागू किया है या नहीं और उस पर अमल भी वह कर रहे हैं या नहीं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है वह सही है । जिन विद्यालयों ने अभी तक प्रशासनिक योजना को नहीं माना है उसमें अब अधिक देरी न हो, इसके लिये विभाग को आदेश दे दिये जायेंगे ।

श्री रामदेव—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि हिन्दू इंटर कालेज बादशाहपुर के जो मैनेजर साहब हैं और जिनका नाम मैंने अभी जमुना प्रसाद जी गुप्त बतलाया जहां कि इस समय दलबन्दी हो गई है और उनकी प्रबन्ध समिति नहीं रह गई है । इस कारण से दलबन्दी होने की वजह से वहां के मैनेजर प्रशासन योजना पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और जिसका परिणाम यह हो रहा है कि विद्यालय कठिनाइयों में चल रहा है और उसका अनुदान निरस्त है । सरकार इसके लिये क्या उपाय सोच रही है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

उनसे कहा जा रहा है किन्तु यदि वे नहीं मानेंगे तो हम अपनी तरफ से प्रबन्ध करायेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि ऐसे विद्यालयों को जहां पर प्रबन्ध समिति में कोई झगड़ा नहीं है वहां भी प्रशासन योजनायें कई महीने पूर्व भेज दी गई थीं किन्तु वे विद्यालय अभी तक अनुमोदित नहीं हुये हैं जिसके परिणामस्वरूप उन विद्यालयों को नान-रिकरिंग ग्रांट नहीं मिल रही है तो क्या उनके पास कोई ऐसी सूचना है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

सन् १९५८ में यह योजना लागू हुई थी जिन्होंने लागू नहीं किया था उन्हें यह योजना अब भेजी गई है । यह बात उचित नहीं है कि इस वजह से उस विद्यालय के अनुमोदन में देर हुई है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि उसे जल्दी करने की व्यवस्था कर ली जायेगी ।

श्री दीपनारायण मणि—

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सन् १९५८ में इंटरमीडिएट अमेंडमेंट ऐक्ट आया जिसमें दो वर्ष के अन्दर यह प्रशासन योजना लागू हो जानी चाहिये थी । जिन विद्यालयों ने इस योजना को नहीं माना है उनकी सरकारी सहायता और मान्यता वापस लेने की बात थी । १० वर्ष से अधिक का समय हो गया माननीय मंत्री जी ने केवल जौनपुर और प्रतापगढ़ के ८–१० नाम विद्यालयों के बता दिये । तो क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जो विद्यालय समिति इस योजना को नहीं मानते हैं उनको भंग करके जिला विद्यालय निरीक्षक अपने हाथ में उन्हें ले लें जिससे उनका नुकसान न हो ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपने सुझाव दिया है । आप प्रश्न पूछें ।

श्री दीप नारायण मणि—

श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि जो इस योजना को लागू न करे उसके संबंध म क्या कार्यवाही शासन कर रहा है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अगर शिक्षा के प्रसार में इस सुझाव को मान लिया जाय तो उससे बाधा पड़ेगी । किन्तु जैसा बताया गया है यदि वे इस योजना को नहीं मानेंगे तो उनको ग्रांट नहीं मिलेगी । इस वजह से वे इस योजना को लेने के लिये तयार हो रहे हैं ।

जौनपुर जिले के जमुहाई स्थित राष्ट्रीय इण्टर कालेज में अनियमिततायें

२—श्री जंगबहापुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ३ अप्रैल, सन् १९७० को राष्ट्रीय इंटर कालेज, जमुहाई, जनपद जौनपुर का निरीक्षण उपशिक्षा निदेशक वाराणसी ने किया और उन्हें कालेज के हिसाब में गड़बड़ियां मिलीं जिसके फलस्वरूप उन्होंने पे बिल, स्कालर शिप रजिस्टर, कश बुक तथा प्राविडेंट फंड से संबंधित कागजात अपने कब्जे में लिए ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया था। गड़बड़ियां मिलने के कारण विद्यालय के कुछ अभिलेख उन्होंने अपने कब्जे में लिये थे। विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री जंगबहादुर यादव—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि शिक्षा उप-निदेशक वाराणसी ने उक्त कालेज के निरीक्षण के दौरान कौन-कौन सी गड़बड़ियां पायीं और उन्होंने कौन-कौन से अभिलेख अपने कब्जे में लिये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जांच के उपरान्त काफी गम्भीर शिकायतें वहां पायी गईं और खासतौर से भुगतान आदि तथा आर्थिक अनियमिततायें दृष्टिगोचर हुईं। कैश बुक और वेतन भुगतान पंजिका को देखने से मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। इन सब बातों को देख कर उसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता और इसके लिये विभाग के अनुपालन अनुदान को निलम्बित कर दिया गया और स्पेशल आडिट बिठा दिया गया है जिससे कि वहां की अनियमितताओं की पूरी तरह से जानकारी की जा सके।

श्री जंगबहादुर यादव—

किन-किन अभिलेखों को कब्जे में ले लिया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कैश बुक और वेतन पंजिका आदि चीजों को देखा गया।

श्री जंगबहादुर यादव—

क्या इस प्रकार की गड़बड़ी को देखते हुए मंत्री जी स्पेशल आडिट बिठायेंगे जिससे वहां और गड़बड़ी न हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

स्पेशल आडिट की संस्तुति कर दी गयी है।

श्री कृष्ण कान्त (जिला सीतापुर)—

प्रति वर्ष जो आडिट होता है, उसकी आडिट रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी कोई ऐसा कदम उठायेंगी जिससे आगे और ज्यादा गड़बड़ी न होने पाये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वर्तमान अवस्था में जो भी कदम उठाया जा सकता था, वह उठा लिया गया है।

उप विद्यालय निरीक्षक के स्थानान्तरण हेतु क्षेत्र समिति सलेमपुर जिला देवरिया का तथाकथित प्रस्ताव

*३—श्री रामपति (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, १९७० में क्षेत्र समिति सलेमपुर, जिला देवरिया ने इस आशय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया कि जनहित में भटनी क्षेत्र के प्रति

उप विद्यालय निरीक्षक का स्थानान्तरण अविलम्ब जिले से बाहर कर दिया जाय ? यदि यह सही है, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं ।

मामले की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि क्षेत्र समिति द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया था । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्षेत्र समिति सलेमपुर ने मार्च, १९७० में एक प्रताव सर्वसम्मति से पारित किया था जिसमें उपशिक्षा निदेशक भटनी के लिये लिखा गया था कि उसको जिले से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाय ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

क्षेत्र समिति ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया था लेकिन जो मेरे पास सूचना है उससे मालूम पड़ता है कि क्षेत्र समितियों के सभापतियों ने एक प्रस्ताव पास किया था और उसी को भेजा गया था । उसकी जांच हुई और पता लगा कि क्षेत्र समिति ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया क्योंकि उसके रिकार्ड से यह मालूम नहीं होता कि क्षेत्र समिति की कोई ऐसी मीटिंग हुई और उसने ऐसा प्रस्ताव पास किया ।

श्री कृष्ण कांत—

क्षेत्र समिति ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें जिला विद्यालय निरीक्षक पर क्या आरोप लगाये थे ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

क्षेत्र समिति ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया । यह तो केवल सभापतियों ने ही किया था ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

मंत्री जी ने कहा है कि क्षेत्र समिति, सलेमपुर ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया परन्तु यह माना है कि क्षेत्र समिति, सलेमपुर के प्रमुख ने शिकायत की थी । तो उस प्रमुख की शिकायत में उप विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं और क्या उनकी जांच की गयी है।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इस तरह का, कोई प्रस्ताव हमारी सूचना में है ही नहीं । इसलिये उसमें क्या आरोप हैं यह भी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय—

क्षेत्र समिति के प्रस्ताव के बाद सभापतियों के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया गया। इस संबंध में जिला परिषद के भूतपूर्व उपाध्यक्ष से प्रस्ताव की नकल और एक दरख्वास्त १३-५-७० को माननीय शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ है कि उपविद्यालय निरीक्षक इलाके में राज करते हैं और जब क्षेत्रसमिति की बैठक हुयी थी उसमें बी०डी०ओ भी मौजूद थे । तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः रजिस्टर चेक कर के जांच करायेंगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी जांच हुई है और जांच के बाद ही यह पता चला कि क्षेत्र समिति की कोई मीटिंग ही नहीं हुयी जिसमें यह प्रस्ताव पास किया जाता।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय मंत्री जी जो प्रस्ताव कहती हैं कि नहीं पारित हुआ लेकिन कुछ कागज आया है तो उस पर कितने प्रमुखों के हस्ताक्षर हैं और उसमें क्या संस्तुति की गयी है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

वह चीज हमारी फाइल में नहीं है लेकिन जो हमारे पास आख्या है विभाग के द्वारा उससे यह स्पष्ट होता है कि बाद में दस ग्राम सभापतियों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति दी जिसको प्रमाणित करके क्षेत्र विकास अधिकारी सलेमपुर किसी आवश्यक कार्य से चले गये और यह इस प्रकार से थी कि कोई उनके विरुद्ध शिकायत उन्होंने नहीं की है। यह दस लोगों ने बाद में कहा । तो यह सारा ही प्रश्न इस प्रकार से लगता है कि विवादग्रस्त है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि जो शिकायत प्राप्त हुई उसकी जांच करायी गयी । तो वह कौन अधिकारी था जिसके द्वारा जांच करायी गयी और जिसके आधार पर वह कहती ह कि उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुये ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

मैंने बताया कि क्षेत्र समिति ने कोई प्रस्ताव नहीं किया लेकिन जब सभापतियों की तरफ से बात आयी तो उस पर जांच हुई ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछना चाहते हैं कि किसके द्वारा जांच करायी गयी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

वहां के जो विकास खंड के अधिकारी हैं उन्होंने जांच की ।

श्री गोबिन्द सिंह—

माननीय मंत्री जी की तरफ से यह तो उत्तर आ गया कि एक उनको पत्र मिला है सभापतियों की तरफ से लेकिन जब यहां पर प्रश्न किया जाता है कि उसमें क्या क्या शिकायतें रखी गयी हैं इसके बारे में मंत्री महोदय जब कहती हैं कि इसकी सूचना नहीं है तो आप व्यवस्था दें कि जब रेलवेंट अनुपूरक प्रश्न पूछे जायं तो उस संबंध में मंत्री लोग मेहरबानी करके तयार हो कर आया करें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरी समझ में दूसरी बात आयी थी । मैं यह समझा था कि उनको सूचना मिल गयी कि वहां से कोई ऐसी संस्तुति आयी थी लेकिन वह ओरिजिनल सूचना उनके पास नहीं है । इसलिये उसमें क्या क्या लिखा था इसकी जानकारी उनको नहीं है । तो यह हो सकता है । इसमें कोई गैरवाजिब बात नहीं है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायती पत्र मिला है उसमें उनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगाये गये हैं और कितने दिन हुये आरोप आय और यह कितने वर्ष से वहां पर है? मेरी सूचना सही मान कर क्या मंत्री महोदय उसका ट्रांसफर दूसरे जिले में करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

मैं तो सुन नहीं पाया । आप सुन पाई हों तो उत्तर दे दें ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

सरकार का आदेश है कि कोई भी गजेटेड आफिसर एक जिले में तीन वर्ष से अधिक नहीं रहेगा । उप विद्यालय निरीक्षक वहां पांच वर्ष से अधिक हो गया कार्य कर रहे हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनको वहां से ट्रांसफर करने में क्या दिक्कत है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

फर्रुखाबाद इन्टर कालेज में जीव विज्ञान कक्ष की व्यवस्था करना

*४—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद इंटर कालेज में विज्ञान की कक्षाओं को चलाने की क्या पिछले वर्ष ही राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की थी परन्तु जीव विज्ञान कक्ष (प्रयोगशाला) की व्यवस्था न होने के कारण सैकड़ों छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तुरन्त उक्त इंटर कालेज में जीव विज्ञान कक्ष (प्रयोगशाला भवन) बनवा कर जुलाई से शिक्षा प्राप्त करने की छात्रों को सुविधा प्रदान करेगी?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री महरम सिंह—

मेरा प्रश्न था "क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद इंटर कालेज में विज्ञान की कक्षाओं को चलाने की क्या पिछले वर्ष ही राज्य सरकार ने अनुमति प्रदान की थी परन्तु जीव विज्ञान कक्ष (प्रयोगशाला) की व्यवस्था न होने के कारण सैकड़ों छात्रों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार तुरन्त उक्त इंटर कालेज में जीव विज्ञान कक्ष (प्रयोगशाला भवन) बनवा कर जुलाई से शिक्षा प्राप्त करने की छात्रों को सुविधा प्रदान करेगी ?" यह एक बार स्थगित हो गया, अप्रैल का प्रश्न था । मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि अब भी सूचना एकत्र की जा रही है । इंटरमीडिएट कालेज में प्रयोगशाला बनाने का प्रश्न था, पिछले साल छात्रों को काफी परेशानी हुई थी । इस वर्ष जुलाई से व्यवस्था की जानी चाहिये थी और मंत्री जी ने उत्तर दिया कि अभी सूचना एकत्र की जा रही है। श्रीमन् यह मालूम है कि सदन स्थगित हो जायगा, जून का अन्त है और जुलाई से नया सत्र आरम्भ हो जायेगा । मैं तो कहूंगा कि जानबूझ कर हमारे प्रश्न को टाला गया है । इसलिये श्रीमन हमें मौका दिया जाय नियम ४९ के अन्तर्गत कि कल परसों नरसों में इसका उत्तर आ जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये भी शायद मौका न मिले ।

श्री महरम सिंह—

एक छोटा सा प्रश्न था जिसकी सूचना इकट्ठी करनी थी । इस बार फिर स्थगित हो गया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन कौन सी बातों की सूचना एकत्र कर रहे हैं । जिन अधिकारियों ने सूचना नहीं दी है क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी उनके खिलाफ तुरन्त एक्शन लेने के लिये तैयार हैं ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इस कालेज में जोव विज्ञान कक्ष खोलने के लिये पिछले वर्ष निर्णय लिया आ चुका था, लेकिन वहां पर प्रयोगशाला न होने के कारण वह न खुल सका । इस वर्ष भी विभाग की तरफ से प्रयास हो रहा है। अब कोशिश यह हो रही है कि कहीं कोई मकान किराये पर ही मिल जाय, लेकिन यह भी नहीं हो पाया है जिसकी वजह से खोलने में दिक्कत है। यदि प्रबन्ध हो गया तो खोलने का प्रयास किया जायगा ।

श्री महरम सिंह—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि यहां पर कक्षाएं तो खोल दी गई हैं, लेकिन उसकी प्रयोगशाला बनाने की बात है । इण्टरमीडिएट कालेज बना हुआ है उसमें १, २, या ३ कमरे बनने की बात थी । मंत्री महोदया बता रही हैं कि उसके खोलने पर विचार करेंगी । यह प्रश्न ही नहीं है,प्रयोगशाला बनाने का प्रश्न था । तो क्या मंत्री जी विभागीय अधिकारियों को तुरन्त प्रयोगशाला बनाने का आदेश देंगी ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी जितनी जल्दी व्यवस्था हो सकेगी, विभागीय आदेश दिये जायेंगे ।

उप विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ का स्थानान्तरण

श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि सहायक विद्यालय निरीक्षक का पिथौरागढ़ से तबादला होने पर भी क्यों रोका गया ? क्या यह सही है कि पिछली सरकार द्वारा उसके तबादले के आदेश किये गये थे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शिक्षा विभाग में सहायक विद्यालय निरीक्षक का कोई पद नहीं है । शेष बातों का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपाल दत्त—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बालकों के विद्यालयों का निरीक्षण प्रदेश के जिलों में किसके माध्यम से किया जाता है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यहां पर इंसपेक्शन का प्रश्न तो है नहीं ।

श्री गोपाल दत्त—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उप विद्यालय निरीक्षक के स्थानान्तरण के क्या नियम हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

काई विशेष नियम तो नहीं हैं लेकिन यह देखा जाता है कि तीन, चार साल एक जगह रहने के बाद उनको बदल दिया जाय ।

श्री गोपाल दत्त—

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उप विद्यालय निरीक्षक जो पिथौरागढ़ में सात, आठ साल से हैं उनको ट्रांसफर करने का आश्वासन देंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अगर कई वर्षों से वह वहां पर हैं तो उनके ट्रांसफर पर विचार किया जायगा ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

सात, आठ साल से वह वहां हैं और दूसरी जगह भी लोग पांच साल से ज्यादा से हैं तो क्या इस चीज को देखते हुए जो आदेश है कि पांच साल से ज्यादा एक जगह अधिकारी न रहे इस नियम का पालन किया जायगा?

श्री अध्यक्ष—

क्या सभी के लिये आप पूछना चाहते हैं?

श्री जगदम्बा प्रसाद—

इसी प्रश्न ५ के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शासन की तरफ से इस तरह के आदेश निर्गत किये जायेंगे कि एक जगह पांच साल और उससे ज्यादा वर्षों तक लोग न रहें और जो हैं उनको ट्रांस्फर किया जाय ।

महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, मलिहाबाद जिला लखनऊ में अनियमिततायें तथा प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

*६—श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तालीमी सोसायटी, मलिहाबाद जिला लखनऊ के सदस्यों ने शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को एक शिकायती-पत्र महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, मलिहाबाद, जिला लखनऊ में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिये अक्तूबर, १९६९ में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, जांच कराई गई ।

*७—श्री राममूर्ति 'अंचल'—

क्या यह सही है कि श्री मोहम्मद अतीक, सहायक अध्यापक, महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, मलिहाबाद, के आवेदन-पत्र के उत्तर में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने विनांक २८ अक्तूबर, १९६९, पत्र सं० मा०/२७७२–६९–७० के द्वारा यह सूचित किया है कि उपरोक्त विद्यालय के प्रबन्धक को निर्देश दे दिया गया है कि वह ऐक्ट के नियमों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु तुरन्त योग्य तथा वरिष्ठ अध्यापक को प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त करें ? इस निर्देश का पालन हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस प्रबन्धक मंडल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, निर्देश का पालन नहीं हुआ इसके लिये प्रबन्ध के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री राममूर्ति अंचल—

मान्यवर केवल यह दिवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी के उत्तर से संबंधित कि जिन अधिकारियों ने निदेशों का कार्यान्वयन नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या सरकार कुछ कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिन लोगों ने पालन नहीं किया है उनके लिये अलग से कार्यवाही करने के लिये आदेश दिये गये हैं जिससे कि अनियमिततायें दूर हो सकें।

श्री कृष्णकान्त—

किस प्रकार की शिकायतें थीं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

जांच करायी गयी जो जांच में शिकायत थी वह यह थी कि प्रबन्धक समिति की बैठक कभी नियमानुसार नहीं होती है और प्रवेश के समय और बाद में भी क्षात्रों से विज्ञान शुल्क चन्दे के रूप में ले लिया जाता है। इस धन को प्रबन्धक समिति अपने पास ही रख लेती है और फर्नीचर आदि के खरीदने में व्यय करती है। इस प्रकार अनियमिततायें हुयी हैं और धन को आपत्तिजनक तरीके से फर्नीचर आदि के क्रय करने में व्यय किया गया है।

वनकटामिश्र, जिला देवरिया निवासी श्री शिव नारायण तिवारी के वच्चों को स्कूल में पढ़ने से रोकना

*८—श्री बांके लाल तथा हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि श्री शिवनारायण तिवारी, ग्राम वनकटामिश्र, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया के बच्चों को स्कूल में पढ़ने जाने से उक्त गांव के निवासी इस कारण से रोकते हैं कि उक्त श्री तिवारी ने एक चेकोस्लोकाकियन लड़की से शादी कर ली है ? क्या मन्त्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री बांके लाल—

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लगभग २ महीने हो गये हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन सी सूचनायें एकत्रित की जा रही हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह प्रश्न ही कुछ बहुत अजीब सा रहा है। पहले तो यह ही समझ में नहीं आ रहा था कि यह प्रश्न किस विभाग से संबंधित है क्योंकि प्रश्न यह था कि श्री शिवनारायण तिवारी के बच्चों को स्कूल में पढ़ने जाने से रोक दिया जाता है। इन कारणों से यह प्रश्न रुकता रहा है। चूंकि यह प्रश्न शिक्षा मन्त्री जी से पूछा गया है इसलिये जवाब देने के लिये मैं यहां खड़ी हूं। लेकिन मैं ऐसा समझती हूं कि इस प्रश्न का शिक्षा विभाग से कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री हरिवंश सहाय—

इस प्रश्न के बारे में मैं मन्त्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि श्री शिवनारायण तिवारी भारत से फिजिक्स में शिक्षा प्राप्त करके अमरीका गये हैं। वहां पर न्युक्लियर फिजिक्स में परीक्षा पास की और उसके बाद चेकोस्लोवाकिया में शिक्षा प्राप्त की। चेकोस्लोवाकिया में एक लड़की से शादी कर ली और भारत लौट आये। गांव के लोगों ने और वहां के मास्टरों ने उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ने से रोक दिया और कहा कि तुम ईसाई हो गये। उनको मई में रोक दिया गया था और आगे जुलाई में भी रोक दिया जायेगा। इसलिये वे पुनः अमरीका चले गये हैं। तिवारी जी बड़े ही होशियार व्यक्ति हैं। वे इतने अच्छे हैं कि दुनिया के विश्व-विद्यालय में घूम-घूम कर न्युक्लियर फिजिक्स पर भाषण दिये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके परिवार के बच्चों को आगामी जुलाई से स्कूल में पढ़ने के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

स्कूल के अन्दर अगर प्र वेश में कोई दिक्कत होती है तो उसे अवश्य देखा जायेगा। हम तो धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास करते हैं। चाहे कोई इसाई हो या मुसलमान हो किसी के बच्चों को पढ़ने से नहीं रोका जायेगा और इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह—

मन्त्री जी के प्रश्न से संबंधित। मन्त्री जी ने यह उत्तर दिया है कि इस प्रश्न का संबंध उनके विभाग से नहीं है। यदि ऐसी बात थी तो क्या मन्त्री महोदय ने इसकी सूचना माननीय अध्यक्ष को दे दी थी ?

श्री अध्यक्ष—

अब उनको पता लग गया है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध उनसे है। उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों को पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती है तो वे ऐक्शन लेंगीं।

श्री बांके लाल—

मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जो मास्टर तिवारी जी के परिवार के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं और स्कूल से निकालते हैं उनको वहां से हटाने की कोई व्यवस्था करेंगी क्योंकि वे उसी गांव के हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूंछ रहे हैं कि वहां के मास्टर लोग उनके बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं तो उन मास्टरों को हटा देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसीलिये तो मैंने यह जवाब दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है कि वास्तविकता क्या है। माननीय सदस्य ने जो बताया उससे कुछ चीजें स्पष्ट हैं। अगर शिक्षा विभाग इससे सम्बन्धित होगा तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि क्या श्री शिवनारायण तिवारी का कोई ऐसा शिकायती पत्र आया है कि हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता ?

डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी—

ऐसा शिकायती पत्र नहीं आया है।

जिला जौनपुर के कुछ विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

*३—श्री रामदेव—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत कितने ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें १९६८-६९ की शिक्षा सत्र की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अभी तक विद्यार्थियों को नहीं दी गई है ? क्या सरकार अविलम्ब दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

केवल राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिंगरामऊ जौनपुर तथा तिलकधारी इण्टर कालेज, जौनपुर के एक एक विद्यार्थी को उक्त छात्रवृत्ति अभी नहीं मिली है। उनकी छात्रवृत्ति की बिलें महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को जांच के लिये भेजी गई हैं। जांच के पश्चात् भुगतान अविलम्ब कर दिया जायगा।

श्री रामदेव—

क्या माननीया शिक्षा मंत्री बतायेंगी कि इन्टर कालेज, सिंगरामऊ और तिलकधारी इण्टर कालेज, जौनपुर में ६८-६९ शिक्षा सत्र में जिन विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अभी तक नहीं दी गयी वह क्यों नहीं दी गयी और उन विद्यार्थियों के नाम क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

राजा हरपाल सिंह इन्टर कालेज, सिंगरामऊ के छात्र श्री राधेश्याम पांडेय और तिलकधारी हैं इन्टर कालेज जौनपुर के छात्र श्री कृष्ण कुमार गुप्त। इनको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति घोषित हुई थी परन्तु इनके प्रधानाचार्यों का कहना है कि समय से उन्हें सूचना नहीं मिली और वर्ष की समाप्ति पर बाद में निदेशालय को लिखा गया। देरी हो गयी थी इसलिये प्री-आडिट हो गया। उसमें आब्जेक्शन्स लगाये गये। जो सूचना है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी हुई है और इस वजह से विद्यार्थियों को यह नुकसान उठाना पड़ा।

श्री रामदेव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि महालेखाकार के पास इन विद्यार्थियों का मामला कब भेजा गया ? क्या मेरे प्रश्न करने के बाद भेजा गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां ३० मार्च १९७० को प्रस्तुत किया। उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करके संस्था के पास भेजा। फिर प्री-आडिट के लिये गया। बिल बनाया गया था २६ नवम्बर १९६९ के आधार पर। २४ अप्रैल ७० और ६ फरवरी ७० को महालेखाकार, इलाहाबाद के पास भेजा गया। जब प्री-आडिट हो जायगा तब दिया जायगा।

श्री रामदेव—

जिन विद्यालयों में जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी उन विद्यालयों के प्रबन्धों ने उन छात्रों से कहा था कि अगर कुछ धनराशि इस छात्रवृत्ति से दे दें तो वह मिल सकती है। उन विद्यार्थियों ने इन्कार किया फलतः अड़ंगा डालने के लिये यह प्रक्रिया बनायी गयी और महालेखाकार के पास भेजा गया।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप सूचना दे रहे हैं, प्रश्न करिये।

श्री रामदेव—

क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर इन बातों की जांच करायेंगीं, क्योंकि श्रीमन्, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं प्रायः विद्यालयों में ऐसी प्रक्रिया चलती है और जो विद्यार्थी छात्रवृत्ति का अंश देने के लिये तैयार नहीं होते हैं उनको जल्दी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर जांच करायेंगी और सम्बन्धित प्रधानाचार्य को या जिला विद्यालय निरीक्षक को दंडित करेंगीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सही है कि इसमें मुख्य रूप से दोषी प्रधानाचार्य हैं और आंशिक रूप से दोषी जिला विद्यालय निरीक्षक भी हैं। इसकी जांच कराने का आदेश दिया जायगा। जिला विद्यालय निरीक्षक से हमारे विभाग के अधिकारियों ने स्पष्टीकरण भी मांगा है उसके प्राप्त होने के बाद उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा हरिजन अध्यापकों को अपने घरों से दूर नियुक्त करना

*१०—श्री लाससा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला परिषद् आजमगढ़ ने सन् १९६९-७० में प्रशिक्षित अध्यापकों की नई नियुक्तियों में प्रशासन द्वारा दी गई हरिजनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये केवल हरिजन अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को घर से ३० या ४० मील से भी अधिक दूरी पर नियुक्त किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं।

श्री लालसा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यदि मैं इस सम्बन्ध में लिस्ट दूं तो उस पर उचित कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो हरिजन अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं उनको केवल निवास-स्थान के पास ही रखा जाय और ३० या ४० मील की दूरी पर न भेजा जाय। जहां पर जिस प्रकार से आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही उनको नियुक्त किया जाता है।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

आजमगढ़ बोर्ड में हरिजनों के साथ ज्यादती करके ३०, ४० मील से अधिक दूरी पर भेजा जाता है, क्या इसकी जांच कराकर उन्हें अविलम्ब उचित स्थान पर भेजने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मैं ऐसा नहीं समझती हूं कि हरिजनों के साथ ऐसा किया गया है। इसलिये जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

[२६ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया।]

*२-३ श्री गोविन्द सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह—

[१३वें गुरुवार के प्रश्न सं० २३-२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४-५—श्री हिम्मत सिंह—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६—श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७—श्री जगदीश गांधी—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८—श्री जगदीश गांधी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

मेरठ जिले में प्राइमरी पाठशालाओं का अभाव

*९—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़), श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद), तथा श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत ब्लाक मेरठ व परीक्षतगढ़ में कितने ऐसे ग्राम हैं जहां प्राइमरी पाठशाला नहीं हैं, और क्या इन गांवों में पाठशाला खुलवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ब्लाक मेरठ में २६ तथा ब्लाक परीक्षतगढ़ में ३६ ग्राम ऐसे हैं जहां प्राइमारी पाठशाला नहीं है। जी नहीं।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन ग्रामहीनों के बच्चों को पढ़ने के लिये सरकार का कोई ऐसा कानून है कि प्राइमारी तालीम दिलाना जरूरी हो, अगर हां, तो फिर ये कहां पढ़ेंगे और इनके तालीम का क्या इन्तजाम होगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जितने ये गांव हैं उनके आस-पास विद्यालय हैं जिनकी दूरी २ मील और इसके आस-पास है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है कि वहां और विद्यालय बनाये जायं।

श्री मंजूर अहमद—

मैं यह जानना चाहता हूं कि २२ वर्ष आजादी की प्राप्ति के बाद आज भी प्राइमरी तालीम की पाठशाला गांवों में नहीं है, २ मील की दूरी पर यदि भेजे जाते हैं तो इतनी दिक्कत होने के बाद उनको कौन सी कठिनाई है कि उन ग्रामों में और पाठशाला न बनायें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रदेश में बहुत से अंचल हैं जहां इससे ज्यादा दूरी पर विद्यालय स्थित हैं इसलिये वहां की कमी को दूर करने के बाद ही इनको लिया जायगा।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी मेरठ जिले में जिन ग्रामों में ५, ५ मील पर भी प्राइमरी पाठशाला नहीं है वहां प्राइमरी पाठशाला खोलने पर विचार करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य का यह कहना तो ठीक ही है और जहां पर ५ मील से अधिक दूरी पर भी विद्यालय नहीं है वहा प्राथमिकता दी जायगी।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की यह नीति है कि हरएक ग्राम सभा में एक प्राइमारी पाठशाला होनी चाहिये ? यदि, हां, तो वहां क्यों नहीं है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी जहां नहीं हैं वहां के बच्चे दूसरे गांवों में पढ़ रहे है, उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ६२ गांवों में से ऐसे कितने गांव हैं जिनकी आबादी २ हजार से ५ हजार तक की है और विद्यालय न होने की वजह से बरसात में बच्चे परेशान होते हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ऐसे गांव तो नहीं हैं जिनकी हजार से उपर की आबादी है लेकिन ५–६ गांव ऐसे जरूर हैं जिनकी ४–५ सौ की आबादी है और बाकी तो सब इससे नीचे की आबादी वाले गांव हैं ।

*१०–११—रामापति—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय के उच्च पदों पर विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति न करना

*१२—श्री गोविन्द सिंह तथा श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस विभाग के सहायक निदेशक, उप निदेशक और विशेष अधिकारी आदि पदों पर विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति न करके दूसरे विभागों के अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा है जब कि हरिजन मूल्याकंन समिति की संस्तुतियों (१९६६) में इसके लिये स्पष्ट सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों के आधार पर किया जा रहा है ।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

यह सही है कि हजिरन एवं समाज कल्याण निदेशालय में कुछ उच्च पदों पर अन्य विभाग के अधिकारी कार्य कर रहे हैं, जिनको प्रशासनिक कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से उक्त पदों पर लिया गया है । प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन (१९६६) में इस प्रकार की कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की गई है कि सहायक निदेशक, उप निदेशक, विशेष अधिकारी आदि पदों पर विभागीय अधिकारियों की ही पदोन्नति की जाय ।

*१३–१४—श्री जयराम यादव—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१५–१६—श्री नरेन्द्र सिंह—

[१३वें गुरुवार के प्रश्न सं० १८–१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों के वेतन अभिनवीकरण सम्बन्धी केस

*१७—श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १३ मई, १९६८ की राजाज्ञा संख्या (ग/क) ३८२५-ग/१५-४६(२९)/१९६७ के संदर्भ में गैरशिक्षक कर्मचारियों के वेतन अभिनवीकरण से संबंधित कुछ (हार्ड, एनामली के) मामले जो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक ७ अगस्त, १९६९ को सरकार के निर्णय के लिये भेजे गये थे, सरकारी निर्णय लखनऊ विश्वविद्यालय को नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने वेतन के अभिनवीकरण से संबंधित एनामली के मामले शासन के पास भेजे हैं इन पर विचार किया जा रहा है । चूंकि ऐसे बहुत से मामले हैं अतः निर्णय लेने में समय लगेगा ।

पी० एस० डी० कैम्प, मन्सूरी के लिये ऊंचे टेन्डर का स्वीकार होना

*१८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार को विदित है कि मंसूरी, देहरादून में मई, जून, १९७० में लगने वाले पी० एस०डी० कैम्प के लिये सबसे ऊंचा टेंडर निदेशक, सैनिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे सरकार को ५,३६४.८५ पैसे की हानि हुई ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

पी० एस० डी० कैम्प मंसूरी के लिये निम्नलिखित ३ टेंडर प्राप्त हुये थे:—

१—बिशम्भर दास केशव राम	..	२६,३४४.१०
२—गोयल ऐंड को०	..	२६,११०.८५
३—द्वारिका स्टोर्स	..	२६,९७०.९०

इन टेंडरों की जांच की गई और वित्तीय हस्त पुस्तिका में जो निर्देश हैं उनको ध्यान में रखते हुए मेसर्स विशम्भरदास केशव राम का टेंडर स्वीकार नहीं किया गया बल्कि मेसर्स गोयल ऐण्ड को०, जिनके टेंडर दूसरे स्थान पर था, उसको स्वीकार किया गया । चूंकि पहला टेंडर नियमानुसार स्वीकार नहीं किया जा सकता था इसलिये शासन को कोई हानि नहीं हुई ।

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहिरौला, जिला आजमगढ़ के अध्यापकों को वेतन न मिलना तथा तत्सम्बन्धी शिकायत

*१९—श्री लालसा तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला अजमजढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहिरौला, आजमगढ़ में अध्यापकों का वेतन एक वर्ष से अधिक से भुगतान नहीं किया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

*२०—श्री लालसा तथा श्री भीमा प्रसाद—

क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को एवं संचालक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को अध्यापकों का इस विषय का प्रतिवेदन कि उनको एक साल से वेतन नहीं दिया गया है एवं जबरदस्ती अध्यापकों को भुगतान पर हस्ताक्षर कराने के लिये विवश किया जाता है, हाल में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला विद्यालय निरीक्षक एवं शिक्षा निदेशक को ऐसा कोई प्रत्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ ।

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों को बन्द करना तथा इससे प्रभावित कर्मचारियों को अन्य स्थानों में खपाना

*२१—श्री सूरजलाल गुप्त तथा श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या यह सच है कि सरकार प्रदेश में राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों को बन्द करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री विशनलाल)—

यह सही है कि शासन ने राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों के बन्द करने का निर्णय ले लिया है और आगामी जुलाई से प्रथम वर्ष में कोई प्रवेश नहीं किया जायगा ।

इन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों की अनुपयोगिता को देखते हुए तथा इन पर होने वाले व्यय को किसी अन्य उपयोगी कार्य में लगाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है ।

*२२—श्री सूरज लाल गुप्त तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालयों में कुल कितने कर्मचारी सेवारत हैं तथा विद्यालयों के बन्द हो जाने के बाद उन कर्मचारियों को सरकार कोई अन्य सरकारी सेवा कार्यों में ले लेगी ?

श्री विशनलाल—

इस समय इन विद्यालयों में कुल ४८३ कर्मचारी सेवारत हैं । इनमें से उपयुक्त कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर खपाने का यथासंभव प्रयत्न किया जायगा ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद का विकेंद्रीकरण

*२३—डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने परिषद के विकेंद्रीकरण की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसको कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

विकेन्द्रीयकरण योजना विचाराधीन है ।

कोन, जिला मिर्जापुर में राजकीय हाई स्कूल खोलने के तथाकथित आदेश

*२४—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन व पिछड़े क्षेत्र कोन ब्लाक चोपन, मिर्जापुर में एक राजकीय हाई स्कूल खोलवाने हेतु भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशक से जानकारी प्राप्त कर विद्यालय खोलने के लिये आदेश जारी किये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

विद्यालय खोलने के कोई आदेश जारी नहीं किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेर व गुलदार के शिकार बन्द करने के आदेश

*२५—श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, १९७० से शेर, गुलदार चीता का जो शिकार प्रदेश में बिल्कुल बन्द किया है क्या वह नियम विदेशियों पर भी लागू होगा ?

वन मंत्री(श्री अजीत प्रताप सिंह)—

शेर व गुलदार के शिकार बन्द करने के आदेश १७ जून, १९७० की विज्ञप्ति में दिये गये प्रतिबन्धों के साथ सभी पर लागू होंगे ।

इलाहाबाद के वन विभाग के प्राखण्ड कार्यालय के कर्मचारी का निलम्बन

*२६—श्री रामगोपाल संड—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के वन विभाग के प्राखंड कार्यालय के कितने कर्मचारी १९६६-६७ से निलम्बित हैं ? उन पर क्या अभियोग लगाये गये हैं ? क्या सरकार उन्हें काम पर लेने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजित प्रताप सिंह—

इलाहाबाद के वन विभाग के प्राखंड कार्यालय का एक कर्मचारी १४-६-१९६७ से निलम्बित है । उसके खिलाफ अभियोग यह है कि वह बिना इजाजत के सरकारी कर्मचारियों की तीसरी हड़ताल की अवधि में बिना छुट्टी के १४-६-१९६७ से गैर हाजिर हो गया । उसके खिलाफ Essential Services Maintenance Act, १९६६ की धारा ३ के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है । मुकदमा वापस लेने के आदेश शासन ने जारी कर दिये हैं जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं । न्यायालय के आदेशों के बाद उनको बहाल करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

गांधी विचार-प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरिया कलां, जिला शाहजहांपुर के प्रबन्धक द्वारा विद्यालय में ताला डालना

*२७—श्री उमा शंकर शुक्ल(जिला शाहजहांपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि गांधी विचार प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरिया कलां, जिला शाहजहांपुर के प्रबन्धक ने उपरोक्त विद्यालय में पिछले ७ महीने से ताला डाल रखा है जिसके कारण शिक्षा कार्य ठप्प पड़ा है व छात्रों की वार्षिक परीक्षा नहीं हो पायी ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

*२८—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२९—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*३०-३१—श्री प्रेमनारायण अहेरवार—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला फैजाबाद के राष्ट्रीय इन्टर कालेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य के भविष्य निधि के सरकारी योगदान की रकम का भुगतान न होना

*३३—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इंटर कालेज, तेंदुआई कलां, पो० देवरिया, जिला फैजाबाद के भूतपूर्व, प्रधानाचार्य स्व० राजा राम पांडेय, जिनका निधन १२ जून, १९६२ को हुआ था, के भविष्य निधि के सरकारी योगदान की रकम का भुगतान २५ मई, १९७० तक किन कारणों से नहीं हुआ है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

स्वर्गीय राजाराम पांडेय के भविष्य निर्वाह निधि से संबंधित पोस्टल लेजर एकाउन्ट की प्रतिलिपि उनके उत्तराधिकारी द्वारा प्रस्तुत न करने के कारण सरकारी योगदान की रकम के भुगतान हेतु आवश्यक प्रपत्र तैयार नहीं किये जा सके हैं ।

जिला बांदा के अतर्रा नगर में कन्याओं की शिक्षा हेतु विद्यालय की स्थापना

*३४—श्री हरवंश प्रसाद (जिला बांदा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जिले के अतर्रा नगर में कन्याओं की शिक्षा हेतु हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्तर की कोई सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या जुलाई, १९७० ई० में कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी कि कन्याओं को शिक्षा की सुविधा मिल सके ।

श्री श्रीपति मिश्र—

अतर्रा (बांदा) में कन्याओं का कोई हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेज नहीं हैं ।

जुलाई १९७० से कोई राजकीय कन्या हाई स्कूल अथवा इंटरमीएडिएट कालेज खोलने की व्यवस्था नहीं है ।

कन्जरवेटर, नैनीताल द्वारा भूमिहीन हरिजनों को भूमि एलाट करना

*३५—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के वन (ख) विभाग के जी० ओ० नं० ७५५१/XIV-B/४९८/६०, दिनांक ६ मई, सन् १९६३ जो कन्सरवेटर, वन विभाग, पश्चिमी सर्किल, नैनीताल को प्रेषित हैं, के अनुसार अब तक दमुवाढ़ुंगा बागजाला व मागुलीखाल में भूमिहीन हरिजन परिवारों को भूमि एलाट क्यों नहीं की गई ?

श्री अजित प्रताप सिंह—

उत्तर प्रदेश शासन के वन (ख) विभाग के जी०ओ० नं० ७५५१/१४-ख-४९८/६०, दिनांक ६ मई, १९६३ के अनुसार मागूली खाल के ६ हरिजन परिवारों को दमुआ ढूंगा ब्लाक में भूमि एलाट कर दी गई है । दमुआढूंगा और बागजाला के अन्य हरिजन परिवारों को भूमि अभी तक इसलिये नहीं दी जा सकी है क्योंकि उक्त क्षेत्रों में अधिकृत एवं अनधिकृत परिवार दोनों इकट्ठे मिले-जुले रूप में बसे हैं और अधिकृत परिवारों को विधिवत् रूप से तभी बसाया जा सकेगा जब कि अनधिकृत परिवारों को बेदखल कर दिया जाय । बेदखल करने की कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

जिला देवरिया के ग्राम कारमुआ में अग्निकाण्ड से प्रभावित पशुओं का इलाज न होना

*३६—श्री रामपति तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत ग्राम करमुआ में गत ११ मई, १९७० के अग्निकांड में १८ पशुओं की मृत्यु हो गई तथा दो दर्जन पशु आग की लपटों से झुलस गये किन्तु जिला पशु चिकित्सालय की ओर से कोई पशु चिकित्सक घटनास्थल पर २८ मई, १९७० तक नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

पशुपालन मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां, किन्तु यह सही नहीं है कि जिला पशु चिकित्सालय की ओर से कोई पशु चिकित्सक घटनास्थल पर २८ मई, १९७० तक नहीं पहुंचा ।

*३७—श्री श्याम लाल—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३८—श्री दुर्जन—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३९—श्री रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

अल्मोड़ा डिग्री कालेज को सरकारी नियंत्रण में लेना

*४०—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बतायेगी कि अगले शिक्षा सत्र से प्रदेश के कुछ डिग्री कालिजों को अपने हाथों में ले रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अल्मोड़ा डिग्री कालिज को भी अगले सत्र से अपने हाथ में लेने पर विचार करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*४१—श्री राम प्रसाद—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

टिहरी-डिग्री कालेज में विज्ञान की कक्षाएं खुलवाना

*४२—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह मालूम है कि टिहरी-गढ़वाल की जनता ने टिहरी डिग्री कालेज म विज्ञान की कक्षाओं को जुलाई, १९७० से प्रारम्भ करने की मांग की है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

किन्तु मांग को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका ।

जिला टेहरी-गढ़वाल में राजकीय इन्टर कालेज खुलवाना

*४३—श्री इन्द्रमणि—

क्या सरकार बतायेगी कि टिहरी-गढ़वाल में राजकीय विद्यालय, घूमेटीधार तथा अंजनी-सौड़ में इस वर्ष जुलाई, १९७० से शिक्षा विभाग ११वीं कक्षा आरम्भ कर रहा है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

फतेहपुर जिला परिषद् के उर्दू टीचरों को वेतन न मिलना

*४४—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिला परिषद द्वारा जो उर्दू टीचर रक्खे गये हैं उन्हें उनका वेतन अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह कब तक दे दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला परिषद्, फतेहपुर द्वारा जो उर्दू टीचर रखे गये हैं उनको माह मई १९७० तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

*४५—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६-४७—श्री रियासत हुसैन—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४८—श्री शेष नारायण शुक्ल—

[स्पष्टीकरण के लिये हटा दिया गया ।]

श्रीमती सुखदेवी इन्टर कालेज, जिला मुरादाबाद का अनुदान निलम्बित

*४९—श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली), श्री मंजूर अहमद तथा श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सुखदेवी इंटर कालेज, हसनपुर, जिला मुरादाबाद का अनुदान ६ मार्च, १९७० से निलम्बित है और क्या प्रबन्ध समिति ने गबन के आरोप में विद्यालय के प्रधानाचार्य का निलम्बन कर दिया गया है ? यदि हां, तो अनुदान कब से पुनः जारी किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । अनुदान मुक्त करना अभी संभव नहीं है ।

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को दी जाने वाली लकड़ी की दरें

*५०—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को गढ़वाल तथा कुमायूं मंडलों से जो चीड़ की लकड़ी दी जाती है वह किस भाव पर दी जाती है तथा कितने साल तक उसी दर पर दिये जाने का उनके साथ इकरारनामा है ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को गढ़वाल और कुमायूं मंडलों से चीड़ की लकड़ी निम्नलिखित भाव पर दी जाती है :—

१—चीड़ की झावा मुन्डी	१ रुपया में	८ घनफुट
२—चीड़ के टेढ़े मेढ़े खड़े वृक्ष जिनमें इमारती लकड़ी १० प्रतिशत से अधिक न हो ।	४० पैसे प्रति	घनफुट

३—चीड़ के छटान के वृक्ष :—

०"–४" व्यास के ..	२,१/२ पैसे प्रति वृक्ष
४"–८" व्यास के ..	१७ पैसे प्रति वृक्ष
८"–१२" व्यास के ..	३.५० पैसे प्रति वृक्ष

इकरारनामे के अनुसार उक्त दरें १ अक्तूबर, १६६३ से ३० सितम्बर, १६६६ तक ३ वर्ष के लिये लागू थीं । उसके बाद हर ३ वर्ष के लिये ये दरें पुनः निर्धारित की जानी थीं । १ अक्तूबर, १६६६ से अगले ३ वर्ष के लिये उक्त दरों में १० प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जो स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को मान्य न थी । फलस्वरूप स्टार पेपर मिल, सहारनपुर की प्रार्थना पर इकरारनामे की शर्तों के अनुसार यह मामला मध्यस्थ को सौंप दिया गया है । उप विधि परामर्शी मध्यस्थ हैं । मध्यस्थ के फैसले के अनुसार ही अब मूल्य वसूल किय जायगा ।

उप-अरण्यपाल, उत्तरी गढ़वाल वन खण्ड के मुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण करने पर विचार

*५१—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी गढ़वाल वन खंड का मुख्य कार्यालय पौड़ी-गढ़वाल से गोपेश्वर (चमोली) स्थानान्तरण करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उप-अरण्यपाल, उत्तरी गढ़वाल वन खंड का मुख्य कार्यालय पौड़ी-गढ़वाल से गोपेश्वर (चमोली) स्थानान्तरण करने हेतु सरकार गोपेश्वर में कार्यालय एवं कर्मचारियों के आवासगृह बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

बरेली जिला परिषद् के हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों को वेतन न मिलना

*५२—श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिला परिषद् द्वारा संचालित हायर सेकेंड्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों को कब से वेतन प्राप्त नहीं हुआ ?

श्री श्रीपति मिश्र—

बरेली जिला परिषद् द्वारा संचालित हायर सेकेंड्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों को मार्च, १६७० से वेतन नहीं मिला है ।

*५३—श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस वेतन के न देने में कौन उत्तर-दायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नियमित नहीं है। इस संबंध में जांच कराई जा रही है।

*५४—श्री रामप्यारे—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५५-५६—श्री हरनारायन—

[१४वें शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

प्रदेश के बंजारा, नट, जोगी, तथा कंजर जाति को शिक्षित करने हेतु कमीशन की नियुक्ति न होना

*५७—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के बंजारा, नट, जोगी, कंजड़ आदि पिछड़ी एवं अशिक्षित जातियों का पिछड़ापन दूर करने और उन्हें शिक्षित करने तथा बसाने सम्बन्धी जांच और समाधान हेतु कोई कमीशन नियुक्त करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*५८—श्री दर्लासिंगार—

[१४वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*५९—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन—

[१०वें मंगलवार के प्रश्न सं० ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, बुलन्दशहर की प्रिंसिपल का स्थानान्तरण

*६०—श्री के० एस० मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बुलन्दशहर में प्रिंसिपल एवं वाइस प्रिंसिपल के पद पर निरन्तर चार वर्षों से कार्यरत अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण अब तक जिले के बाहर न करने का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रिंसिपल, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बुलन्दशहर को अपने वर्तमान पद पर कार्य करते हुए केवल २ वर्ष १० माह के लगभग हुए हैं। इस विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल का कोई पद नहीं है। स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

*६१—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त—

[१४वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

*६२-६३—श्री जगदीश गांधी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*६४—श्री रामचन्द्र विकल—

[स्पष्टीकरण करने हेतु हटा दिया गया।]

*६५—श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

[१४वें शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

रामरतन इन्टर कालेज, कंचौसी बाजार, जिला कानपुर में अनियमिततायें

*६६—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामरतन इण्टर कालेज, कंचौसी बाजार, जिला कानपुर में भ्रष्टाचार, गबन, अनियमिततायें, कुनबापरस्ती आदि के बाबत एक प्रार्थना श्री श्याम सिंह, अध्यक्ष, अभिभावक संघ, कंचौसी बाजार की ओर से मार्च, १६७० में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

*६७-६८—श्री राम प्यारे—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा के जाली हस्ताक्षर बना कर स्टेट बैंक से रुपया निकालना

*६६—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि क्या जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा ने बिना विभाग या शासन की स्वीकृति के लक्ष्मी नारायण जूनियर हाई स्कूल, सुनगढ़ी तथा जनता जूनियर हाई स्कूल, गंजडुन्डवारा के नाम से लगभग २० हजार रुपयों के बिल मार्च, १६७० में पास कर दिये, जिनका भुगतान स्टेट बैंक, एटा द्वारा मार्च, १६७० में किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा ने लक्ष्मी नारायण जूनियर हाई स्कूल, सुनगढ़ी तथा जनता जूनियर हाई स्कूल, गंजडुन्डवारा के बिलों पर प्रति हस्ताक्षर नहीं किया है परन्तु जाली हस्ताक्षर बना कर किसी ने इन विद्यालयों के नाम से १६,६६७ रुपये स्टेट बैंक, एटा तथा कासगंज से निकाला है। मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई तथा पुलिस कार्यवाही कर रही है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*७०—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा के भ्रष्टाचार, सरकारी धन के गबन व अभद्रता आदि के संबंध में मई, १६७० के प्रथम सप्ताह में शिकायती पत्र जनता द्वारा प्रेषित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा से जांच आख्या मांगी गई है।

एटा के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्कूलों को मान्यता देना

*७१—श्री नेतराम सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९–७० में एटा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितनों को स्थाई तथा कितनों को अस्थाई मान्यता दी गई ? किन-किन विद्यालयों को मान्यता नहीं दी गई तथा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता हेतु क्रमशः ८ और ३२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। ४ प्राइमरी स्कूलों को अस्थाई मान्यता तथा ११ जूनियर हाई स्कूलों को स्थाई एवं ४ जूनियर हाई स्कूलों को अस्थाई मान्यता दी गयी। ७ अस्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी रूप से अगले शैक्षिक सत्र में चलते रहने की अनुमति दी गयी।

जिन विद्यालयों को मान्यता नहीं दी गयी उनके संबंध में कारण सहित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पष्ठ ३६१–३६२ पर)

कन्हैयालाल इन्टर कालेज, कर्नलगंज, जिला गोंडा में गलत शैक्षिक योग्यता के आधार पर विज्ञान अध्यापक की नियुक्ति

*७२—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि कन्हैयालाल इण्टर कालेज, कर्ननलगंज, जिला गोंडा के अध्यापक, श्री उदयदत्त मिश्र, एम० एस० सी० (ए० जी०) की नियुक्ति बी० एस-सी० गणित के स्थान पर एम० एस-सी० बता कर कर दी गई और जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? और क्या श्री उदयदत्त मिश्र उसी कालेज में लाइब्रेरियन भी थे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

श्री उदयदत्त मिश्र ने कन्हैयालाल इन्टर कालेज, कर्नलगंज, गोण्डा में २१–७–६७ से ३०–६–६८ तक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य किया था। शैक्षिक सत्र, १९६९–७० के लिये श्री मिश्र की विज्ञान अध्यापक के पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु एम० एस० सी० (ए० जी०) के बजाय शैक्षिक योग्यता एम० एस-सी० दिखा कर प्रत्रजात प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किये गये और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन भी प्रदान किया गया। गलत सूचना की जानकारी प्राप्त होते ही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदन २३–१०–६९ को निरस्त कर दिया गया।

*७३–७४—श्री इन्द्र मणी—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*७५–७६—श्री दल सिंगार—

[१३ वें गुरुवार के प्रश्न सं० २०–२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला गोंडा की झीलों तथा तालाबों में मछली का शिकार

*७७—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में कितने तालाबों, झीलों में मछली पाली जाती है, इन तालाबों, झीलों के नाम क्या हैं, किस ब्लाक में पड़ते है ? ठेके पर मछली का शिकार होता है या विभाग द्वारा ?

डाक्टर सीताराम—

गोंडा जिले में ११ तालाबों और ५ झीलों में मछलियां पाली जाती हैं। इनके नाम ब्लाक के नाम सहित संलग्न तालिका में दिये हैं। उपरोक्त १६ जलाशयों में से एक जलाशय (गिधया) को नर्सरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और शेष जलाशयों में शिकार ठेके पर होता है, जिसका नीलाम किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६३ पर)

गोंडा जिले में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले हरिजन कर्मचारी

*७८—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मछली विभाग, गोंडा में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, उन में कितने हरिजन हैं और किस पद पर ?

डाक्टर सीताराम—

मत्स्य विभाग के अन्तर्गत गोंडा जिले में कुल ३३ कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनमें से एक हरिजन है और वह जमादार के पद पर है।

शिक्षा विभाग में ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ लेखा निरीक्षकों की नियुक्ति

*७९—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि सितम्बर, सन् १९६९ में तथा मई, सन् १९७० में शिक्षा विभाग में ज्येष्ठ लेखा निरीक्षकों तथा कनिष्ठ लेखा निरीक्षकों के सरकार द्वारा स्वीकृत ५१ नये पदों पर क्या अभी तक केवल ६ कार्यरत पुराने आडिटरों की तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो शेष उक्त ४५ पदों पर भी कार्य कुशलता एवं अनुभव के आधार पर कार्यरत पुराने आडिटरों की तदर्थ नियुक्तियां न करने का क्या कारण है ? तथा उक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री श्रीपति सहाय—

७ आडिटरों की तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं। शासन द्वारा निर्धारित अर्हतायुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये शीघ्र ही एक चुनाव आयोजित किया जायेगा।

*८०—श्री गोपालदत्त—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

*८१—श्री गोपालदत्त—

[१३ वें शुक्रवार के प्रश्न २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८२-८३—श्री सूरज लाल गुप्त तथा श्री हिम्मत सिंह—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

*८४-८५—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

*८६-८७—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

*८८—श्री सर्वसुख सिंह तथा श्री राम अवध—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

किसान इन्टर कालेज, मढ़ी, जिला मेरठ के हरिजन विद्यार्थियों द्वारा शिकायतें

*८६—श्री मंजूर अहमद—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपाया बतायेंगे कि उन्हें दिनांक ३० अप्रैल, १६७० का पत्र जिसके साथ किसान इण्टर कालेज, मढ़ी, डाकखाना मोहल्ला, जिला मेरठ के हरिजन विद्यार्थियों की शिकायत कालेज द्वारा पक्षपात किये जाने का संलग्न था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायतों पर जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

महाविद्यालय अशैक्षिक कर्मचारी संघ, लखनऊ की मांगों पर विचार

*६०—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाविद्यालय अशैक्षिक कर्मचारी संघ, लखनऊ की मांगों से संबंधित पत्र मई, १६७० में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। मांग-पत्र में उल्लिखित मांगें शासन के विचाराधीन है।

आर्य महिला विद्यालय, वाराणसी की इन्टर कक्षाओं को समाप्त करना

*६१—श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री का ध्यान आर्य महिला विद्यालय, वाराणसी की प्रबन्ध समिति द्वारा आगामी सत्र से उक्त विद्यालय से इन्टर की कक्षायें समाप्त करने के निश्चय की ओर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इन्टरमीडिएट में प्रवेश लेने वाली विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये कोई प्रयास अन्य कन्या पाठशालाओं में स्थान बढ़ाने का कर रही हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। स्थानीय बालिका इन्टरमीडिएट कालेजों को आर्य महिला विद्यालय की छात्राओं को प्रवेश देने हेतु प्राथमिकता देने तथा अतिरिक्त स्थान बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देश भेजे जा चुके हैं।

जिला गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण संबंधी प्रस्ताव पर मान्यता समिति द्वारा विचार

*६२—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में वर्ष १६७०–७१ में किन-किन जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण हाई स्कूलों के रूप में किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सत्र १६७०–७१ में (परिषद् की १६७२ की हाई स्कूल परीक्षा से) जिला पौड़ी-गढ़वाल के निम्नलिखित तीन जू० हा० स्कूलों के हाई स्कूल के रूप में उच्चीकरण हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत

[श्री श्रीपति मिश्र]

किये गये हैं जो अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की मान्यता समिति के समक्ष विचाराधीन हैं—

१—जिला परिषद् जू० हा० स्कूल, थलीसैंण ।

२—राजकीय सहायक जू० हा० स्कूल, खाल्यूसैंण ।

३—पूर्व माध्यमिक विद्यालय, चमकोटखाल ।

*६३—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, थलीसैंण (गढ़वाल) का उच्चीकरण हाई स्कूल के रूप में जुलाई, १६७० से करने का विचार है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला परिषद् जूनियर हाई स्कूल, थलीसैंण, गढ़वाल का हाई स्कूल के रूप में जुलाई, ७० से उच्चीकरण करने का विषय अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विचाराधीन है।

*६४—श्री राम सिंह—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

*६५—श्री रामदेव दुबे तथा श्री राजितराम पांडेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

शिक्षा विभाग के पर्वतीय मण्डल, नैनीताल के प्रधान लिपिक का तथा कथित निलम्बन

*६६—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान लिपिक, शिक्षा निदेशक, पर्वतीय मंडल, नैनीताल को क्यों तथा किस तिथि से निलम्बित किया गया था ? निलम्बन की तिथि से ३१ मई, १६७० तक क्या वेतन दिया जा रहा है ? साथ ही यह भी बताया जाय कि उनके मामले के निर्णय में अब कितना समय लगेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश का आय-व्यय

*६७—श्री कल्याण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश को सन् १६६५ से १६६६ तक प्रति वर्ष कितनी आय हुई और कितना धन व्यय हुआ तथा कितनी धनराशि की बचत हुई ? क्या सरकार उपरोक्त परीक्षा शुल्क को कम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितना और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आय, व्यय एवं बचत के आंकड़े संलग्न तालिका में प्रस्तुत हैं। परीक्षा शुल्क में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव परिषद् के विचाराधीन नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६४ पर)

डा० के० पी० जायसवाल इन्टर कालेज, इलाहाबाद से कन्डेंस कोर्स की ट्रेनिंग में गये अध्यापकों का वेतन

*९८—श्री श्याम सूरत तथा श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि डा० के० पी० जायसवाल इन्टर कालेज, इलाहाबाद में किन-किन अध्यापकों का जो कन्डेंस कोर्स की ट्रेनिंग में थे, वेतन सन् १९६७-६८ का उन्हें क्यों प्राप्त नहीं हुआ है तथा उनका वेतन उन्हें कब तक दिला दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष १९६७-६८ में केवल एक अध्यापक एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश लेकर कन्डेन्स कोर्स में गये थे। अतः वेतन भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

*९९—श्री प्रियदर्शी जेटली, श्री भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री राजबिहारी, श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री गंगा प्रसाद—

[१४ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को सेवा विस्तारण दिया जाना

*१००—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ), श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) तथा श्री राजन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को १९६८ में कोई इस आशय का निर्देश प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापकों को अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा में ५ वर्ष का सेवा विस्तारण दिया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने यह सुविधा प्रदान कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, भारत सरकार से ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने आंशिक रूप में माना है।

*१०१—श्री मोहन लाल कपूर, श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या सरकार यह सुविधा उन अध्यापकों को भी देने का विचार कर रही ह जो राज्य पुरस्कार प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

६२ वर्ष तक सेवा विस्तारण की सुविधा अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के राज्य पुरस्कृत अध्यापकों को नियमानुसार प्रदान कर दी गई है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद की शुद्ध बचत

१—श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से संचालित परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों से लगभग ४० लाख प्रतिवर्ष फायदा होता है ? यदि हां, तो सरकार यह

[श्री रामगोपाल खंड]

बताने की कृपा करेगी कि १९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७० की परीक्षाओं में कितनी आय शुद्ध बचत थी ? क्या सरकार अध्यापकों को कापियां जांचने का पारिश्रमिक बढ़ाने का इस आय से विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की वर्षवार शुद्ध बचत निम्नवत् है :—

			रु०
१९६७–६८	..	..	११,६३,३६९
१९६८–६९	..	..	३६,८४,८६८
१९६९–७०	..	..	५१,०१,२३५ (अनुमानित) ।

कापियां जांचने के पारिश्रमिक की दर बढ़ाने के प्रकरण पर विचार किया जा रहा है ।

२—श्री रामगोपाल खण्ड—

क्या सरकार कर्मचारियों का जो इस परिषद् में कार्य करते हैं वेतन-क्रम बढ़ाने जा रही है? यदि हां, तो कब से ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

जिला फर्रुखाबाद के हरिजनों को मकान व कुआं बनाने हेतु अनुदान

३—श्री महरम सिंह—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६९ की १ जनवरी से लेकर ३१ मार्च, १९७० तक फर्रुखाबाद जिले के प्रत्येक विकास क्षेत्र में हरिजनों तथा पिछड़ी जाति को मकान, कुआं बनाने के लिये कितना-कितना धन दिया गया ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

हरिजनों को मकान तथा कुआं बनवाने हेतु दिये गये अनुदान के संबंध में वांछित सूचना संलग्न है । पिछड़ी जातियों को इस प्रकार के अनुदान देने की कोई योजना नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६५ पर)

फर्रुखाबाद जिले के छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति तथा अनाथों के लिये विश्राम गृह बनवाना

४—श्री महरम सिंह—

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह भी बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में कितने छात्रों को उक्त अवधि के अन्दर विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी गई ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

वांछित सूचना संकलित की जा रही है ।

५—श्री महरम सिंह—

क्या समाज कल्याण मन्त्री, फर्रुखाबाद जिले में गरीब, अनाथ या असहाय लोगों के लिये विश्राम-गृह बनवाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश के सरकारी डिग्री कालेज

६—श्री हरी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने तथा कहां-कहां सरकारी डिग्री कालेज हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रदेश में इस समय आठ सरकारी डिग्री कालेज हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

(१) नैनीताल—ठाकुर देवसिंह बिष्ट राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल।

(२) गढ़वाल—बिड़ला राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर।

(३) टिहरी-गढ़वाल—राजकीय डिग्री कालेज, टिहरी।

(४) पिथौरागढ़—राजकीय डिग्री कालेज, पिथौरागढ़।

(५) चमोली—राजकीय डिग्री कालेज, गोपेश्वर।

(६) उत्तरकाशी—राजकीय डिग्री कालेज, उत्तरकाशी।

(७) वाराणसी—काशी नरेश राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर।

(८) रामपुर—राजकीय रजा डिग्री कालेज, रामपुर।

जिला रायबरेली की तहसील सलोन के अन्तर्गत वृक्षारोपण

७—श्री शिवप्रसाद पांडिया—

क्या वन मन्त्री बतायेंगे कि जिला रायबरेली, तहसील सलोन के अन्तर्गत ग्राम कमालपुर, करई, खोजापुर तथा पक्सरावां की जंगल विभाग की भूमि पर अब तक कितनी भूमि में वृक्षारोपण किया जा चुका है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जिला रायबरेली, तहसील सलोन के अन्तर्गत ग्राम कमालापुर, करई तथा खोजापुर की जंगल विभाग की भूमि पर अब तक कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

ग्राम पक्सरावां में वन विभाग की कोई भूमि नहीं है।

जिला इलाहाबाद में कुआं, गृह-निर्माण तथा पशुपालन हेतु हरिजनों को दिया गया अनुदान व अनुदान प्राप्त वाचनालय, पुस्तकालय तथा आवास गृह

८—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया व सोरांव के किन-किन हरिजनों को जनवरी, १९६९ से २८ मई, १९७० तक पानी के पीने हेतु कुआं बनवाने व गृह निर्माण तथा पशुपालन के लिये कितना-कितना रुपया अनुदान रूप में दिया गया है ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

वांछित सूचनायें संलग्न अनुसूची 'क' 'ख' तथा 'ग' में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६६-३६९ पर)

९—श्री राम पूजन पटेल—

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में किन-किन स्थानों में विभागीय वाचनालय, पुस्तकालय तथा आवासगृह खोले गये हैं ?

श्रीमती विद्यावती राठौर—

हरिजन सहायक विभाग से अनुदान प्राप्त प्रश्नगत संस्थाओं की नामावली संलग्न अनुसूची 'घ' में दी गई है ।

नोट—इस विभाग द्वारा छात्रावासों के अतिरिक्त और किन्हीं आवास गृह को अनुदान नहीं दिये जाते ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६६–३६९ पर)

१०–११—श्री शिव कैलाश—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया]

१२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[१४वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्री कालेज

१३—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री कालेज हैं ? यदि हां, तो कितने और यदि नहीं, तो सरकार इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । केवल एक है ।

१४—श्री गोपाल दत्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

'टाइम्स आफ इण्डिया' और 'नव भारत टाइम्स' को विज्ञापन न देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विधान सभा तथा विधान परिषद् में भिन्न उत्तर देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक औचित्य का प्रश्न है.....

(बहुत से सदस्य एक साथ.....—(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले एक माननीय सदस्य कहें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं और उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट में ही कहें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, आप को स्मरण होगा और यदि न हो तो प्रोसीडिंग आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न इस सदन में 'टाइम्स आफ इंडिया' और 'नवभारत टाइम्स' को विज्ञापन देने के संबंध में उठा था और इसी संबंध में जब सूचना विभाग की ग्रान्ट का उत्तर दिया जा रहा था तो यहां माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से कहा गया था और यहां के कुछ समाचार-पत्रों ने रिप्रेजेन्ट किया था विज्ञापनों के संबंध में कि वह क्यों बन्द कर दिये गये थे, लेकिन कल ही कौंसिल में जो उत्तर उनकी तरफ से इसी प्रश्न पर दिया गया है उस में कहा गया है कि विज्ञापन इसलिये इन दोनों समाचार पत्रों के रोके गये हैं क्योंकि इन दोनों ने मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार के विरुद्ध लेख लिखे हैं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या सरकार की तरफ से विधान सभा में प्रश्न का एक उत्तर और विधान परिषद् में दूसरा उत्तर दिया जा सकता है ? यदि ऐसा है तो यह विधान सभा, जो जनता के प्रतिनिधियों की संस्था है उस की स्थिति हास्यास्पद हो जायगी। मैं चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्री जी को निर्देश दें कि उनके यहां के और कौंसिल के बयान में जो अन्तर है उसको स्पष्ट कर दें।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया मुझे सुन लें.....

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न के बारे में यदि आप यहां पर प्रश्न उठाते हैं तो आपको चाहिये कि आप लिखित भेज दें और दूसरे विधान परिषद् में जो उत्तर दिये गये हों उनका स्पष्टीकरण यहां नहीं हो सकता। इसलिये आपको स्वतंत्र प्रश्न उठाना चाहिये। उसको उठाकर वहां के उत्तर को और यहां के उत्तर को देखें। इसके बारे में औचित्य का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आप अपने इस प्रश्न को स्वतंत्र रूप से लिख कर भेजने की कृपा करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैंने नियम ३०१ के अन्दर लिख कर दिया है। अगर आप माननीय कृष्णानन्द के इस औचित्य के प्रश्न को इस आधार पर रद्द करते हैं तो मेरा लिखा हुआ प्रश्न आपके पास है। श्रीमन्, विधान परिषद् के अन्दर जो बयान हुआ, इसके बारे में यहां पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, इसके बारे में मुझे कुछ कहना है। श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सरकार के एक विषय पर एक ही विचार हो सकते हैं। श्रीमन्, यह एक ऐसा सवाल है जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता से सम्बन्धित है और प्रजातंत्र तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक समाचार पत्रों को स्वतंत्र न रखा जाय। इसलिये इस आधार के ऊपर कि लिख कर नहीं दिया, वह बात तो समाप्त हो गई क्योंकि मैंने लिख कर आपके पास दे दिया है।

दूसरा जो प्रश्न है कि विधान परिषद् में यदि दूसरा बयान दिया गया, तो उसके बारे में यहां पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मेरा निवेदन है कि आप विधान परिषद् को भूल जायं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री स्पष्ट कर दें कि क्या माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बयान इन समाचार पत्रों के बारे में दिया था कि इनका कोटा पूरा हो गया था इसलिये उनको विज्ञापन देना बन्द कर दिया, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इनके बारे में स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे ? सरकार तो वही है।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरी जो आपत्ति है वह पहली यह है कि नियम ३०१ में यह दिया हुआ है कि अगर जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे, जो औचित्य का प्रश्न न हो, तो उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वह लिखित रूप से आपको सूचना दे सकते हैं, उसके

[श्री शिवराज सिंह]

सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण या विश्लेषण, श्रीमन्, नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की आपकी रूलिंग भी हो चुकी है। आपकी उस रूलिंग के बावजूद भी आपने स्वामी जी को स्पष्ट कर दिया है।

औचित्य के प्रश्न में दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी परिधि क्या है। यह आप निश्चित कर दें। इसका प्राविधान आपकी नियमावली के नियम ३०० जो औचित्य के प्रश्न से सम्बन्धित है, यदि उसका गौर से अवलोकन करें तो उसके अन्दर ३ परिधियां हैं। एक तो यह है कि जो कार्य सदन के समक्ष चल रहा है, उसके सम्बन्ध में उठाया जा सकता है, दूसरा पहलू औचित्य के प्रश्न का यह हो सकता है कि सदन के अन्दर व्यवस्था बनाये रखने का हो जाता है। किसी हिस्से में बातचीत ज्यादा हो रही हो, माननीय सदस्य दूसरी ओर मुंह करके बैठे हों या झगड़ा कर रहे हों। तो सदन के अन्दर व्यवस्था बनाये रखने के लिये औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है और श्रीमन्, तीसरा और अंतिम जो उसकी परिधि है वह यह है कि सदन के समक्ष जो कार्य आया है उसके डिस्पोजल के सम्बन्ध में यह जरूरी हो सकता है कि हम पहले आइटम ३ व ५ ले लें और ३ न लेकर ४ ले लें। तो जो सदन के सामने आइटम्स हैं, उनके सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रश्न की चौथी परिधि नहीं हो सकती है। व्यवस्था के प्रश्न की जो परिधि है उसमें मेम्बर प्रश्न उठा सकते हैं, वह सारे प्रश्न औचित्य के प्रश्न न होकर केवल नियम ३०१ के अन्तर्गत केवल प्रश्न उठाये जा सकते हैं और उन प्रश्नों के सम्बन्ध में सदन के अन्दर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। वह केवल आपको लिखित रूप से सूचना दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि भविष्य में आप आदेश दे दें कि आपके आदेशों का पालन किया जाय।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने·····

श्री अध्यक्ष—

मैं फैसला दूंगा मैं इजाजत नहीं देता हूं।

मेरे पास आपने औचित्य का प्रश्न उठाया और वह चीज सदन में हुई। उससे सम्बन्ध जोड़ा। मैंने कह दिया कि यह प्रश्न सदन में नहीं उठाया जा सकता। यह मैंने उनको उत्तर दिया। इन्होंने लिख कर दिया था। मेरे कमरे में नित्यानन्द जी ने कहा था कि उठाया नहीं जा सकता। उसके बाद चूंकि लिखने का सवाल आ गया, लिखित होना चाहिये, मैंने लिखित मांगा। इस पर आपने प्रश्न उठा ही दिया। लेकिन मैं कह चुका था कि आप प्रश्न को उठा नहीं सकते। क्योंकि दूसरे सदन में क्या कहा उस पर प्रश्न हुए उनके ऊपर आप बहस नहीं कर सकते।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप मेरी बात सुन लीजिये। आप यदि बैठ जायं तो मैं अपनी बात कह दूं। आप खड़े हो जाते हैं तो मैं कह नहीं सकता। मेरा निवेदन यह है कि आप कौन्सिल के बयान को छोड़ दीजिये। आप उसके बयान के ऊपर मेरे व्यवस्था के प्रश्न को खारिज मत कीजिये। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह औचित्य का प्रश्न नहीं है? सरकार का सदन के अन्दर गलत बयानी करना उचित है? यह औचित्य का प्रश्न नहीं है? अगर माननीय सूचना मंत्री ने इस सदन के अन्दर गलत बयानी कर दी तो क्या यह औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता?

श्री अध्यक्ष—

नियम संख्या ३०० (६) में दिया गया है कि—(६) कोई सदस्य—

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो , या
(घ) काल्पनिक, या
(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ीं, तो ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेंगे ।

इस तरह की चीज आप जानकारी हासिल करने के लिये उठा रहे हैं। यह औचित्य का प्रश्न नहीं होता। यदि आप कोई चीज चाहते हैं तो वह दफा १०३ में आवें, वह ३०१ में नहीं आ सकती।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी। हम लोग उस व्यवस्था के विरोध मे कोई शब्द नहीं कहना चाहते। एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी ने कुछ आपत्ति उठायीं थीं। तो मेरा निवेदन है कि उस पर विचार कर लें और यदि सम्भव हो तो हमारा निवेदन स्वीकार करके इस व्यवस्था पर भी पुनर्विचार करने की कृपा करें। हमारे मित्र, श्री शिवराज सिंह जी ने जो आपत्ति उठाई यह इन्होंने ३०१ में नहीं बल्कि ३०० के अन्तर्गत जो सीमायें दी गई हैं, उन पर आपत्ति उठाई और उसमें यदि (२) वाले खंड को देखेंगे तो उसमें "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा।" तथा दूसरी बात यह है कि—"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।" यह प्रश्न सदन के सामने रहा है जिसका जिक्र स्वामी जी ने किया।

श्री अध्यक्ष—

तत्समय नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस समय तो श्रीमन के सामने यह प्रश्न है। यह जो अखबारों में चर्चा आई जैसा कि यहां पर उत्तर दिया गया और उस उत्तर से बिल्कुल विपरीत उत्तर दे दिया गया। दो उत्तर श्रीमन्, दिये गये, एक तो यह था....

श्री अध्यक्ष—

वह सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है।

श्री आशा राम इन्दु (जिला मेरठ)—

आपके विनिश्चय पर श्रीमन्, बहस नहीं हो सकती है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

उस दिन दो उत्तर दिये गये.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कसे उठा सकते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

३०१ में उठा सकते हैं। मान्यवर, यह तत्समय का प्रश्न हो गया। आज यह इस समय का प्रश्न बन गया। इस समय हम यह कह रहें हैं कि जो उत्तर दिया गया वह गलत दिया गया। यह पहले का प्रश्न नहीं रहा, यह तत्समय का प्रश्न बन गया। सरकार के दोनों उत्तर एक दूसरे के विरोधी हैं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि इस पर एक एक आदमी को बोलने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। जो भी कार्यवाही यहां होगी वह नियमों के अनुसार ही होगी। आप एजेन्डे को देखें। उसमें और दूसरे प्रश्न हैं। अगर इस तरह की कोई रूलिंग आप बता दें और कोई नियम बतायें तो मैं उसे देख सकता हूं। ऐसी बात नहीं है कि आपके दिल में आया और वह तत्समय का हो गया। आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न पूछ सकते हैं। अल्पसूचित प्रश्न मैं स्वीकार कर लूंगा। जब उसका जवाब आयेगा तब वह प्रश्न तत्समय का हो सकेगा। इसका स्पष्टीकरण अगर आप चाहते हैं तो उसका तरीका मैं बता दूंगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र १९७०–७१†

विद्युत् मंत्री (श्री राम लखन)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, १९७०–७१ सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ द्वितीय संशोधन विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७०–३७५ पर)

उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक की प्रति सदन में जलाने के संबंध में श्री श्याम लाल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का सबसे महत्व का है उसको मैं लेता हूं। इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। वह श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने दिया है। कल जो एक और प्रश्न था उसके बारे में कह दूं जो श्री हरनरायन जी के किसी कार्य के बारे में था। तो मैंने कहा था कि उसकी थोड़ी जांच करने के बाद मैं कुछ कहूंगा। मुझे अभी एक दो बयान लेना बाकी है, मैं समझता हूं कि कोई विधायक भी वहां मौजूद थे, उनसे मेरी भेंट नहीं हो सकी है। उनसे पूंछ-तांछ करने के बाद मैं उसके ऊपर चर्चा करने की बात करूंगा।

एक श्री कृष्णचन्द्र शर्मा ने दिया है जो इस प्रकार है—"उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० पर जब माननीय अनन्तराम जायसवाल ने अपना भाषण २५-६-७० को सदन में जैसे ही समाप्त किया वैसे ही माननीय श्यामलाल ने सदन में उस विधेयक की प्रतिलिपि तत्समय तथा आपके समक्ष ही जलायी। मैंने उसी समय माननीय श्यामलाल के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने के लिये कहा था और उसी के अनुसार मैं इसको उठा रहा हूं। इसलिये मैं माननीय श्यामलाल के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।"

---

†छापा नहीं गया।

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

श्रीमन्, कल जैसा कि मैंने आवेदन में निवेदन किया है—उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० के संबंध में कल जब माननीय अनन्तराम जायसवाल का भाषण समाप्त हुआ जिसकी अन्तिम पंक्ति यह थी, "ऐसे विधेयक को तुरन्त ही जला देना चाहिये।" मान्यवर, जैसे ही उन्होंने यह भाषण समाप्त किया वैसे ही इस सदन के माननीय सदस्य श्री श्यामलाल यहां तक आये और उन्होंने उस विधेयक की प्रति यहां पर जला दी। मान्यवर,मेरा यह निवेदन है कि माननीय श्यामलाल का कार्य इस पूरे सदन का अपमान करने के तुल्य है और इस कार्य से इस सदन का अवमान हुआ है और विशेषाधिकार जो इस सदन का है, उसका हनन हुआ है। मेरा विश्वास है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का विश्वास इस सदन के गौरव और गरिमा में रहा है क्योंकि वह गौरव और गरिमा ही प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिये, संसदीय प्रणाली की सुरक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमन्, यह कार्य जो माननीय श्यामलाल ने इस सदन में किया, आपके समक्ष किया और समस्त सदन के समक्ष किया। तो मेरा यह निवेदन है कि इससे ज्यादा कोई अनुचित कार्य और सदन में नहीं हो सकता था जो उन्होंने किया और मान्यवर, चूंकि आपके समक्ष यह कार्य हुआ है, इस सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है। इसलिये मान्यवर, में आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो कार्य यहां पर हुआ है, उसके सम्बन्ध में मेरा जो प्रस्ताव है और जिसे मैंने दिया है, उसकी आप अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं क्योंकि इसमें दिया हुआ है—"यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो, तो अध्यक्ष अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे।" इसलिये मैं आपको सुनना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, ऐसा प्रश्न तो किसी एक सदस्य का नहीं होता है, बल्कि सारे सदन का होता है। इसलिये उनके बोलने के बाद आप हम लोगों को भी अवसर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वह तो बाद की बात है।

श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह बात सही है कि कल मैंने माननीय सदन में गुंडा विरोधी विधेयक की प्रति जलायी। मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि जो कानून, जो विधेयक जनहित में न हो, जनता को कुचलने के लिये हो, सरकार विरोधी सदस्यों को कुचलने के लिये हो, जनता के लिये उस प्रक्रिया को लाने की बात सोची जा रही है, जिसके अन्तर्गत शताब्दियों से गरीब आदमी कुचले जाते रहे हैं, परेशान किये जाते रहे हैं और तरह-तरह के गलत मुकदमों में फंसाये जाते रहे हैं। मान्यवर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं इसे अपना कर्तव्य समझता हूं और मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि जनहित के विरुद्ध जब भी कोई बिल आयेगा तो उसे मैं अपना कर्त्तव्य समझ कर इसी प्रकार से जलाऊंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, शर्मा जी ने इस विषय को उठाकर सदन के साथ अहसान किया है और इस पर पूरी सफाई हो जाय, इसलिये मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने भाषण में कहा अपनी प्रक्रिया में और जो इसके अन्दर आदेश होगा.....

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में उसकी ग्राह्यता के बारे में ही बोलें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं वही कहना चाहता हूं, अंग्रेजी जमाने में जो गुण्डा ऐक्ट था उससे भी ज्यादा गया गुजरा और काला यह कानून है। यहां पर इस सदन में सभी को बोलने की आजादी है और आप शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मत अभिव्यक्ति एक तो मुंह से बोलने से होती है, और एक इशारे से होती है और एक काम से भी अभिव्यक्ति हो जाती है। तो एक आदमी अपने मत अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल मुख से बोलकर कर सकता है, मूक रहकर इशारे से भी कर सकता है और किसी काम के जरिये से भी कर सकता है। इसी तरह से अपने काम के द्वारा अपने मत को व्यक्त करने का प्रयास श्यामलाल जी ने किया है। जो उन्होंने प्रति जलाई है, उसमें सदन का किसी तरह से अवमान नहीं है और न यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। स्वयं आपकी रूलिंग है कि किसी विधेयक की प्रति फाड़ दी जाय, या कागज फाड़ दिया जाय वह सदन का अवमान नहीं है। तो इस प्रकार का कार्य कभी सदन का अवमान माना ही नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्तुत तो उसे करें आप, जब आप यह कह रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरी पार्टी के सचेतक श्री शास्त्री जी उसे लेने जा रहे हैं। श्यामलाल जी जिस जाति से अपना संबंध रखते हैं वह जाति पुराने समय से सदा इस प्रकार के कानूनों द्वारा पीसी जाती रही है। इसलिये उनकी ऐसे काले कानून के प्रति विशेष नफरत हो सकती है। यह कहने की जरूरत नहीं। जो १०९ व ११० के कानून रहे हैं, वे सदा गरीबों के खिलाफ इस्तेमाल किये जाते रहे हैं और ज्यादातर पिछड़े और दबे हुए लोगों के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। श्रीमन्, आपको स्मरण होना चाहिए कि मुख्य मंत्री स्वर्गीय पंत जी ने सन् ४८ में यू०पी० प्रिवेंशन आफ क्राइम ऐक्ट को पेश करके यह स्वीकारा था कि यह जो गुन्डा विरोधी ऐक्ट है, उससे कोई काम नहीं चला है, इसलिये वह इसको रिपील करके यह विधेयक ला रहे हैं, जिसकी अवधि सन् ५२ तक थी।

श्री अध्यक्ष—

आप इस बात पर बोलिये कि विधेयक को जलाना सदन का अवमान है या नहीं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैंने यह निवेदन किया कि जब यह तस्लीमशुदा चीज है, जब इनसे भी योग्य एक मुख्य मंत्री ने इसे माना है कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है और यह काला कानून है, तो इसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह की मत अभिव्यक्त करने के लिये उन्होंने इसको जला दिया, तो यह उनके मत की अभिव्यक्ति मात्र है। इससे सदन का किसी तरह से अवमान नहीं होता है, इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसे आप किसी तरह से भी ग्राह्य न करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसकी ग्राह्यता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, अन्य किसी पहलू पर नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह आपको बताना आवश्यक नहीं है कि जहांतक इस सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न है, वे निश्चित हो चुके हैं। जितने भी प्रश्न उठते हैं, उधर से कहा जाता है कि हम लोगों के, इस सदन के विशेषाधिकार वही हैं जो हाउस आफ कामन्स में हैं। और वे निश्चित हो चुके हैं। और नये विशेषाधिकार उठाये नहीं जा सकते।

इस सारे बजट सेशन में जितने विशेषाधिकार के प्रश्न इधर से उठाये गये हैं सबको आरम्भ में ही ग्राह्य नहीं किया गया, खारिज कर दिया है। एक आध शब्द कहने का अवसर मिला है या नहीं मिला है। मुझे आश्चर्य हुआ, यह पहला विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय कृष्णचन्द्र शर्मा के माध्यम से इस सदन में उठाने दिया गया है। कौन-कौन से विशेषाधिकार हम लोगों के हाउस आफ कामन्स के मान्य हैं यह आप जानते हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता है। कोई भी सदस्य कोई भाषण दे तो न्यायालय में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। या कोई सदस्य अपना विचार व्यक्त करने के लिये रोका नहीं जा सकता या सदन में आते समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर क्रिमिनल केस में गिरफ्तार किया गया है तो उसकी सूचना देनी चाहिये। खींचखाच करके यह भी आया है कि अगर सदन में कोई झूठी बात कहे जिससे सदन भ्रम में पड़े तो विशेषाधिकार में आ जाता है। हालांकि मैं निवेदन करूं कि एक नहीं सकड़ों ऐसे तथ्य हम लोग इस सदन में लाये हैं जबकि सरकार की तरफ से आज एक वक्तव्य दिया गया है कल दूसरा वक्तव्य दिया गया है, प्रेस में कुछ वक्तव्य दिया गया है, सदन में दूसरा वक्तव्य दिया गया है। काउंसिल में एक वक्तव्य दिया गया है, इस सदन में दूसरा वक्तव्य दिया गया है। हालांकि मान्य विशेषाधिकारों में आते हैं, लेकिन श्रीमन् ने स्वीकार नहीं किया। उसका खेद हम लोगों को है ही। किसी कागज को जलाना....

श्री अध्यक्ष—

बिल को जलाने का प्रश्न है कागज को नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

बिल कागज ही होता है। हम आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहते हैं। केन्द्रीय सरकार ने हिन्दू कोड बिल उपस्थित किया। पार्लियामेंट में एक स्वामी जी थे। उनकी भावनाओं ने बड़ा उद्गार किया और अपने को नियंत्रित नहीं कर पाये। सारे हिन्दू कोड बिलों को पार्लियामेंट में बैठकर आग लगाना शुरू कर दिया। आपके सचिव जो बड़े होशियार हैं। हम लोगों की बातों को काटने के लिये कुछ न कुछ उदाहरण दे दिया करते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह ज्यादती है। यह गलत बात है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैं उनका बहुत आदर करता हूं। वह चीज हुई थी दिल्ली में। आप उसको मंगा लें। प्रोसीडिंग में दिया है। वहां के गार्ड और पुलिस ने जाकर सारी राख को बटोर करके पता नहीं जमुना में बहवा दिया था, नालियों में बहवा दिया। लेकिन उसकी सफाई हो गई। स्वामी जी को दिन भर के लिये कह दिया गया कि सदन से बाहर कर दिया गया। कोई उन पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं लाया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि उनको क्यों हटाया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय—

वह तो इसलिये हटाया गया कि आग न लग जाय । लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आया । माननीय श्यामलाल जी ने जलाया, जो हमारे गार्ड हैं, उन्होंने इस डर से कि आग न लग जाय, राख को हटा दिया । यह ठीक किया । हाउस आफ कामन्स जिस समय अपने विशेषाधिकारों के लिये लड़ रहा था आप इतिहास उठा कर देख लें, वहां तलवारें चली हैं लेकिन हमारी पार्लियामेंट में और असेम्बली में ऐसी परिस्थतियां आयी हैं कि सरकार ने झूठ बोला है, उत्तेजना पैदा किया है, जन विरोध किया है लेकिन तलवारें नहीं चलीं । यह हम लोगों की कायरता थी । वहां कभी नहीं आया दो सौ वर्ष के इतिहास में कि कागज जलाये हों लेकिन हमारे यहां लोक सभा में हिन्दू कोड बिल को जलाया गया और यहां पर काशीनाथ मिश्र मेम्बर थे, सोशलिस्ट पार्टी के एक ऐप्रोप्रियेशन बिल पास हुआ था जो कि उनके मत में जनविरोधी था, उन्होंने उसको फाड़ कर उड़ाया । लेकिन विशेषाधिकार में नहीं लिया गया । मैं पूछता हूं कि एक बिल है ऐसे उड़ा दिया जाय या फाड़ दिया जाय या उसको दियासलाई लगा दी जाय, जब तक किसी माननीय सदस्य के भाषण में अवरोध उत्पन्न न हो · · · । माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा यह कहते कि वह भाषण देने जा रहे थे और आग लग जाने से उनके दिल पर इतनी कड़ी चोट लगी कि वह भाषण न दे सके तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न हो जायगा । लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई । हाउस आफ कामन्स के जितने विशेषाधिकार हैं कहीं पर बिल के जलाने पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आया । मुझे खेद है कि आपने शर्मा जी को इसको पेश करने का अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

अवसर तो दिया ही जाता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किसी इल्जाम पर गौर करने के पहले उसमें जो भावना निहित है उस पर भी सोचना होगा ।

श्री अध्यक्ष—

यही तो उन्होंने कहा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जहां तक उनकी नीयत का ताल्लुक है वह खराब नहीं थी । आग लगने की बात है, उसके लिये पूरी अहतियात बरती गयी, उसको फौरन बुझा दिया गया । गार्ड के आने के पहले ही वह खत्म हो चुकी थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे देखा है । मैं ज्यादा जानता हूं ।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय शर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है अगर वह प्रश्न न भी उठाते तब भी यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता । आपके नियम इस प्रकार से हैं, "यदि विषेशाधिकार का भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ।" लिहाजा शर्मा जी अगर यह प्रश्न न भी उठाते तो भी यह विशेषाधिकार

की अवहेलना का प्रश्न बन जाता। मैं आपकी आज्ञा से मेज पार्लियामेंट १६ वें एडीशन के पृष्ठ १०६ से इस सम्बन्ध में कुछ पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं :

"Any disorderly, contumacious or disrespectful conduct in the presence of either Houses or any committee thereof, whether by strangers present or by persons attending as parties or witnesses, will constitute a contempt."

निश्चित रूप से बिल का जलाना एक डिसआर्डली ऐक्ट है, उसको आर्डली नहीं कहा जा सकता। यह कन्ट्यूमेशस भी है। सदन के समक्ष कोई बिल पेश हो उसे जला कर फेंक दिया जाय तो यह अनादर सूचक है, इसमें सदन का अवमान है। जायसवाल जी ने कहा कि यह विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति थी। शब्दों से भी हम कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनसे सदन का अवमान होता हो। बिल के जलाने से सदन के जलने की संभावना है, पड़ोसी के जलने की संभावना है और सदन में यह एक प्रकार से डिसआर्डर है। जगह-जगह अगर सदन में होली कर दी जाय तो क्या अवस्था हो जायगी, व्यवस्था रहेगी या नहीं रहेगी? तो निश्चित रूप से यह ऐसा कृत्य था जो डिसआर्डली कृत्य में आता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उसको कंटेम्प्ट की संज्ञा दे दी गयी है और मैं कृष्णानन्दराय जी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे वही विशेषाधिकार माने हैं जो हाउस आफ कामन्स के हैं और वहां इस प्रकार के जितने डिसआर्डली ऐक्ट हैं उनको कंटेम्प्ट की संज्ञा दी है। इसलिये निश्चित रूप से सदन में बिल का जलाया जाना हाउस का अवमान है। और इस सम्बन्ध में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नियमों के अनुसार इस पर आवश्यक कार्यवाही करें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननवर, आप इजाजत दें, तो मैं ये रूलिंग पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप पढ़ें।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, यह घटना ११ अप्रैल, १९६० की है। इसमें श्री भूप किशोर जी जो यहां के एक सदस्य थे उन्होंने यहां रामायण के कुछ पन्ने फाड़े थे। उसी पर श्री लालबहादुर जी ने यह विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया था। उसमें रूलिंग दी गई है। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष–पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन अप्रैल, १९५२ से २२ दिसम्बर १९६७ तक जो पुस्तक है उसके पृष्ठ ४८६ में दिया हुआ है। इसमें लिखा है— "१८–सदन में किसी पुस्तक के पन्ने फाड़ने का अवांछनीय प्रदर्शनकर अन्य माननीय सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अनुचित है किन्तु यह कार्य विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है।

१२ अप्रैल, १९६० को श्री लाल बहादुर ने श्री भूप किशोर के विरुद्ध उनके द्वारा ११ अप्रैल, १९६० को सदन में रामायण के पन्ने फाड़ने के कारण विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया।

श्री उपाध्यक्ष ने श्री भूप किशोर तथा अन्य सदस्यों को सुनने के पश्चात् अपनी व्यवस्था निम्न प्रकार से दी—

"मेरे सामने माननीय लालबहादुर जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह विषय महत्वपूर्ण अवश्य है और मैं देख रहा हूं कि कल से आज तक सदन के काफी माननीय सदस्यों ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

इस प्रश्न को उठाया है और कहा है कि इससे ठेस लगी है। आज माननीय भूपकिशोर जी ने जो अपना बयान दिया है, उसमें उनका यह कथन है कि उनका कतई इरादा रामायण के अवमान करने का नहीं था और न किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का था। बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो चन्द चौपाइयां उसमें आपत्तिजनक हैं उनको उन्होंने कहा कि इसमें से निकाल देना चाहिये। मगर यह तो निर्विवाद बात है कि किसी माननीय सदस्य को किसी दूसरे माननीय सदस्य की किसी बात से ठेस पहुंचे तो यह बात अनुचित है और माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिये कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। लेकिन यह विषय विशेषाधिकार का नहीं है। मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से सहमत हूं कि यह विषय विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता। ऐसे विषय लोक सभा में उठाये गये हैं और वहां माननीय उपाध्यक्ष, श्री हुकुम सिंह ने जो व्यवस्था दी श्री जगदीश अवस्थी द्वारा सी० पी० सी० की धारा १४४ का पन्ना फाड़ देने के सम्बन्ध में, उसे मैं आपके सामने रख देता हूं—

"Order, order. I will have to take action if he does not listen to me. It is only speeches that are to be made, not demonstrations. These demonstrations cannot be held inside the House. There ought to be some dignity inside the House. At least, we have to maintain that. I could not quite appreciate what the Hon'ble Member meant when he said that he would disobey this section even inside the House. This is not becoming of an Hon'ble Member to make such demonstrations inside the House. He is complaining against Government that they resort to bullets and other things. He has not done anything less so far as words were concerned."

माननीय उपाध्यक्ष ने वहां भी यही होल्ड किया कि जिस काम के लिये सदन बना है उसके अलावा एक डिमान्स्ट्रेशन या प्रदर्शन किया गया है तो वह ब्रीच आफ आर्डर हो सकता है जो कि माननीय सदस्य के लिये उचित नहीं था ऐसा करना। और इसी किस्म का आबजरवेशन उन्होंने, इत्तफाक से माननीय हुकुम सिंह जी उस दिन भी चेयर पर थे, जब मनुस्मृति के पन्ने फाड़े गये थे, ४ मार्च, १९६०, को तो अपनी यही बात दोहराई थी कि इसलिये मैं इस प्रश्न को न तो विशेषाधिकार का प्रश्न समझता हूं और न इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करूंगा। लेकिन मैं भी अन्य माननीय सदस्यों की तरह से सभी माननीय सदस्यों से अपील अवश्य करूंगा कि सदन में कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं होना चाहिये जिससे दूसरे सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। मैं समझता हूं कि उस स्थिति को माननीय भूप किशोर जी भी समझ गये हैं। उन्होंने यह कहा कि उनका कतई ऐसा कोई इरादा नहीं था और विशेषाधिकार के या और प्रश्नों में अगर माननीय सदस्य यह यह दें कि उनका कोई इरादा नहीं था तो वह प्रायः समाप्त हो जाता है, लेकिन यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता भी नहीं है और मैं इसको विशेषाधिकार का प्रश्न मान कर विशेषाधिकार समिति को भेजने की बात अस्वीकार करता हूं।"

इसमें आप देखेंगे कि बहुत विस्तार के साथ सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। जहां तक रामायण के फाड़ने का प्रश्न था उसमें किसी को ठेस पहुंच सकती थी, लेकिन जहां तक इस बिल की प्रति जलाने का प्रश्न है, इसमें किसी को ठेस पहुंचने की बात नहीं है क्योंकि हाउस की बहुत बड़ी संख्या ने उसका विरोध ही किया था। इसलिये श्याम लाल जी की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुये इसमें किसी को ठेस पहुंचाने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप दुबारा भाषण न दें। आपने सिर्फ रूलिंग पढ़ने को कहा था।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

श्रीमन्, उसमें अहतियात भी बहुत बरती गयी और गार्डों के वहां पहुंच जाने से पहले आग को बुझा दिया गया। इसलिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है और न इसके विशेषाधिकार समिति को भेजने की आवश्यकता है।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने इस सवाल को उठा कर हम लोगों को इस सवाल पर ठीक तरह से विचार करने का मौका दिया है । मैं माननीय जायसवाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक रूलिंग पढ़ी , लेकिन उस रूलिंग ने श्याम लाल जी का केस कमजोर कर दिया । उन्होंने रामायण के पन्ने फाड़ने की मिसाल दी । लेकिन रामायण इस हाउस की प्रापर्टी नहीं थी, लेकिन यह बिल इस सदन में आ चुका है और इस सदन की प्रापर्टी हो चुका है । इसलिये इन दोनों में स्पष्ट अन्तर है ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

हाउस की प्रापर्टी क्या होती है, जरा इस पर भी प्रकाश डालें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको दूसरे को भी बोलने देना चाहिये ।

श्री जगवीर सिंह—

उन्होंने एक तर्क यह भी रखा कि वह भी अपने विचार रखने का एक तरीका है । लेकिन इस सदन में बोल कर अपने विचार रखे जाते हैं, इसके सिवाय और क्या तरीका हो सकता है ? क्या यह तरीका हो सकता है कि इस हाउस में आग लगा दी जाय या यहां पर हम लोग लड़ने लगें । हो सकता है कि वह इतने नाराज हो गये हों कि यह काला कानून है, लेकिन उन्होंने बिल में आग लगा दी, उससे सदन में भी आग लग सकती थी, वह बहुत ही अनुचित बात होती । इसलिये क्या यह ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है ।

हमारे माननीय मित्र, कृष्णानन्द राय जी ने भी एक बात कही कि उससे किसी के कर्त्तव्य पालन में कोई अड़चन नहीं आयी । इस बात ने भी उनके केस को कमजोर किया । मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि भारत सिंह चौहान को आपने बोलने के लिये बुलाया था । इसी बीच उन्होंने इस बिल को जलाया जिससे उनके कर्त्तव्य पालन में बाधा पहुंची । इसलिये मेरे विचार में इससे ज्यादा क्लिअर केस ब्रीच आफ प्रिविलेज का और कोई नहीं हो सकता ।

*श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

आपके सामने इस समय माननीय कनौजिया जी का विशेषाधिकार का प्रश्न है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह विशेषाधिकार का सवाल है, जिसके बारे में अनन्त राम जायसवाल जी ने रूलिंग भी पढ़ी, यह तो एक सीधी सी बात है । जो बिल सदन के समक्ष विचाराधीन था उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, लेकिन एक माननीय सदस्य को उससे इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने उसको जला कर इस प्रकार से अपने विचारों को उस रूप में जाहिर किया । सन् १९६७ में इसी हाउस में जब संविद कीसरकार थी तो उर्दू के बारे में जो बिल आया था सरकारी पक्ष की तरफ से ही श्री मंजूर अहमद साहब ने उस बिल को फाड़ दिया था । संविद की सरकार के जमाने में चौधरी साहब के मुख्य मंत्रितत्व काल में २—३ घटनायें इस प्रकार की हुईं, लेकिन किसी के बारे में भी प्रिविलेज का सवाल नहीं उठा । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो बिल आया उसके सम्बन्ध में जिन-जिन व्यक्तियों ने अपने मत का इजहार करने की कोशिश की उन्होंने अपने-अपने शब्दों में रखा और माननीय कनौजिया साहब ने जो एक पीड़ित हैं और एक छोटी जाति के हैं, जिनको इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम करन]

बात का एहसास था कि वर्षों से हमारा समुदाय पिसता चला आ रहा है फिर भी यह सरकार पीसना चाहती है तो जो साधारण लोग थे उनका थोड़ा सा गुस्सा आगे बढ़ा और मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि कनौजिया साहब ने कहा कि यह मेरी फीलिंग थी, मैं इसको काला कानून मानता था, मैं समझता था कि इससे मेरे समुदाय की रक्षा नहीं होगी इसलिये मैंने ऐसा किया। इससे सदन के अवमान का सवाल नहीं आता। यह व्यक्ति की राय के इजहार का सवाल है। इसलिये मेरा खयाल है कि इसको यहीं समाप्त कीजिये।

*श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

जहां तक मंत्री जी ने आर्डरली शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ कहा उसके सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को पढ़ देना और उसके एक-एक शब्द को समझ लेना बहुत मुश्किल काम है। ट्रेजरी बेंचेज की तरफ अपना विरोध प्रकट करने के लिये ब्रिटिश पार्लियामेंट में ग्लैडस्टन ने अपना जूता दिखाया तो अगर श्यामलाल जी ने अपना विरोध जबान से न कर, अपने हाथ से न करके अगर जला कर के प्रकट कर दिया तो कौन सी बात हो गयी और अपोजीशन में बैठ कर उन्हीं के आदमी जूता फेंकें तो कौन सा बड़ा अन्तर हो गया!

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं आपके सामने जो भाषण कर रहा हूं तो यकीनन इसमें भी कोई चीज जल रही है जिसको आप खून कहते हैं। जब समाज के प्रति अन्याय हो रहा है तो उसके प्रति हम लड़ते हैं और लड़ने का तरीका हुआ करता है। अहिंसात्मक कार्यवाही के लिये हम सब कुछ करने के लिये तैयार हैं, केवल नाम करने के लिये, भ्रान्ति पैदा करने के लिये नहीं। अगर कुर्सियों पर आप ठीक तरीके से नहीं बैठेंगे तो ग्लैडस्टन की तरह से हम जूता दिखा कर बैठेंगे। क्या हम अपना खून जलाते रहें? क्या हम अपने आपको भस्म कर दें? माननीय राकेश चतुर्वेदी ने इसी सदन में १९६७ में एक बिल को जलाया था। कृपा करके मेरे खून को ज्यादा न जलवाइये। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस चीज को यहीं समाप्त किया जाय।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

अभी शर्मा जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया उस पर बहस चल ही रही थी और निर्णय होने को जा रहा था लेकिन अभी माननीय सदस्य ने जिस प्रकार भावना व्यक्त की है और जिस तरह से उन्होंने जूता दिखाया तो सोशलिस्ट महानुभावों का यह तरीका है कि बोलने के बजाय वह इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। इसको भी आप कृपया देख लें।

*शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राह्यता का प्रश्न उपस्थित है कि इसको विशेषाधिकार का प्रश्न माना जाय या न माना जाय। मैं ऐसा समझती हूं कि माननीय श्यामलाल जी ने जब अपना भाषण दिया उसके बाद तो यह बहुत स्पष्ट हो गया कि वह इसको अनुचित नहीं समझते हैं बल्कि वह कहते हैं कि मैंने जो कुछ किया ठीक किया और आगे भी अगर कोई ऐसी चीज होगी तो मैं इसको करूंगा। अभी जो रूलिंग पढ़कर माननीय अनन्त राम जायसवाल जी ने सुनाई उसमें कहा गया है कि इस तरह करना अनुचित था। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा इरादा नहीं था। लेकिन यहां पर स्थिति दूसरी है। माननीय सदस्य को अपने कृत्य पर अफसोस नहीं है बल्कि अपने जोरदार शब्दों में उसकी पुष्टि कर रहे हैं। हमने एक बिल उपस्थित किया है सदन के सामने और माननीय सदस्यों को फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन मिली है। यह परम्परा रही है इस माननीय सदन की कि कोई भी सदस्य वाक्य से उसका खण्डन तो कर सकते हैं लेकिन हिंसात्मक ढंग से नहीं। यह मिसकंडक्ट है। तो श्रीमन्, इस पर विचार करें, यह मेरा निवेदन है। इस प्रकार का मिसकंडक्ट सदन के सामने हो और आपके सामने हो तो उससे सदन की मर्यादा भंग होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि स्पष्ट रूप से सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अवमान का प्रश्न यहां पर उपस्थित हो गया है। इसलिये इसको श्रीमन्, विशेषाधिकार समिति में भेजने की कृपा करें।

*श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे इस बात का खेद है कि माननीय श्याम लाल जी को उस वक्त ठेस लगी जब गुण्डा विरोधी विधेयक आया लेकिन उनकी भावनाओं को ठेस उस वक्त न लगी जब माननीय राम करन जी ने उनको छोटी जाति का व्यक्ति कहा। तब से वह सुन रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मान्यवर, इनको इसे वापस लेना चाहिये।

श्री मही लाल—

यह सदन जनतंत्र का मंदिर है और तमाम वह लोग जो जनतंत्र में विश्वास करते है वह इसके फैसलों का आदर करते हैं और माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो लोक सभा का उदाहरण उपस्थित किया उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि इस माननीय सदन में इस प्रकार का कार्य करना किसी बिल का जलाना सदन का अवमान है। इसी के लिये स्वामी रामेश्वरानन्द जी को दंड दिया गया था और उनको एक दिन के लिये सदन की सेवा से वंचित किया गया था। माननीय कृष्णानन्द के कहने के बाद इस पर विवाद की बात रह नहीं जाती है कि माननीय श्यामलाल जी ने सदन का अवमान किया है बल्कि दूसरी बार सदन के सामने उसको स्वीकार भी किया है। माननीय भूप किशोर की व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध ह उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिये यह कार्य नहीं किया है, लेकिन श्याम लाल जी ने जो कार्य किया है उसको स्वीकार भी किया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महीलाल जी को क्या ठेस लगी, वह यह बता दें।

श्री महीलाल—

जी हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस पवित्र मंदिर को एक माननीय सदस्य ने इस सदन के लिये 'तमाशाघर' शब्द का प्रयोग किया। उस संबंध में मान्यवर, आपकी व्यवस्था है। यह २६ जुलाई, १९५२ का है। उसमें श्री अध्यक्ष से यह पूछा—"मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सदन का कोई सदस्य क्या इस सदन को तमाशाघर कह सकता है।" इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि जी नहीं, "तमाशाघर ऐसा शब्द है, जिसे सदन के लिये उपयोग में लाने में ब्रीच आफ प्रिविलेज हो सकता है। मान्यवर, वहां तो तमाशाघर कहा था और माननीय श्याम लाल जी ने विधेयक की प्रति को जलाकर इसको तमाशाघर बना दिया है। यह सदन का घोर अवमान है।

कई सदस्य—

(विरोधी पक्ष की ओर से) मान्यवर, यह सदन का अपमान कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महो लाल--

इस तरह से उन्होंने सदन का घोर अवमान किया है और इसलिये श्यामलाल जी विशेषाधिकार के अपराधी हैं। मान्यवर, स्वामी रामेश्वरानन्द जी को जो दंड दिया गया वह इस बात की पुष्टि करता है कि श्याम लाल जी ने अपराध किया है और मैंने जिस शब्द का प्रयोग किया उस के केवल प्रयोगमात्र से विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और उसको उन्होंने करके दिखा दिया इसलिये सदन के अवमान करने के कारण उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

श्री श्याम लाल जी कनौजिया के ऊपर जो विशेषाधिकार का प्रश्न लाया गया है वह किसी प्रकार नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने श्री कल्पनाथ सिंह को बुलाया है।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं १०० बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह हो सकता है लेकिन मैंने कल्पनाथ सिंह जी को बुला लिया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय चौधरी चरण सिंह के खिलाफ दिया था उस पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैं अपने निर्णय को रिजर्व करता हूं। मैं अपना जजमेंट इस पर बाद में दूंगा।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, महो लाल जी ने मेरे ऊपर चार्ज लगा दिया इसलिये मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूं। उन्होंने कहा कि मैंने श्याम लाल जी को छोटी जाति का व्यक्ति कहा है। मैंने मान्यवर यह कहा कि उनके यह शब्द थे, श्याम लाल कनौजिया की यह फीलिंग थी। श्याम लाल कनौजिया जी के बहुत बड़े हमदर्द हैं और कुर्सी की लालच में जो इस वक्त हमदर्दी जाहिर करते हैं मान्यवर, आप उन्हें हिदायत कर दें।

श्री महीलाल--

कहा है छोटी जाति के व्यक्ति हैं। कार्यवाही निकाल कर देखें।

श्री अध्यक्ष--

उनको इनसल्ट करने के लिये नहीं कहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आज आपके सम्मुख जो विशेषाधिकार का प्रश्न ग्राह्यता के लिये है श्रीमन्, मैं इस संबंध में आपसे निवेदन करूंगा कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। श्रीमन्, आप देखें विशेषाधिकार के प्रश्न ६३ के अन्तर्गत उठाये जाते हैं। कुछ दूसरे कृत्य होते हैं जिनका सम्बन्ध सदन के सम्मुख किसी ऐसी घटना से हो या किसी माननीय सदस्य का व्यवहार सदन की कार्यवाही में बाधा डालता हो, जैसा हो जाये। यदि किसी माननीय सदस्य की अभिव्यक्ति में बाधा डाली जाय तो शान्ति और व्यवस्था . बनाने के लिये आपको अलग से अधिकार प्राप्त हैं। उन अधिकारों का प्रयोग ठीक उसी समय हो सकता था। उन नियमों का उपयोग उसी समय हो

सकता था जिस समय शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की आवश्यकता हुयी। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि इस सम्बन्ध में माननीय जायसवाल जी ने कहा और उद्धरण भी दिया।

श्री मही लाल—

श्रीमन्, आपने तो इस सम्बन्ध में फैसला कर लिया था और अपनी रूलिंग रिजर्व कर ली थी।

श्री अध्यक्ष—

सिर्फ श्री कल्पनाथ सिंह बोलेंगे और इनके अतिरिक्त और कोई नहीं बोलेगा। इसके संबंध में मैंने रूलिंग रिजर्व कर ली है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप देखें, किताबों के पन्ने फाड़ने के उदाहरण आये और श्रीमन् इस सदन में माननीय राम करन सिंह ने उस बात का जिक्र किया जिस समय कि मुझे इस सदन के सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त था। कोई बिल था या बिल रुपी कोई कागज था, यह आज मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। श्री राकेश चतुर्वेदी ने उसमें यहां सदन में आज लगायी और इमीडिएटली उसको बुला दिया। उनकी मंशा यह नहीं थी कि आग लग जाये, बल्कि वे अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। श्री श्याम लाल जी ने जिस विरोध का प्रदर्शन किया वह माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार के विरोध में था और ऐसे सरकारों के विरुद्ध इस प्रकार का प्रदर्शन होना आवश्यक है। मैं तो यह समझता हूं कि श्री श्याम लाल जी को धन्यवाद का प्रस्ताव देना चाहिये था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री अध्यक्ष —

भावना पर न जायें—अभी रूलिंग की बात है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जिस भावना से यह कृत्य उत्पन्न हुआ, श्रीमन्, आप उसको देखें, कि उसमें क्या भाव निहित हैं। मान लें कि मैं बोल रहा हूं और संयोग से एक शब्द मुंह से निकल जाये जिसका अर्थ हमारे वाक्य से न हो, तो यह माना जायेगा कि अन जाने में वह शब्द निकल गया है। भावना की बात दूसरी थी। ठीक उसी प्रकार से श्री श्याम लाल जी ने वह बात कही। उनका मतलब सदन के अवमान का नहीं था और न किसी माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुंचाना था। उनका मतलब सिर्फ सरकार की जनहित विरोधी नीतियों के विरुद्ध अपनी अभिव्यक्ति करने का है। उस अभिव्यक्ति करने में यह बात डिस्प्युटेड हो सकती है और दो रायें हो सकती है, जिसके लिये आपको अधिकार प्राप्त है। अगर हम इस सरकार से कुछ कहें और इस सरकार के मंत्रियों से कुछ कहें तो कार्यवाही से निकल सकता है। आप उसे वापस लेने की बात कह सकते हैं। आप के ये अधिकार सुरक्षित हैं। पता नहीं उस समय आप पीठासीन थे या और कोई अधिकारी थे।

श्री अध्यक्ष—

मैं पीठासीन था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अगर आप थे तो उसी समय आपको यह कहना चाहिये था कि माननीय कनौजिया जी आपकी यह कार्यवाही उचित नहीं है, अनुचित है। इतना काफी था। केवल इतना आपको कह

[श्री कल्पनाथ सिंह]

कह देना चाहिय था। श्रीमन्, आप यह देखें कि रोज सदस्यों से आप यह कहते है कि इस तरह का वाक्य प्रयोग करना अनुचित है। यह कहना, मैं मानता हूं, उस सदस्य के लिये एक प्रकार की सजा है। आपका इतना कह देना काफी है, न माने वह बात दूसरी है। इतना कहने पर असर न पड़े वह बात दूसरी है। आपका कह देना काफी है। हम तो आपका मान रखते हैं। अगर बहुया सरकार पर, जो इस राज्य का काम काज चला रही है, वाकई असर नहीं पड़ता है, तो बात दूसरी है। माननीय सदस्यों के ऊपर तो इसका पूरा असर पड़ता है। हम लोग तो आपकी बात का पूरा पालन करते हैं।

श्रीमन्, इसीलिये मैं समझता हूं कि अगर इस सरकार में हयादारी होती तो वह इस बिल को वापस लेती और माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी एवज में कनौजिया जी के लिये धन्यवाद का प्रस्ताव लाते।

मेरा एक प्वाइंट और है। कल की घटना पर जब कोई कल नोटिस इस सिलसिले में सदनने नहीं लिया, आपने न सदन छोड़नेको कहा, न कोई प्रतारणा की, न कोई कार्यवाही की, और जब व्यवस्था बनाये रखने के अपने अधिकार का प्रयोग आपने नहीं किया तो आज वह प्रश्न पैदा नहीं होता। अगर आप उनको निष्कासित करते तो शेष अवधि के लिये करते। तो, श्रीमन्, आज इस सवाल को विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर अपनी रूलिंग रिजर्व करता हूं। अब स्वायत्त शासन मंत्री जी का शोधन वक्तव्य होगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ....

(सदन में शोर बहुत होने लगा)

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वायत्त शासन मंत्री जी को बुलाया है। उन्हें शोधन वक्तव्य पढ़ने दीजिये।

११ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न सं० ६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक ११ मार्च, १९७० को श्री मुहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में श्री असरार अहमद ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि यह उत्तर प्रदेश नगर स्थानीय वित्तीय साधन समिति की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई थी।

२—उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि यह कमेटी दो मर्तबा बैठी है। पहली की रिपोर्ट २१ अगस्त, १९६८ को और दूसरी की रिपोर्ट सितम्बर, १९६८ में मिली।

३—उक्त उत्तर ठीक नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है कि कमेटी की रिपोर्ट शासन को ३१ अगस्त, १९६८ को प्राप्त हुई थी।

४—साथ ही साथ श्री राम चन्द्र विकल ने भी यह अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मन्त्री जी कमेटी की मुख्य-मुख्य सिफारिशें बतायेंगे ।

५—उस समय सदन में यह उत्तर दिया गया था कि यह कमेटी इस लिये बनाई गई थी कि यह जो लोकल बाडीज, नगरपालिका और जिला परिषद् हैं, इनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाय । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सी चीजें दी हैं । विस्तार से वह मेरे पास नहीं है । वह रिपोर्ट छप रही है । छप कर आने पर बता सकूंगा ।

६—उक्त उत्तर भी कुछ ठीक नहीं था । सही उत्तर इस प्रकार देना था कि यह कमेटी इसलिये बनाई गई थी कि यह जो नगर स्थानीय निकाय हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाये । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत से सुझाव दिये हैं । विस्तार में वह मेरे पास नहीं है । वह रिपोर्ट छप रही है । छप कर आने पर बता सकूंगा ।

(मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्न है)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९७०) के दूसरे बुधवार के लिये

श्री मोहम्मद असरार अहमद द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६ का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
६—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री लोकल बाडी रिसोरसेज कमेटी की रिपोर्ट जो अगस्त, सितम्बर, १९६८ में सरकार को प्राप्त हो गई है उसे सदन की मेज पर रखेंगे तथा यह बतलायेंगे कि सरकार ने इस रिपोर्ट की कौन-कौन सिफारिशें मान ली हैं ?	६—उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय निकाय वित्तीय साधन समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है और वह छप रही है । इस समिति की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, सदन का मामला है, मैं सदन का सदस्य हूं, कई बार मैं खड़ा हुआ, मेरे बारे में भी जिक्र हुआ है । रामकरन जी ने मेरा जिक्र किया है । जहां ऐसा गम्भीर मसला हो तो वहां मुझे इजाजत मिलनी चाहिये । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पिछली संविद में सन ६७ में लगातार यहां बिल की कापियां फाड़ी गयीं यह बिल अभी आया है । यह अभी पास नहीं हुआ है । यह कमेटी के पास जायगा वहां से होकर आयेगा तब फिर जाकर यह कानून की शक्ल लेगा । तो यहां पर इस पर बहस चल रही थी जिस समय वह घटना हुई । वह कानून की शकल में नहीं था । जब तक इसकी शकल कानून की शकल में न हो जाय तब तक इस तरह से करने पर सदन का अवमान नहीं होगा । जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में शक्ति होगी उनकी शक्ति के वे लोग शिकार होते हैं जिनके हाथ में शक्ति नहीं होती है । माननीय श्याम लाल जी का तजुर्बा होगा कि हमारे देश में इस तरह का कानून ९५ फीसदी जनता की हिफाजत नहीं करता । तो जो कानून चरण सिंह जी ला रहे हैं वह एक परसेन्ट जनता की भी हिफाजत नहीं करता है । यह तो बी० के० डी० के लोगों की हिफाजत करता है ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय कनौजिया जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न आया लेकिन माननीय चौधरी चरण सिंह के खिलाफ भी हमने विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा था । कल मैं आपके कमरे में गया था वहां पर आपसे कहा था ।

श्री अध्यक्ष—

आपने ११॥ बजे दिया था । वह मैंने देखा नहीं है । मैं देख कर बताऊंगा ।

उत्तर प्रदेश शहरी (भवन किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० (क्रमागत)†

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, एक कानून तो किराये के सम्बन्ध में पुराना है और एक आज सदन के समक्ष आया है। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुये यह स्पष्ट होता है कि यह विधेयक प्रसार के दृष्टिकोण से सिकुड़ गया है। पहले पुराने विधेयक के अन्दर इसका प्रसार म्युनिसिपल एरिया से २ मील यानी ३ किलो मीटर तक रखा गया था लेकिन इस विधेयक के अन्दर केवल एक किलो मीटर रखा गया है। इसलिये इसमें सिकुड़न आ गई है। इसलिये मन्त्री जी से निवेदन है कि इसकी सिकुड़न को बढ़ायें। बेदखली की प्रक्रिया के सिलसिले में जिलाधीश की स्वीकृति हटा कर मकान मालिक को और अधिकार दिया गया। अब मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस विधेयक की अशुद्धियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहले तो यहां पर शब्द "औरत" छपने के कारण कुछ बातें कही गई थीं तो आपने कहा था कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने नहीं दिया जायगा। श्रीमन्, इस विधेयक में आप देख लें एक नहीं अनेक अशुद्धियां हैं।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव, पीठासीन हुए।)

आप कृपया अध्याय ३ पर धारा ११ में दूसरी लाइन देखने की कृपा करें। उसमें लिखा है कि "खाली हो या खाली हो गया हो अथवा किसीखाली होने वाला हो," तो इसमें यह "किसी" जो लिखा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मन्त्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि यह क्यों लिखा गया है? पृष्ठ ७ पर जो यह खंड १६ का उप खंड (४) है उसमें आप देखें, इसमें लिखा है कि "प्रदेश" आदेशमें यह निर्दिष्ट किया जायगा, तो यह प्रदेश आदेश क्या है? यह शायद 'प्रदेशन' होगा। यह भी एक गलती इसमें है। इसको भी मंत्री जी देख लें।

अब आप पृष्ठ ९ पर भी देखें, यह धारा २१ का जो शीर्षक दिया है उसमें लिखा है "नियुक्त के लिये कार्यवाहियां।" यह "नियुक्त" से क्या मतलब है? यह नियुक्ति तो हो सकता हैं। इसको भी मंत्री जी देख लें।

इसी तरह से पृष्ठ १० पर आप देखें यह जो धारा २४ है उसका पहला उप खंड जो है उसकी पंक्ति २ में आप देखें, उसमें लिखा है कि अथवा उससे संलग्न कोई भूमि नियुक्त कर दें "यह नियुक्ति" शब्द कैसे है, इसको भी देखकर मंत्री जी शुद्ध करा दें। जब इतनी बड़ी-बड़ी अशुद्धियां इसमें हैं तो इसको तो यों ही फेंक देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इस में जो यह बहुत सी त्रुटियां बताई जा रही हैं इन के बारे में मंत्री जी को क्या कहना है?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

श्रीमन्, यह जो गलतियां हैं यह छापे की गलतियां हो सकती हैं, यह गलतियां जानबूझ कर नहीं हुई हैं, यह प्रेस में कम्पोजिंग की गलतियां हो सकती हैं जिन पर कि माननीय मित्र को आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है तो थोड़े समय के लिये १५ मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दूं ताकि यह सब गल्तियां दूर हो जायं। जैसा उन्होंने बताया कि यह नियुक्त शब्द यहां कोई अर्थ नहीं रखता। मेरी समझ में भी इसका अर्थ नहीं आ रहा है। कल भी मैंने औरत शब्द पर कहा था कि जो कानून पेश किया जाय उसमें ऐसी गलतियां नहीं रहनी चाहिये।

---

†२५ जून, १९७० की कार्यवाही से।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कल ही मैंने कहा था कि यह छापे की गलती है। इसके अलावा अभी तो यह विधेयक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जायगा और उसमें जो माननीय सदस्य होंगे वह इसको पढ़ेंगे और देखेंगे और जो अशुद्धियां होंगी वे वहां शुद्ध की जायंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की अशुद्धियां जिन से खंड के अर्थ ही समझ में नहीं आते वे तो आप यहीं ठीक करा दें, क्योंकि कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं कि मेरी समझमें भी अर्थ नहीं आ रहा हैं और कठिनाई हो रही है। आप तत्काल यदि इनको ठीक न करा सकते हों तो कोई हर्ज नहीं है, आप थोड़ा समय लेकर इसे ठीक करा दें, यह अशुद्धियां ठीक हो जायं तो अर्थ समझ में आ जायगा।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

कुछ देखने की आवश्यकता होगी तो देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप देखें। इसमें शब्द "नियुक्त" दिया हुआ है। तो उस पर क्या होना चाहिये इसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें आप ठीक कर लें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

श्रीमन्, इसके लिये कुछ समय की आवश्यकता होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

तो मैं इसके लिये १५ मिनट का समय देता हूं।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१५ मिनट का समय तो बहुत कम है। इसके लिए कम से कम आधे घंटे का समय चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

तो आधे घंटे के लिये मैं सदन को स्थगित करता हूं। आप अशुद्धियां ठीक करा लें।

(इस समय १ बज कर २३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजकर ५५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम नहीं है। इसलिए सदन सवा दो बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

(इस समय १ बजकर ५५ मिनट पर सदन पुनः स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गलतियां जो इस विधेयक में रह गयी थीं उनको ठीक करने के लिये आपने कुछ समय दिया। मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की है। मान्यवर, १५ मई को एक करेक्शन स्लिप विधायिका विभाग को भेजी गयी थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि वह सभी माननीय सदस्यों को सर्कूलेट न हो पायी। जो गलतियां चौधरी जी ने बतलायी हैं उनको ठीक कर दिया गया है। मैं चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनकी ओर सरकार का

[श्री बलदेव सिंह आर्य—]

ध्यान आकर्षित किया। मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर आगे विचार जारी रखा जाय। अभी भी इसमें कोई कमी रह जायगी तो संयुक्त प्रवर समिति में उसको ठीक कर लिया जायगा, उसकी भाषा को भी देख लिया जायगा और इसकी स्पिरिट को भी देख लिया जायगा तथा जहां जो गलती होगी उसे ठीक कर लिया जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

जो करेक्शन स्लिप है उसको माननीय मंत्री जी सब माननीय सदस्यों को बंटवा दें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अगर खंडशः उसमें शुद्धि करेंगे तो वह यहां नहीं हो पायेगा।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, बिल की जो मंशा है और जो धारायें हैं उन पर इन गलतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह गलतियां सब प्रिन्टिंग और कम्पोजिंग की हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, कल मैं यह बता रहा था कि मकान मालिक को पहले वाले ऐक्ट में मकान खाली कराने के लिए क्या-क्या सुविधायें थीं, और अब क्या दे दी गयी हैं। पहले जो रूल ६ था वह यह था—

"*Occupation by Landlord:* When the District Magistrate is satisfied that an accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant is bona fide needed by the landlord for his own personal occupation the D. M. ma permit the landlord to occupy it himself."

और अब इस विधेयक की धारा २१ में आपने कितनी छूट मकान मालिक को दे रखी है। धारा २१ (क) में है "भवन या उसके किसी भाग की, या तो उसके वर्तमान रूप में या उसे गिराने और नव निर्माण किये जाने.....और (ख) में है-"भवन या उसका कोई भाग जीर्णावस्था में है और वह गिराये जाने तथा नव निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है" यानी इन अवस्थाओं में भी मकान खाली हो सकेगा। जब पहले कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय झारखंडे राय खाद्य मंत्री थे तो उनके समय की बलिया की एक घटना है। एक मकान मालिक ने किरायेदार को बेदखल कराने के लिये गुन्डों को इकट्ठा किया और छत को तोड़ कर गिरा दिया और यह कह कर कि हमको किरायेदार को बेदखल करना है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस घटना की ओर इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि मकान मालिक बड़े क्रूर होते हैं। अगर उसको इस बात का अधिकार रहेगा कि भवन के जीर्णावस्था होने की स्थिति में उसे गिरा सकता है या नव निर्माण कर सकता है, तो वे किरायेदार को बेदखल करने की प्रक्रिया अपनायेंगे। यदि किसी मकान का एलाटमेंट किसी किरायेदार के पक्ष में हो गया और उसका किराया ज्यादा है तो उसका क्या होगा। आप जानते हैं कि मकान मालिक का रिश्ता कलेक्टर से या अधिकारी से बहुत जल्दी हो जाता है। किरायदार चूंकि गरीब होता है इसलिये उसका रिश्ता तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। यदि कोई मकान रिक्त है और वह किसी के नाम एलाट हो जाता है तो उसमें आगे चलकर बहुत से मुकदमे खड़े हो जाते हैं। मकान मालिक कहता है कि इस भाग में मैं रहता हूं और कलेक्टर या नियत अधिकारी जो होता है वह उसी के पक्ष में जाता है। मकान मालिक कहता है कि इसमें हमारे रिश्तेदार आयेंगे या हमारे परिवार के और सदस्य आयेंगे तो वहां पर बड़ी दिक्कत होती है। वह कहता है कि यह भाग हमारे कब्जे में है और इस तरह से जो एलाटमेन्ट होता है वह प्रभावशाली नहीं होता है। एक हिस्से में तो वह स्वयं रहता है और दूसरे को किराये पर उठा देता है जो इल्लीगल और अवैधानिक है। आप रूल १७ को देखें कि पहले वह कितना कड़ा था और अब जो आज बना है वह कितना आसान हो गया है।

आप धारा १७ (२) का अवलोकन करें जिसमें इस प्रकार की प्रक्रिया बतलायी गयी है—"यदि किसी भवन का कोई भाग आवासिक प्रयोजनों के लिये मकानदार के अध्यासन में हो अथवा आवासिक प्रयोजनों के लिये धारा १६ की उप धारा (१) के खंड (ख) के अधीन उसके पक्ष में निर्मुक्त किया जाय, तो उक्त उप धारा (१) के खंड (ख) के अधीन उसके शेष भाग का प्रदेशन मकानदार द्वारा नामित व्यक्ति के ही पक्ष में किया जायेगा यदि मकानदार ने धारा १६ की उपधारा (२) में उल्लिखित नोटिस के जवाब में नामांकन किया हो।"

इस तरह से उक्त धारा (ख) मकानदार द्वारा नामित व्यक्ति के ही पक्ष में जायगा। इस तरह का जो प्राविजन आपने कर दिया है उसके अनुसार मकान मालिक अपने किसी रिश्तेदार को नामित कर देंगे या किसी को घूस देकर ही अपना काम निकाल लेंगे। अब वह कलेक्टर या नियत अधिकारी के स्वविवेक पर नहीं रह जायेगा और उसका नतीजा यह होगा कि उसका एलाटमेन्ट कभी भी नहीं हो पायगा और होना यह चाहिये कि मकान मालिक जिस पोर्शन में रहता है उसका एक खंड हो, और दूसरा पोर्शन किरायेदार के लिए बना दे और इस तरह से मकान के दो खंड बना दें जिससे उसके दो भाग हो जायं। लेकिन इस प्रक्रिया के रहने से अपव्यय होता है, किरायेदार को परेशानी होती है, एलाटमेन्ट नहीं होता है, और लोग हाईकोर्ट तक दौड़ते रहते हैं किराये के बारे में। पहले के बिल में था कि मकान मालिक अपने मकान का सुधार करता है तो वह कितना किराया बढ़ा सकता था ५० परसेन्ट। वर्तमान में क्या है वह सुधार करता है तो वह सुधार के व्यय पर १ परसेन्ट कर सकता है। पहले यह था कि सुधार होगा तो अधिक से अधिक सीमा दी गई कि ५० परसेन्ट ही बढ़ा सकता है। अब उसकी सीमा नहीं रही। अब क्या है, जब सुधार होगा, तो जितना खर्च करेगा, उसका एक परसेन्ट तो बढ़ता ही चला जाएगा। नतीजा यह है कि गरीब यदि किरायेदार है तो सुधार वह अधिक कराता चला जाएगा, क्योंकि जितना वह लगायेगा उसका एक परसेंट उसे देना पड़ेगा। इसका नतीजा यह होगा कि उसको घर छोड़ना पड़ेगा, उसकी बेदखली होगी। तो मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि यह जो प्राविधान रखा है, इसका गरीब किरायेदार पर भार पड़ेगा। इसलिये इसका आप हटाने का काम करें। मुझे खुशी है कि आप भी इस पक्ष में हैं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाये।

इसी प्रकार मैं टैक्सों के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। पहले की सरकार के ऐक्ट में यह एक बटा तीन लगता था, लेकिन हम एक बटा चार ले रहे हैं। बात तो अच्छी लगती है, लेकिन पुराने ऐक्ट में था कि कोई टैक्स किरायेदार को नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज यह है कि जो टैक्स म्युनिसिपल बोर्ड लगायेगा या और कोई लगेगा सबको किरायेदार को भुगतान करना है, सिवाये गृहकर को छोड़कर। तो अब टैक्सों की मार किस पर पड़ेगी? किरायेदारों पर। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप किरायेदारों को कष्ट न दें, जिनके पास भवन हैं उनको दें क्योंकि स्वामित्व उनके पास है। जिसके पास स्वामित्व होता है, उसको ही टैक्स नियमतः देना चाहिये। किसी नियम-कानून में ऐसा नहीं रहा है। आप शिकमी को सीरदारी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। जो किरायेदार रहता है, उसको मकान में स्वामित्व नहीं मिल सकता है, जब स्वामित्व नहीं मिलना है तो आप इस प्रकार का प्राविधान क्यों करते हैं कि अन्य टैक्सों की अदायगी वह करेगा।

मैं मंत्री जी का अधिक समय न लेकर एक बात की तरफ और ध्यान दिलाऊंगा। एलाटमेंट आर्डर के बारे में। एलाटमेंट आर्डर जो है उसको हम किस की मर्जी पर दे रहे हैं। किरायेदारों और गरीबों के हित में अब कलेक्टर एलाटमेंट आर्डर नहीं देने जा रहे हैं। अब मकान मालिक की मरजी पर कलेक्टर्स एलाटमेंट आर्डर देंगे। पहले क्या था, उसे मैं आपको पढ़कर सुनाये देता हूं। यह है पहले का, धारा (७) (२)—

The District Magistrate may by general or special order require a landlord to let or not to let any person any accommodation which is or has fallen vacant or is about to fall vacant.

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

अब जो किये हैं वह पढ़ देता हूं। पहले था "बाई जनरल आर स्पेशल आर्डर"। अब आप कहते हैं "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आर्डर दे सकता है।" इसमें अलाटमेन्ट का फोर्स नहीं रह गया। "मकान मालिक से किसी भवन को, जो खाली हो गया हो अथवा खाली होने वाला हो, या ऐसे भवन के किसी भाग को (किन्तु केवल संलग्न भूमि को नहीं) आदेश में निर्दिष्ट व्यक्ति को किराये पर देने की अपेक्षा की जाय।" आदेश जिस में फोर्स न हो वह आदेश नहीं रहता। आप अपेक्षा करते रह जायेंगे वह जा कर पहले कब्जा कर लेगा। तब आप कहेंगे, क्योंकि आपने आगे कह दिया है कि अगर वह एलाट होने के बाद अगर मालिक मकान उसका पालन न करके जबरदस्ती अधिकार कर लें, जबरदस्ती अध्यासीन हो जाय तो नोटिस दीजिये, हटाइये, सुनवाई कीजिये। जिसको एलाटमेंट किया गया है जिसको मकान की जरूरत है, उसको पजेशन नहीं मिल पायेगा और उसका एलाटमेंट आर्डर एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जायगा।

माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर और दिलाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या है, हमारे माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी किया था। समस्या यह है कि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो जाता है। वह फैमिली ले कर चला जाता है लेकिन वह दो-दो वर्ष तक मकान नहीं छोड़ता क्योंकि वह कम किराये का होता है। अपना कोई छोटा मोटा सामान रख देता है। मैं बलिया का बता दूं। कितने अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर हो गया, वे वहां से चले गये लेकिन मकान छोड़ा नहीं। किसी को अपने परिवार का सदस्य करके रख दिया। १२ में आप देख लेंगे। हटा लिया हो और उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार का सदस्य न हो, अध्यासन कर लेने दिया हो। आज यह समस्या हो गयी है। अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन ट्रांसफर हो जाने के बाद भी मकान खाली नहीं करते। इस लिये अधिकारियों का जब ट्रांस्फर हो जाय और जहां ड्यूटी ज्वाइन कर लें तभी मकान का खाली होना समझा जाना चाहिये। इस प्रकार का प्राविधान बन जाना चाहिये।

अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान किराये की तरफ दिलाना चाहता हूं। किराया जो आप तय करने जा रहे हैं। पुराने जो किरायेदार हैं उनके मकानों का भी किराया वर्तमान विधेयक में बढ़ाये जाने की व्यवस्था है, नये जो हैं उनका अनुबन्ध तो बाजार मूल्य पर होगा ही। अब पुराने किरायेदार जो एक निश्चित किराया देते चले आ रहे हैं अपने मकान मालिक को जब उसके लिये भी मकान मालिक नोटिस देकर किराया बढ़ायेगा तो यह कहां तक न्यायसंगत होगा क्योंकि वह किरायेदार तो पहले से अपने मकान मालिक से अनुबन्ध किये हुये चले आ रहे हैं। उस पुराने अनुबन्ध में आप छूट दे रहे हैं। इससे लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी बढ़ेगी। बेदखलियां होंगी और न जाने कितने बसे हुये लोग उजड़ जायेंगे। पुरानों को उजाड़ कर नयों को बसाना क्या यही विधेयक का अर्थ है? इसी को बसाना कहेंगे क्या? ६० तक के जो मकान आप इसमें ले रहे हैं दस वर्ष के हिसाब से उनमें जो किरायेदार हैं इस समय उनको आवंटन होना चाहिये लेकिन विधेयक में देखने से ऐसी कोई प्रक्रिया उसमें मुझे दिखाई नहीं दी। अगर माननीय मंत्री की दृष्टि में आई हो तो वह मुझे बतलायेंगे। मैंने देखा है कि इस प्रकार की कोई प्रक्रिया इस विधेयक के अन्दर दिखाई नहीं दी। पुराने विधेयक में यह भी व्यवस्था थी कि किराया कैसे अदा किया जायगा? किन्तु जो ऐसे मकान हैं जिनका किराया तय नहीं है तो पुराने विधेयक में किरायेदार जिलाधीश को आवेदन-पत्र देता था और उस पर एसेसमेंट के हिसाब से किराया तय हो जाता था और वह किरायेदार को देय होता था लेकिन इस विधेयक में आपने नया खंड जोड़ दिया है कि किरायेदार मकान मालिक से अनुबन्ध करेगा। लिहाजा ये जो खामियां हैं प्रवर समिति में इन पर गौर किया जायगा।

एक चीज और है रजिस्ट्री एवं पट्टा धारा ४४ में आप देखें कि भवन का पट्टा अथवा रजिस्ट्रेशन तब तक स्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि उसके साथ एक सत्य प्रतिलिपि न हो, यह सत्य प्रतिलिपि किस चीज की होनी चाहिये ? लिहाजा सत्य प्रतिलिपि लिखते वक्त कम से कम यह देखना चाहिये था । श्रीमन् किस चीज की प्रतिलिपि होगी । इसमें मेरे खयाल से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। भले ही इस विधेयक की जो भी मंशा हो किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कानून बनाया है वह मकानदारों के पक्ष में ज्यादा है और किरायेदारों के पक्ष में बिलकुल नहीं है। गरीबी की बात माननीय मंत्री जी भी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि गरीबी है। तो उनकी अवश्य सुरक्षा होनी चाहिये ।

मान्यवर, समय कम है, हमारे और भी साथी बोलना चाहते हैं किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे तुल्नात्मक अध्ययन करें पुराने वाले विधेयक की ओर इस विधेयक की । जो पुराना वाला विधेयक है वह अच्छा है। क्यों आप इस बिल को लाकर समय खराब कर रहे हैं । उसी पुराने वाले विधेयक में थोड़ा बहुत संशोधन करके आप इसे ले आते । मान्यवर, महात्मा गांधी से एक आदमी ने पूछा था कि यदि आपको डिक्टेटर बना दिया जाय तो आप क्या करेंगे ? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं सबसे पहले राष्ट्रपति भवन को अस्पताल बना दूंगा । तो वह एक सुधारवादी कदम था । किन्तु यह तो कुधारवादी कदम है जो आप ला रहे हैं । मैं निश्चित मत का हूं कि इस विधेयक को लाकर आपने सोने के घड़े में शराब डाल दी । इसलिये यदि आप चाहते हैं कि गरीबों का भला हो तो आपको क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिये और क्रांतिकारी परिवर्तन आना चाहिये । गांधी जी ने कहा था कि जिनके पास धन आवश्यकता से अधिक है तो उससे वह धन लेकर जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है, मकान नहीं है, सड़कों पर रहते हैं उनको देना चाहिये । इन शब्दों के साथ में माननीय नित्यानन्द स्वामी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इन सुझावों को स्वीकार करके गरीबों और किरायेदारों के हित में नियम बनाने की कोशिश करें ।

*श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये और उसमें कुछ सुझाव देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज हम क्लीन प्रशासन की बात करते हैं कि अपने प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन हो किन्तु आज देखने में यह आता है कि जितने भी हमारे कानून हैं और जितने भी कानून बनाये जाते हैं उनमें अवश्य कोई न कोई कमी छोड़ी जाती है जिससे प्रशासन का स्वच्छ होना असंभव हो जाता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ला कमीशन बनाया है और जिसके अध्यक्ष एक रिटायर्ड जस्टिस टंडन जी को बनाया है। उनकी मंशा केवल यह है कि कानून में जो डिले होती है और जो भ्रष्टाचार का एक तत्व है उसे समाप्त किया जाय । मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि यह जो कानून है उसमें एक सबसे बड़ा लैकुना रह गया है वह यह है कि इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके पैरा १७(१) की ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर धारा १७ (१) इस प्रकार है—

"यदि जिला मजिस्ट्रेट को किसी भवन के रिक्त होने की या रिक्त होने की संभावना की धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन कोई सूचना प्राप्त हो तो उस भवन के संबंध में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मनफूल सिंह]

कोई प्रदेशन आदेश, ऐसी सूचना के प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर दिया जायगा और उसकी सूचना मकानदार को दी जायगी और उक्त अवधि के भीतर कोई ऐसा आदेश न दिया जाय अथवा उसकी सूचना न दी जाय तो मकानदार जिला मजिस्ट्रेट को अपनी पसन्द के व्यक्ति के नाम की सूचना देगा, और तदुपरान्त जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार नामित व्यक्ति के पक्ष में भवन प्रदिष्ट कर देगा, जब तक कि वह इन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उसे ऐसे नामांकन के दिनांक से तीन दिन के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदिष्ट करे"

मान्यवर इसमें यह कहा गया है कि अगर जिलाधीश किसी कारण से डिले कर दे तो मकान मालिक अपनी इच्छा से किसी भी किरायेदार को रख सकता है। जैसा कि आजकल भी हो जाता है अगर कहीं डी०एम० या मकान मालिक की सांठगांठ हो गयी तो वे गरीब लोग जिन लोगों को मकान मालिक अपना मकान नहीं देना चाहता, किसी विशेष जाति का होने के कारण, तब तो यह कानून एक काला कानून ही साबित हो जायगा और ऐसे लोगों को मकान पाने से वंचित ही हो जाना पड़ेगा। इस प्रकार से डी०एम० को इसमें एब्सोल्यूट पावर दे दी गयी है, जो नहीं होनी चाहिये, उससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके आगे १७ की उपधारा (२) में बताया गया है—"यदि किसी भवन का कोई भाग आवासिक प्रयोजनों के लिये मकानदार के अध्यासन में हो अथवा आवासिक प्रयोजनों के लिये धारा १६ की उपधारा (१) के खंड (ख) के अधीन उसके पक्ष में निर्मुक्त किया जाय तो उक्त उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन उसके शेष भाग का प्रदेशन मकानदार द्वारा नामित व्यक्ति के ही पक्ष में किया जायगा, यदि मकानदार ने धारा १६ की उपधारा (२) में उल्लिखित नोटिस के जवाब में नामांकन किया हो।"

इसका मतलब यह है कि शेष भाग के ऊपर कोई डी०एम०से सांठगांठ हो जाती है तो यह भी मकान मालिक के हक में हो जायगा। इसलिये मंत्री जी को इस धारा को हटा देना चाहिये और कलेक्टर को जो एब्सोल्यूट पावर्स दी गयी हैं, वे नहीं रहनी चाहिये।

इसके आगे भाग (२) में किराये का विनियमन है। उसके क्लाज ७ में यह दिया हुआ है :— ७(१) किरायेदार मकानदार को किराये के अतिरिक्त भवन के संबंध में किसी स्थानीय प्राधिकारी को देय गृह कर से भिन्न ऐसे समस्त करों का, चाहे वे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व लगाये गये हों या उसके पश्चात् लगाये जायं, तथा जिन्हें पहले ही तदर्थ अभिव्यक्त अनुबन्ध द्वारा किराये में सम्मिलित न किया गया हो, इस बात के होते हुये भी कि उक्त स्थानीय प्राधिकारी से सम्बद्ध विधि के अधीन ऐसे करों का भुगतान करने का दायित्व मकानदार पर हो, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।"

यानी घर का जो टैक्स है, उसके अलावा जो और मकान पर टैक्स लगेंगे वह किराये दार को देने का विधान रखा गया है। इसके माने यह हुये कि किरायेदार को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जैसे काश्तकार को १० गुना देने की बात है, उसके देने के बाद ही वह भूमिधर बनाया जायगा। इसी प्रकार जो लागत मकान मालिक ने लगायी है, उससे कई गुना पूंजीपति तरीके से उसने किरायेदार से पा लिया है। इसलिये मेरा यह कहना है कि अगर हम सही अर्थों में समाजवादी तरीकों से कानूनों को जनता के फायदे के लिये बनाना चाहते हैं तो ऐसे करों को जो गृह कर के अतिरिक्त हों हटा देना चाहिये। साथ ही इसमें यह भी प्राविधान है कि गृह-कर की वृद्धि में २५ प्रतिशत और किरायेदार को देना होगा। सेक्शन ७ की उपधारा (२) में यह दिया है "उपधारा (१) में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि किसी भवन के संबंध में गृह-कर में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् वृद्धि की जाय तो किरायेदार ऐसी कर वृद्धि की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत भुगतान करने के लिये उत्तर-दायी होगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस किस्म का प्राविधान जो किरायेदार के ऊपर बड़ा भारी बोझ होगा हटा देना चाहिये।

साथ ही मैं यह भी सलाह दूंगा मंत्री जी को कि आजकल मकान मालिक बड़े चालाक

किस्म के होते हैं और अगर उनको नियंत्रित नहीं किया जाता तो उनकी चालाकी कामयाब हो जाती है। अगर मकान मालिक मकान गिराने के लिये आज्ञा मांगता है तो यह जरूर होना चाहिये कि वह नगरपालिका के इंजीनियर के द्वारा या किसी उपयुक्त इंजीनियर के द्वारा यह प्रमाण-पत्र दे जिससे डी० एम० को यह सही मालूम हो सके कि यह मकान गिरने की हालत में है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशनरी पावर पर ही यह छोड़ दिया गया तो बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सेक्शन २१ (१) के (क) और (ख) में किरायेदार को बेदखल करने की बात है। इसमें ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि बिना इंजीनियर के सर्टिफिकेट के कोई भी निर्णय न लिया जा सके।

इसके साथ-साथ अक्सर निर्णयों में बिलम्ब होता है और विलम्ब विशेष तौर से भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। इसलिये विलम्ब को दूर करने के लिये विशेष प्रबन्ध होना चाहिये ताकि निर्णय देने वाले प्राधिकारी उन नियमों से बाहर न जा सकें और देर न हो सके और अगर बिलम्ब कराने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो इसमें यह प्राविधान होना चाहिये कि उसका हरजाना देने के बाद ही वह कोई डेट रख सकेगा।

इसके अलावा जैसी कि आजकल पगड़ी की व्यवस्था है, प्रीमियम देने के बाद ही मकान खाली या किसी को दिया जा सकता है, उसके लिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तरफ विशेष ध्यान दें। हमारे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसा गलत काम करने वाले को दंड दिया जायगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि सेक्शन ११ और १३ में ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे ऐसे लोगों को दंड दिया जा सके और सर्कमस्टांशल एविडेंस के द्वारा ही ऐसे मुकदमें तय होने चाहिये ताकि आसानी से दंड दिया जा से सके। एक तो यह है उपाध्यक्ष महोदय कि मकान किन तारीखों के बीच बना। इसका बर्डन आफ प्रूफ किस पर हो? मकान कब बना इसका बर्डन आफ प्रूफ मकान मालिक पर होना चाहिये ताकि वह सरकार को सूचना दे सके और म्युनिसिपैलिटी या टाउन एरिया जिसके अन्दर हो उसको सूचना दे सके कि यह मकान किस तारीख को बना। इससे मकान अलाट करने में दिक्कत न होगी। इसके साथ-साथ एक समस्या और है। अगर किसी मकान में कोई किरायेदार होता है और उसको कोई खरीद लेता है तो वह तुरन्त उसके इजेक्टमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र देता है और किरायेदार को खाली करने के लिये बाध्य किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे किरायेदारों के बेदखली के लिये कुछ सालों का प्राविधान होना चाहिये। कम से कम दो साल तो उसको मिलने चाहिये जिससे किरायेदार को परेशानी न हो नहीं तो इस बिल का जो उद्देश्य है, किरायेदारों को मकान दिलाये जाने की जो चीज है वह खत्म हो जायेगी। जो लोग मकान खरीद लेते हैं या किरायेदारों से तंग आकर मकान बेचने की सोच लेते हैं, वह उससे मकान जल्दी खाली कराने में कामयाब हो सकते हैं। इसी के साथ-साथ एक चीज यह भी है कि लोग अपना मकान बना लेते हैं और उसको ज्यादा किराये पर उठा देते हैं, लेकिन स्वयं रहते हैं किराये के मकान में और उसका किराया कम देते हैं। तो ऐसे किरायेदारों से मकान खाली करवाने का कोई प्राविजन करें या मालिक मकान को उनसे उतना किराया लेने का अधिकार हो जितना किराया वह अपने मकान का पा रहे हैं नहीं तो उसको अपने मकान में जाने के लिये बाध्य किया जाय।

अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि रिवीजन और अपील के लिये एक ही अधिकारी होना चाहिये। इस कानून के सेक्शन १० में और १८ में एक तरफ तो कमिश्नर के पास अपील करने का अधिकार है और दूसरी तरफ न्यायाधीश के यहां करने का अधिकार है। तो दो जगह न रख कर एक ही अथारिटी होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उनका समावेश इस बिल में कर दें।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह जो प्राविजन है कि किरायेदार की मृत्यु के बाद उसके फैमिली के सदस्यों को उस मकान में रहने का अधिकार रहेगा, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मान्यवर, इस बिल के अन्दर जो फैमिली की परिभाषा दी गई है उसको आप गौर से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह परिभाषा बिल्कुल गलत है और उसमें संशोधन की आवश्यकता है। यह इसमें मजाक किया गया है। मैं इसको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं ।

'.Family" in relation to a landlord or tenant means his or her spouse....."

श्री उपाध्यक्ष—

हिन्दी नहीं है आपके पास। हिन्दी वाला क्यों नहीं पढ़ते हैं।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

हिन्दी वाले में यह है "किसी मकानदार या किरायेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र या पौत्र, अविवाहित विधवा, विवाह विच्छिन्न या न्यायिक रूप से पृथक पुत्रियों, पौत्रियों, या बहिनें" और ऐसे माता पिता, पितामह, पितामही, भाई और भतीजे से है जो सामान्यतया उसके साथ रहते हों और , मकानदार के संबंध में, उसके अन्तर्गत कोई ऐसी महिला भी हो जिसे उसके भवन में रहने का अधिकार हो। तो मान्यवर, जहां तक मेल किरायेदार है या मेल मकान मालिक है वहां पर तो यह परिभाषा ठीक है लेकिन अगर कोई औरत किरायेदार है या मकान मालिक हैतो उसकी मृत्यु के बाद उसका मकान कहां जायगा ? उसके पति को जा सकता है या पुत्र, पौत्र या उसकी अविवाहित पुत्री को और इसके बाद उसके पिता के परिवार में मकान चला जायगा, उसकी बहिन या उसके पिता माता और भाई को। लेकिन अगर उसके शौहर का पिता जिन्दा है तो वह अधिकारी नहीं होगा और उसके शौहर की बहिन उस मकान में रहने की अधिकारिणी नहीं होगी और उसी तरह से उसके पति के आजा और आजी भी रहने के अधिकारी नहीं होंगे। इसी तरह से मान्यवर लैण्ड लार्ड के संबंध में है। लैण्डलार्ड अगर मेल है तो वह अपने इन सभी रिश्तेदारों के लिए रिलीज करा सकता है लेकिन अगर फीमेल है तो अपने शौहर के पिता के लिए खाली नहीं करा सकेगी। उसके शौहर के साथ उसकी बहिन रहती थी तो वह अधिकारिणी नहीं होगी। मान्यवर, यह बहुत बड़ा लैकुना है और मंत्री महोदय जब प्रवर समिति में जायगा तो गौर से विचार करके इसको संशोधित करावेंगे ऐसी मुझे आशा है। मान्यवर इसके बाद मैं आपका ध्यान चैप्टर दो के सेक्शन ८ के सब सेक्शन (२) की ओर ले जाना चाहता हूं :

(2) On an application of the tenant claiming that the agreed rent is higher than the assessment of the building, the District Magistrate, after giving to the parties an oportunity of being heard and considering all circumstances of the case, may, by order, either

(*a*) re-fix the rent, and thereupon the rent so refixed shall be payable by the tenant with effect from such date as the District Magistrate may direct ; or

(*b*) inform the local authority concerned of the said agreed rent, and of the date from which it has beenpayable, andthereupon, notwithstanding anything contained in the law relating to that local authority, the local authority may without giving to the landlord any further notice in that behalf enchance the assessment accordingly with effect from the said date or the date of commencement of this Act, whichever is later.

इसमें मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जो पावर दी गई है कि अगर एग्रीड रेन्ट हाउस के एसेस्ड वैल्यू से ज्यादा है तो मेरा निवेदन है कि जिस समय मकान एलाट किया जाता है उस समय मकान की एसेस्ड वैल्यू के मुताबिक ही किराया तय कर देना चाहिए। अगर इस तरह से ऐग्रीड रेन्ट पर किराया नहीं तय किया गया तो किरायेदार को प्रार्थना-पत्र देना होगा जिलाधीश महोदय के यहां। इन दो चीजों को करने के लिए जिलाधीश सक्षम हैं--एक तो किराये को रि-फिक्स करने के लिए और इसके किराये को बढ़ाने के लिए। एक तरीका यह होगा कि भेज दो म्युनिसिपैलिटी के पास और एसेसमेंट को बढ़ा दो। इस तरीके से किराये की वैल्यू बढ़ जायेगी और इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इसमें डिस्क्रिशन जिलाधीश को दिया गया है। इसमें यदि एक ही डिस्क्रिशन होता यानी किराया रिफिक्स करने का हक होता तब तो किरायेदार को उसका फायदा मिल सकता था और मकान के असेसमेंट के मुताबिक किराया कम हो जाता। जो अधिकार उनको दिया गया है कि म्युनिसिपल अथारिटीज के पास भेज कर रिएसेस करें, यह ठीक नहीं है। जब जिलाधीश उन अधिकारों के मुताबिक काम करेंगे तो उससे किरायेदार को कोई फायदा नहीं होगा। इससे मकान मालिक को भी कोई फायदा नहीं होगा। आप इसमें गौर से देखें और संशोधन करने की कृपा करें।

इसके बाद मान्यवर, चैप्टर ३ पैरा १६ में दिया हुआ है :—

"(1) Subject to the provisions of this Act, the District Magistrate may make an order

(*a*) requiring the landlord to let any building which is or has fallen vacant or is about to fall vacant, or a part of such building (but not appurtenant land alone) to any person specified in the order."

मान्यवर, इसमें जो जिलाधीश को यह पावर दी गयी है कि किसी आदमी को एलाटमेंट पर दे तो "एनी पर्सन" शब्द जो है वह बहुत खतरनाक है। जो पुराना रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट था उसके मुताबिक किसी गरीब आदमी को कोई मकान नहीं मिल पाता था। शहरों में जो छोटे कर्मचारी हैं जिनको कम वेतन मिलता है उनको कभी एलाटमेंट का मकान नहीं मिलता था। जिलाधीश के यहां जिसकी पहुंच रही है, बड़े अफसर हैं या पैसे वाले लोग हैं--उन्हीं को मकान एलाट होते रहे हैं। अब यह बिल आया है। इसमें जिलाधीश को पावर दी गयी है :—

"He may allot the house to any person".

तो इसमें डिस्क्रिशन उनको है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि डी० एम० को जो एलाटमेंट की पावर दी गयी है उसमें यह निर्देश होना चाहिए कि कितनी कीमत का मकान किस वेतन भोगी कर्मचारी को एलाट कर सकते हैं। जो निम्न वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं उनको प्रायरिटी देनी चाहिए। जिन लोगों के ज्यादा बाल-बच्चे हैं और कम तनख्वाह पाते हैं, उनको मकान पहले एलाट करने चाहिए। जो लोग शहर में बहुत दिनों से रह रहे हैं और मकान नहीं प्राप्त कर पाये हैं, उनको पहले मकान एलाट होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह होता है कि अगर कोई बड़ा आफिसर बाहर से तबादले पर आया तो उसको मकान मिल गया। तुरन्त डी० एम० को यह आदेश चले जाने चाहिएं कि निम्न-वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मकान एलाट करने में प्रायरिटी दी जाये। एक कम वेतन पाने वाला कर्मचारी जब ट्रांसफर पर बाहर जाता है तो उसको मकान नहीं मिलता है और उसको अधिक किराये पर मकान लेना पड़ता है। तो डी० एम्स० को ये निर्देश होने चाहिए कि किन-किन मकानों को किस-किस प्रायरिटी के अनुसार वे एलाट कर सकते हैं।

दूसरी बात रिलीज करने के बारे में है। लैण्ड लार्ड के फेवर में रिलीज कर सकते हैं। इसमें यह नहीं दिया है कि किन कन्डीशन्स में या किन परिस्थितियों में लैण्ड लार्ड को मकान रिलीज किया जायेगा। मकान खाली होने के पश्चात् यदि जिलाधीश के यहां प्रार्थना-पत्र दिया जाता है

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय]

तो उनको अधिकार है कि वे लैण्डलार्ड के फेवर में मकान को रिलीज कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में किरायेदार को एविक्ट कराने का भी अधिकार है। यहां पर यह दिया हुआ है कि अगर मकान खाली हो चुका है तो जिलाधीश बिना किसी आधार के मकान मालिक के हक में रिलीज कर सकता है। तो इसमें यह शर्त होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में मकान रिलीज किया जा सकता है।

मान्यवर, इसी खंड में--सेक्शन १७ पैरा २ के संबंध में जो एक्सप्लेनेशन है वह कुछ डिफेक्टिव है। वह इस प्रकार है :--

"For the purposes of this sub-section all buildings whether called a flat or any other name, which is either designed as a separate unit or is being let out from the time of its completion shall not be deemed to be a part of a building."

अगर किसी मकान का कोई हिस्सा मकान मालिक किराए पर देना चाहता है तो दफा १७(२) में यह प्रावीजन है कि मकान मालिक की कन्सेन्ट से किराएदार को रखा जाएगा। लेकिन बिल्डिंग के हिस्से की जो परिभाषा है वह बहुत डिफैक्टिव है। इसमें यह है कि अगर शुरू से कोई मकान किराए पर दे दिया गया है तो अगर मकान-मालिक उसको अपने पक्ष में रिलीज करा लें और आधे पोर्शन में खुद रहना चाहें और आधे को किराए पर देना चाहे तो वह उसी का हिस्सा न मानकर अलग बिल्डिंग मानी जाएगी। इससे मकान-मालिक का नुक्सान होगा क्योंकि उसका नतीजा यह होगा कि उसी मकान में डी० एम० अपनी इच्छा से किसी को रख देगा। अगर पार्ट आफ बिल्डिंग मान लेंगे तो कन्सेन्ट जरूरी हो जाएगी इसीलिए इसमें संशोधन की जरूरत है।

मान्यवर, कल मंत्री जी ने मुकद्दमों के फैसलों के सम्बन्ध में बताया कि स्पीडी डिवीजन के लिए मुंसिफ की अदालत का जूरिस्डिक्शन समाप्त करके स्माल काजेज कोर्ट को जूरिस्डिक्शन दे दिया गया है। इसमें मुझे यह कहना है कि मुकद्दमों का जल्दी फैसला हो यही आवश्यक नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है कि न्याय मिले। यह कोई वजह नहीं है कि मुंसिफ की आदालतों में काम बढ़ता जा रहा है मुंसिफ की संख्या कम है इसलिए वहां से हटा कर दूसरी जगह कर दिया। श्रीमन्, स्माल काजेज कोर्ट में मुकद्दमे जाने से यह होगा कि वहां पर समरी प्रोसीडिंग्ज होंगी।

अब श्रीमन्, बेदखली के मुकद्दमे या मकान से सम्बन्धित अन्य मुकद्दमों को तो इत्मीनान से सुना जाना चाहिए। समरी प्रोसीडिंग्ज होने से उस तरह का न्याय नहीं मिल पाएगा जैसा मुंसिफ की अदालत से मिलता है। इसके अलावा स्माल काजेज कोर्ट के फैसले के बाद केवल रिवीजन लाई करता है, अपील नहीं होती है। मुंसिफ के यहां से फैसला होने पर उसकी जिला जज के यहां अपील हो सकती है। श्रीमन्, रिवीजन क्वैश्चन आफ ला पर सुना जाता है, क्वैश्चन आफ फैक्ट्स पर नहीं जबकि अपील में क्वैश्चन आफ ला और क्वैश्चन आफ फैक्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है। इसलिए स्माल काजेज कोर्ट को अधिकार न देकर मुंसिफ अदालत को ही यह अधिकार दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। जो नए मकान बने हैं वह आटोमैटीकली दस साल के बाद इसके परव्यू में आ जाएंगे। यह बहुत डिफैक्टिव है। दस साल बाद उन्हीं मकान को इसमें आना चाहिए जो लेट आउट किए गए हैं या करना चाहते हैं। जो मकान खुद रहने के लिए बनाया गया हो उसको इस बिल के परव्यू में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए एक्जम्प्शन होना चाहिए। दूसरी बात, एक्जेम्प्शन में यह दिया गया है--

"any building used or intended to be used as a place of public entertainment or amusement (including any cinema, theatre or sports staium) or any building appurtenant thereto"

तो यदि कोई सिनेमा है, उसके बगल में अगर चार बड़े-बड़े मकान बनें हैं तो वह भी एग्जेम्प्टेड हो जायेंगे इस बिल से। "आर एनी बिल्डिंग परटेनिंग देयर टु" से यह मतलब निकलेगा तो उसको भी हाई किराए पर उठा देंगे। सिनेमा वाले या सिनेमा की बगल में कोई अपना मकान किराए पर देते हैं तब भी उससे लाभ उठा लेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसको भी इस बिल के तहत में लेले तो इससे नुक्सान नहीं होगा। उसको भी डी० एम० अलाट करे। एक खतरा और हो सकता है कि इन्टरटेन्मेंट के नाम पर कोई मकान क्लब के नाम से रजिस्टर्ड हो गया और उसमें जुआ होता है जैसे कि बड़े लोग कांग्रेसी आजकल करते हैं तो वह भी इससे बच जायगा। जैसे कि कैसरबाग में एक विधायक बी० के० डी० के रहते हैं। वह उस क्लब के प्रोसिडेंट हैं और उस मकान में रोज जुआ होता है। इस तरह से वह मकान भी इसके तहत से बच जायगा। इसी तरह से क्लाज ६ में हैं कि "एनी बिल्डिंग हैल्ड बाई यूनिवर्सिटी" अगर यूनिवर्सिटी ने आज किसी मकान को किराए पर ले लिया है तो वह मकान इस बिल के परव्यू में नहीं आयेगा। अगर इसके स्थान पर कंस्ट्रक्टेड हो जाय तो अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी ने किसी मकान को किसी परपजके लिए भी लिया तो वह भी "हैल्ड" की परिभाषा में आ जाता है। इस बिल के परव्यू से वह भी बच जायगा। यूनिवर्सिटी जब उस मकान को छोड़ देगी तो वह मकान मालिक उस मकान को ऊंचे किराए पर उठायेगा। इसलिए "हैल्ड" के स्थान पर "कंस्ट्रक्टेड" या "आकुपाइड" कर दिया जाय तो अच्छा है। इसमें फर्मों के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है। यह ठीक नहीं है। किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसमें वह नहीं रहता है। ऊंचे किराए पर उठाता रहेगा। वह अलाटमेंट से वंचित हो जायगा। इस तरह जो मैंने सुझाव दिए हैं मंत्री महोदय उनको ध्यान में रखकर संशोधन करने की कृपा करें।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चूंकि यह बिल अभी सेलेक्ट कमेटी की स्टेज पर है तो मुझे उम्मीद है कि जो सेलेक्ट कमेटी मुकर्रर होगी वह इस बात की कोशिश करेगी कि जो खामियां हों उसको रफा कर देगी। कुछ बात मैं माननीय मंत्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं। मैं इस वक्त सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो इस बिल के ऐम्स एन्ड आबजेक्ट्स हैं उनसे जाहिर होता है कि यह डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स के जमाने में यह कानून बना था। उसके बाद सन् १९४७ में यह महसूस किया गया कि रहने वाले किरायेदार ज्यादा हैं और मकानों के बनने की रफ्तार में कमी है। लिहाजा एक ऐक्ट ऐसा बनाया जाय कि जो इस हालात का मुकाबला कर सके। पहले यह ऐक्ट कुछ ही जमाने के वास्ते बना फिर बढ़ता रहा और आखिर में उसकी नौबत यहां तक आई कि आज एक नया ऐक्ट आपके सामने पेश है।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

सदन में कोरम नहीं है और कार्यवाही चल रही है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हालत यह है कि मकानों में रहने वाले ज्यादा हैं, नए कम बन रहे हैं और मकानों की दिक्कत छोटे बड़े सभी शहरों में बराबर बढ़ रही है। चूंकि मकान कम हैं, यह भी हो रहा है कि पगड़ी ली जाती है और तरह तरह की दिक्कतें खास तौर से उन को होती हैं जो ज्यादा पैसा मकान पर नहीं खर्च कर सकते हैं। मैं मंत्री जी को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक कानून लाकर इस बात की कोशिश की है कि जनता की मुश्किलात हल हो सकें। लेकिन मुझे यह महसूस होता है कि यह कानून चूंकि पब्लिक के वास्ते बन रहा है और इस से हजारों और लाखों आदमियों का फायदा और नुक्सान होने वाला है और इसी कानून के जरिये से हकूक तय होंगे कि लैंडलार्ड के क्या हकूक होंगे और किराएदारों के क्या हकूक होंगे, किन हालत

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

में लैंडलार्ड अपने टीनेन्ट्स को अलग कर सकते हैं और किन हालात में टीनेन्टस अपने किराये को मुकर्रर करा सकते हैं, यह तमाम ऐसे मसले हैं जिन का असर पूरे सूबे पर पड़ेगा और खास तौर से सूबे के तमाम बड़े-बड़े शहरों पर। लिहाजा मेरी राय में यह जरूरी है कि कब्ल इसके कि यह बिल एक कानून की शक्ल में पूरे सूबे पर नाफिज किया जाय, इसके ऊपर पब्लिक ओपीनियन हासिल की जाय। वह इस तरह नहीं कि हर एक आदमी की राय ली जाय बल्कि जैसे बार असोसियेशन्स हैं उन से मशवरा लिया जाय या जो ऐसे महकमें हैं जिन को इस मामले में दिलचस्पी है उन की राय मालूम की जाय। मैं इस बिल का समर्थन तो जरूर करता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाय लेकिन साथ ही साथ मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जो सेलेक्ट कमेटी बनाई जाय वह ऐसी न हो जो कानून की बातों से बिलकुल नावाकिफ हो, वह कानून से भी वाकिफ हो और दूसरे वह शहरी जिन्दगी से भी वाकिफ हो, वह शहर में रहने वालों की प्राबलम्स और मुश्किलात से वाकिफ हो। मैं चाहूंगा कि सेलेक्ट कमेटी को एम्पावर किया जाय कि वह पब्लिक ओपीनियन मालूम करे और उसका तरीका यही हो सकता है कि वह सवालात जारी करे, मुखतलिफ बार असोसियेशन्स से हर जिले से वह दरख्वास्त करें कि वह उन की मदद करें ताकि एक मुकम्मिल कानून तैयार हो सके।

मैंने खुद सरसरी तौर पर इस कानून को पढ़ने की कोशश की और इत्तफाक से मुझे यह मेरे एक दोस्त के जरिए से एक ऐसी जबान में भी मिला है जिससे मैं इस को समझ सका। मैं कुछ बातें आपके नोटिस में लाऊंगा जिनमें, मैं समझता हूं कि, बहुत कुछ इस कानून में तरमीम की जरूरत है। पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा वह सैक्शन १ क्लाज (सी०) २ के बारे में है। उसमें आप कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को अख्तियार होगा जब चाहे वह किसी जगह पर यह एलान कर दे कि कानून लागू नहीं होगा। यह बात बहुत ही एनोमेलस है। एक तरफ तो हम यह पास करते हैं कि यह सारे प्रदेश पर नाफिज होगा और एक तरफ जितने मेम्बरान कैबिनेट के हैं, उनको हम यह अख्तियार दे देंगे कि फलां जिले पर यह नाफिज नहीं होगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस पर गौर करने की जरूरत है। एक बार जब यह लैजिस्लेचर ने पास कर दिया तो पूरे सूबे के ऊपर नाफिज होगा। कैबिनेट को, मिनिस्टरों को या सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वे लोग कहें कि हम इसको इस जगह पर लागू नहीं रखते हैं। यह हो सकता है कि किसी वक्त आप जरूरियात की बिना पर ८ रोज के वास्ते या एक महीने के वास्ते एक मर्तबा नोटिफिकेशन इशु करें कि यह कानून नाफिज नहीं है और फिर दूसरे नोटिफिकेशन जारी करें कि यह नाफिज हो गया है। तो इसमें तो नाइन्साफी की गुंजाइश है और मैं समझता हूं कि इस पावर को सरकार को कभी नहीं लेना चाहिए।

दूसरी चीज जो मैं आपसे कहूंगा कि आपने सेक्शन ३ में "बिल्डिंग" को डिफाइन किया है और "बिल्डिंग" में आपने "गार्डन, ग्राउंड्स" वगैरह को शामिल किया है। आगे आपने यह भी प्राविजन किया है कि कुछ अफिसर्स को अख्तियार होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियार होगा कि वह जमीन को अलग कर दे। बहुत ऐसे मकानात हैं जिन में ५-५ बीघे जमीन लगी है। उन जमीनों पर कल्टीवेशन हो रहा है। इन जमीनों को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि "बिल्डिंग" की डेफिनिशन में सिर्फ बिल्डिंग पर महदूद की जाय और जो आराजी थी अपर्टीनैन्ट टू दि बिल्डिंग हो और जिसकी वजह से बिल्डिंग का इस्तेमाल नामुमकिन है वही आराजी बिल्डिंग के साथ शामिल की जाय। अगर उसकी काश्त की आराजी भी शामिल की गयी तो यह गलत होगा कि बिल्डिंग की डैफिनिशन के बढ़ाने से उस तमाम ग्राउन्ड को भी ले लें जो उस बिल्डिंग कम्पाउन्ड में शामिल कही जाती है या "अपर्टिनैन्ड टु दि बिल्डिंग" कही जाती है।

तीसरी चीज है सेक्शन ३ (जे) की ओर अपने मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें उन्होंने "प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी" को डिफाइन किया है। "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" की जो पावर्स हैं, उनको देखते हुये हम यह मांग करते हैं कि "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" बहुत

जिम्मेदार और तजुर्बेकार अफसर होना चाहिए लेकिन जो आप डिफाइन करते हैं, उससे मालूम होता है कि कोई अधिकारी जिसको कम से कम ३ वर्ष का जुडिशियल एक्सपीरिएंस हो या डिप्टी कलेक्टर "प्रैस्क्राइब्ड अथौरिटी" हो सकते हैं। मैं मिनिस्टर महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि जिले में एक इतने जूनियर आफिसर को प्रैस्क्राइब्ड अथौरिटी बनाकर जिले के लोगों पर बहुत नाइन्साफी होगी। यह बहुत तजुर्बेकार, होशियार और दानिशमन्द अफसर का काम है। इसलिये प्रैस्क्राइब्ड अथारिटी हमेशा कोई सीनियर आफिसर होना चाहिए। एक तीन साल का फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इस जगह के लिए बहुत गलत अफसर होगा।

दूसरा चेप्टर है इसमें रेगुलेशन आफ रेन्ट का। इसमें आपने पावर दी हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि वे फैसला करेंगे। अपील सुनेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट जज का डिसीजन होगा वह फाइनल होगा। मैं समझता हूं कि राइट आफ अपील या राइट आफ रिवीजन जो हायर कोर्ट्स को दी जाती हैं उसका सिर्फ मकसद यही नहीं होता है कि हम मुकदमेबाजी को बढ़ावें बल्कि यह होता है कि ऐसे माहौल से जिसमें कुछ नाइन्साफी की उम्मीद है लोग निकाले जायं और ऐसे माहौल में पहुंचाये जांय जहां जहां पूरा इन्साफ हो सके। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट एक डिसीजन लेता है एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, वहीं डिस्ट्रिक्ट जज के सामने उसकी अपील होती है। मुमकिन है कि वह ऐसा मामला हो या ऐसा आदमी उसमें इन्वाल्व्ड हों जिसकी वजह से वह पूरा फैसला न हो सके। रिवीजन हमेंशा प्वाइंट आफ ला पर होता है। अगर प्वाइंट आफ ला पर हाई कोर्ट डिसीजन दे दे तो उसमें इन्साफ की ज्यादा गुंजाइश होगी।

अब चेप्टर ३ रेगुलेशन आफ लेटिंग है। इसमें कानून कहता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेट आउट करेंगे। अगर कोई शख्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वह कमिश्नर को अपील कर सकता है। मुझे गुजिश्ता दो साल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर को देखने का काफी इत्तफाक हुआ और जहां तक कैलिबर का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर दोनों के कैलिबर बहुत काफी डैटेरियोरेट हो चुकी हैं। क्या इसी हाउस में ऐसे वाकयात नहीं हुये हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के उपर तरह तरह के इल्जामात लगाये गये हैं। क्या ऐसे वाकयात आप के हाउस में नहीं हुए हैं जिसमें कमिश्नर और चीफ सेक्रेटेरी के रैंक के लोगों ने ऐसी रिपोर्ट्स पेश की हैं जिनके ऊपर हाउस को एतबार नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में यह बिलकुल नानसेन्सिकल चीज है। आप कहें कि हमने राइट आफ अपील कमिश्नर को दिया है। अगर आप राइट आफ अपील देते हैं तो कम से कम ऐसे ट्रिब्यूनल को दीजिये जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की गलती पर खुले तौर पर राहजनी भी कर सके। मैं मिसाल के तौर पर चहता हूं कि अगर किसी मकान के मामले में एक एम० एल० ए० इन्वाल्व हैं। एम० एल० ए० साहब को मकान की जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब उनके को असरात में आकर अलाट कर देते हैं। इसके बाद कमिश्नर साहब के पास वह मुकदमा जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी हालत में कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिसीजन को अपसेट कर सकेंगे। नतीजा यह होगा कि अपील तो हो सकती है मगर उसमें इन्साफ की कोई गारन्टी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि अलाटमेंन्ट इन्साफ की बिना पर हो और किसी के साथ नाइन्साफी न हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट राइट दीजिये। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आगे मामला जाता है तो कोई ट्रिब्यूनल इस तरह का दो या तीन आदमियों का अप्वाइंट कीजिये, एक डिवीजन के वास्ते अप्वाइन्ट कर दीजिये जो देखे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने जो फैसला दिया है वह ठीक है। बेचारे कमिश्नर साहबान को आप ऐसे झगड़े में डालते हैं, वे जिले से वाकिफ नहीं होते, क्लब में खाना खाते हैं, कुछ ब्रिज वगैरह खेलते हैं और चले जाते हैं। अगर ज्यादा दिन तक कमिश्नर रहते हैं तो वे ला और इन्तजाम दोनों को भूल जाते हैं। लिहाजा उनको अगर ऐसे अपील के हुकुम दिये गए तो यह जनता के साथ नाइन्साफी होगी।

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

दूसरी चीज जो मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा वह ह चैप्टर ४ के बारे में जिसमें प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को खाली कराने की पावर्स दी गयी हैं। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर आप इतनी पावर्स उसको दे रहे हैं तो इतना तो इन्श्योर कर दीजिये कि वह आदमी जिसको आप यह अथारिटी देंगें एक तजुर्बेकार और दानिशमन्द आफिसर होगा। ३ वर्ष के बाद आदमी डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, १६ साल में वह फर्स्ट कलास मैजिस्ट्रेट हो जाता है। उसको आप प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनायेंगे। यह एक आदमी की इज्जत और उसके आराम का सवाल है और इतनी बड़ी पावर्स को आप इतने जूनियर आदमी को देंगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी।

दूसरी चीज यह की गयी है कि कोर्ट में जब मामला जायेगा तो स्माल काज कोर्ट की तरह से उस पर कार्यवाही की जायेगी। मुझे भी स्माल काज कोर्ट का जज रहने का इत्तफाक हुआ है। उसमें होता यह है कि इवीडेन्स रेकार्ड करने की जरूरत नहीं होती, कुछ नोट्स बनाने की जरूरत होती है। उसमें जजमेंट भी पूरे तरीके से नहीं लिखा जाता। आप अगर स्माल काज कोर्ट जजेज को यह पावर्स देते हैं तो मुझे इसमें एतराज नहीं है, मगर उसके प्रोसीजर को आप कुछ बदल दें। उसमें आप यह कर दें कि ईवीडेन्स पूरी रेकार्ड की जायेंगी ताकि हाई कोर्ट में अगर रिवीजन हो तो हाई कोर्ट उसको देख सके कि नीचे का फैसला जो हुआ है वह ठीक है या नहीं। आप यह यकीन रखिये कि ऐसी बात नहीं है कि स्माल काज कोर्ट में हमेशा इन्साफ ही होता है। उसकी चूंकि अपील नहीं होती, रिवीजन ही होता है, अतः स्माल काज कोर्ट की नाइंसाफियां पबलिक के सामने आ नहीं पाती। अतः यह आप अनिवार्य कर दीजिये कि स्माल काज जजेज कोर्ट पूरी इवीडेन्स रिकार्ड करेंगे। मेरे भाई जिन्हें जुडीशियल का तजुर्बा है वे शायद मुझ से इत्तफाक करेंगे।

चैप्टर फाइव में आपने अनलिमिटेड पावर्स रिपेयर्स के संबंधी में दी हैं। यह बहुत गलत कदम है। सोचिये कि एक मकान जो १० रुपये माहवार किराये पर उठा है, उसके लिये हुकुम हो जाता है कि इसमें ५०० रुपया रिपेयर में लगा दो तो यह ५०० रु० कहां से आयेगा और कितने दिन में अदा होगा। एक आदमी १० रुपये महीने पर तो जो रहा था, अब उसी में से ५०० रु० रिपेयर में अदा करना पड़ा तो वह और कितने दिनों में अदा होगा? हो सकता है कि कुछ हाउस ओनर ज्यादती करते हों, मगर यह समझना कि यह सब क्रिमिनल्स हैं यह भी गलत होगा इस तरह के अहकामात से उनको बिलकुल तबाह किया जा सकता है। यह कहां का इंसाफ होगा? ऐसे कानून की वजह से जो स्कीम है कि मकान ज्यादा बनें, उनका बनना नामुमकिन हो जायगा। इसलिये अनलिमिटेड पावर रिपेयर्स के नहीं होने चाहिये। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा फैसला करते हैं—तो यह इनजस्टिस होगी। कम से कम ऐसे फैसले के खिलाफ अपील का हक अवश्य होना चाहिये। ऐसी अपील किसी ऐसी अथारिटी को जिसको आप मुनासिब समझें मुकर्रर करें। जैसी मैंने मिसाल दी है कि १० रुपये महीने का मकान हो और आर्डर होता है कि ५०० रुपये लगा कर रिपेयर किया जाय तो वहां क्या सूरत होगी? कहां से वह आदमी रिपेयर करा सकेगा और कब वह रुपया अदा होगा?

गरज मैंने बिल को यद्यपि अभी समरीली पढ़ा क्योंकि इसे सेलेक्ट कमेटी में जाना है और वहां से तरमीम होकर आयेगा। इसलिये मैं फिर माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि यह ला ऐसा नहीं है जिसको पास करने में जल्दी करें। इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ओपीनियन हासिल करने की कोशिश करें, लोगों को मौका दिया जाय कि उनको क्या कहना है, वे कह सकें। जो ऐक्ट को डील करते हैं, वे इसको समझें और अपना सजेशन दें और उसके बाद सेलेक्ट कमेटी इसको रिड्राफ्ट करे और तब वह सदन के सामने आवे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। शुक्रिया कि आपने इसके ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्ताव है उसका समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से कुछ बातें कहना चाहूंगा। यह बिल सन् १९४७ में बना था और उसकी यह जरूरत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखी गयी थी कि अपने प्रदेश में मकानों की कमी है, सारी जनता शहरों को भागती है और सरकारी दफ्तरों की बहुत बढ़ोत्तरी हो रही थी, इसलिये उन दिनों यह रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू किया गया और उसकी तहत कितनी बार इस सदन में हमारे सामने आश्वासन हुए कि एक काम्प्रिहेंसिव बिल ला रहे हैं। उसके द्वारा इस प्रदेश का बहुत भला होगा और ज्यादा मकान बन जायेंगे। मकान बनाने के लिये ज्यादा इंसेंटिव मिले और जो किरायेदार हैं उनको भी ज्यादा सुविधा मिले, इस खयाल से इस बिल को लाया गया था। तो इसके साथ-साथ हमको यह भी देखना है कि ऐसा प्राविधान इस विधेयक में किया जाय कि मकान मालिकों को इतना इंसेंटिव रहे कि वे मकान बनाते रहें और इससे किरायेदारों को भी सुविधा मिले। लेकिन जिस तरह का यह विधेयक है उससे तो किरायेदारों को सुविधा के बजाय बड़ी परेशानी रहेगी और मकान मालिक भी और मकान आगे बनाने से हिचकिचायेंगे। साथ ही हमको यह भी देखना पड़ेगा कि केन्द्रीय सरकार जब एक ला बना कर शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने जा रही ह तो हर आदमी अब मकान बनाने की तरफ से अपना मुंह मोड़ेगा। इस दृष्टि से भी सारी बाधाओं को देखते हुये यह जो बिल लाया गया है जिसको लागू करके माननीय मंत्री जी काफी अधिकार अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि वे इसको कहां तक लागू कर सकेंगे क्योंकि आज हम देखते हैं कि बड़ा नगर हो, चाहे छोटा नगर हो, कस्बा हो, हर जगह रहने की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। रहने के लिये जगह नहीं है। हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वे मकान बनाने में पैसा लगा सके। लेकिन जिनके पास पैसा है वे अगर मकान बनाते हैं तो उनका भी कुछ धंधा चल जायेगा और चलाने के बाद उनको रोजी-रोटी मिल जाती है। तो जो आज रिस्ट्रिक्शन माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है, उसे न लें।

जो इस बिल के द्वारा आप एक्जेम्शन दे रहे हैं और एक्जेम्शन फैक्टरी को, इंडस्ट्रियल फैक्टरीज को और पब्लिक इन्टरटेनमेंट हाउसेज वगैरह को दे रहे हैं उसके बारे में भी निवेदन करना है। हमने देखा है कि ये फैक्टरियां सैकड़ों एकड़ जमीन कर कब्जा कर लेती हैं। कुछ नीवें भर देती हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करती हैं। उनकी मनोवृत्ति को समझना सरकार के लिए मुश्किल है। यह जानते हैं कि जमीन ले लो और बाद में लाभ पर बेच देंगे, यह उनका मोटिव बहुत घातक होता है। न जाने कितने समय में वह उसका प्रयोग करें, इसकी कहीं कोई सीमा नहीं रहती है। तो मेरा निवेदन है कि उनको छूट नहीं मिलनी चाहिये। अगर छूट देनी ही अनिवार्य है तो मंत्री जी को उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि दो साल के अन्दर यदि फैक्टरी नहीं बनेगी, इन्टर्टेनमेंट हाउस नहीं बनेगा, तो उनको आप रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत ले लेंगे। आपको लिमिट अवश्य बांधनी चाहिए, आपको लिमिट बांधनी ही पड़ेगी, यह आवश्यक है। उद्योगपतियों ने काश्तकारों से जमीन ले रखी है, लेकिन जमीन अब भी खाते पर उन्हीं किसानों के नाम चढ़ी है, जिससे उनको लगान भी देना पड़ रहा है, ऐसी हालतें हम देखा करते हैं। इसलिए उनको एक्जेम्शन के नाम पर जो छूट दी जा रही है, वह उचित नहीं है। आपको इन फैक्टरियों के ऊपर लिमिट की पाबन्दी बांधनी पड़ेगी, चाहे वह दो साल की हो या तीन साल की।

एक दूसरा प्रतिबन्ध आपने इसमें यह लगाया है कि १० साल के मकानों को छूट मिल रही है। नये मकान की छूट तो समझ में आ सकती है, लेकिन जहां पर आल्टरेशन होता है, तरमीमें होती हैं, उनको आप छूट क्यों दे रहे हैं। अगर उस मकान में रहने वाले व्यक्ति की किरायेदारी पर आप १ परसेन्ट के हिसाब से सूद के तौर पर किराया बढ़ाने जा रहे हैं, वह नहीं रह पाएगा तो यह मकान मालिक को १० साल की छूट नहीं मिलनी चाहिए। मकान मालिक को १० साल की अवधि से परे करना चाहिए। तो मैं आपसे स्पष्ट चाहूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें और रिस्ट्रिक्शन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए और जो १० साल की छूट है, वह खत्म होनी चाहिए।

[श्री हिम्मत सिंह]

एक मसला यह है कि प्रस्क्राइब्ड अथारिटी कौन होगा ? कैसे करेगा ? यह बड़ा भारी मसला है और जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और ए० डी० एम० (जे०) को अधिकार दिया गया है, वह ठीक नहीं है, वे नये आदमी होते हैं, अनुभवी नहीं होते हैं। इसलिये इसके साथ यह भी प्रतिबन्ध जोड़ देना चाहिए कि उसी फर्स्ट क्लास को यह अधिकार होगा जिसे १० साल का अनुभव प्राप्त हो। ऐसे ही १० साल के अनुभवी आदमी को प्रस्क्राइब्ड अथारिटी बनाना चाहिए, इससे कम अनुभव वाले को नहीं बनाना चाहिए। नये मैजिस्ट्रेट जल्दी-जल्दी प्रेशर में आ जाएंगे, ऐसी आशंका है।

अब एक मसला है स्टैन्डर्ड लगान का, यह क्या हो ? यह एक बड़ा अहम सवाल किरायेदारी का है। सन् ५१ से पहले बने मकान जो हैं, उनके लिए आपने कह दिया कि किराये पर २५ परसेंट या जो एग्रीमेंट तय हो जाए, इन दोनों में जो सबसे अधिक हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आज ऐसे कितने आदमी हैं जो अपने मकानों पर अपनी इनकम का एक तिहाई हिस्सा खर्च करते हैं। आप यह गौर करें कि १८-१९ साल के अन्तर्गत कितने आदमी हैं जिनका लगान बढ़ता चला गया और उनको आज यह छूट दी जा रही है। स्टैंडर्ड रेंट से अगर किराया एक्सेस है तो किरायेदार उसको कम करा सकता है यह विधान आपने कहीं नहीं रखा है, जब कि अन्य प्रदेशों में ऐसा है। उसको छूट दी गयी है कि यदि स्टैंडड रेंट से ज्यादा किराया है तो वह उसको कम करा सकता है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह छूट दे दी-अगर स्टैंडर्ड रेंट से किराया कम है तो वह कोर्ट में चला जायगा तीन महीने के अन्दर। परिभाषा में यह आना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रेंट है उसको ही किरायेदार से वसूल किया जाय। ऐग्रीमेंट में तय हुआ किराया लिया जायगा इसकी जगह पर स्टैंडर्ड रेंट लिया जायगा यह करेंगे तो प्रदेश के किरायेदारों का भला होगा क्योंकि किरायेदार गरजमन्द होता है उससे चाहे जो ऐग्रीमेंट में लिखवा लो। इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है कि जो एक्सेस ले रहा है, तीन साल हो गये हैं, उसको वापस कराने का प्राविधान किया जाय। अगर ऐसा किया गया होता तो किरायेदारों को बड़ी राहत होती। अगर मकान मालिक ने किरायेदार से उसकी गरज देखकर यह लिखा लिया कि किरायेदार एक साल के बाद मकान छोड़ देगा, अगर कंट्रेक्ट यह हो गया तो किरायेदार उसके अन्तर्गत आ जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो कंट्रेक्ट के अन्तर्गत यह तय हो गया है कि आपका मुआहदा पूरा हो जायगा तो मैं मकान छोड़ दूंगा, माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें, कि अगर एक साल के बाद रह रहा हो तो उसको रहने दिया जाय। आज का किरायेदार गरजमन्द है, मकान मिलता नहीं है, जो चाहे लिखा लें। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंट्रेक्ट वाली बात को भी निकालेंगे।

आपने डी० एम० को रिलीज के अधिकार दिये हैं। मैं चाहूंगा कि यह बेदखली में आयें क्योंकि डी० एम० के पास मुझे जरूरत है या नहीं यह जुडीशिअली तय नहीं होगा। इसलिए मकान बनाने, पुराना मकान हो गया है उसको गिराने की जरूरत है या नहीं, यह देखते के लिए जो डी० एम० को अधिकार दिया है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत से मकान हैं इस प्रदेश में जिनको गिराकर नये मकान बनाने की जरूरत है। लेकिन इस चीज का अधिकार डी० एम० को देना उचित न होगा। उन पर पोलिटिकल प्रेशर पड़ सकता है। बेदखली के मामले में वह निष्पक्षता से कार्य कर सकेंगे इसमें मुझे सन्देह होता है। मैंने देखा कि सरकार आती हैं तो डी० एम० के तबादले सरकार के अनुसार हो जाते हैं। ऐसी हालत में डी० एम० को बेदखली का अधिकार धारा १६ (३) के अन्तर्गत देना उचित न होगा, इसपर पुनर्विचार किया जाय। आप इस अधिकार को जुडीशियरी को देंगे तो न्याय हो सकेगा।

दूसरा सवाल है स्माल काज कोर्ट को आप अधिकार दे रहे हैं। रेंट तथा डेमेजेज के मसलों को आप उनको दे दीजिये। वहां जल्दी हो जायगी और दिक्कतें नहीं पड़ेगी लेकिन जहां तक बेदखली का ताल्लुक है वह रेगुलर सूट के जरिये होना चाहिये ताकि किरायेदार को अपील तथा रिवीजन का अवसर मिल सके वर्ना स्माल काज कोर्ट में तो रिवीजन के अलावा कोई अवसर

नहीं मिलेगा। इसलिये आप इसको रेगुलर सूट में करने की कृपा करेंगे। कमिश्नर को अपील का टाइम आपने १५ दिन रख दिया है लेकिन यह समय बहुत कम है। किरायेदार को पता नहीं चलता। लिहाजा ३० दिन की मियाद रखी जाय ताकि वह उचित कार्यवाही कर सके। इन शब्दों के साथ कि मैंने जो सुझाव रखे हैं उन पर प्रवर समिति में विचार किया जायगा मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इस विधेयक का स्वागत ही करेगी। इसके पहले जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट था उसमें जो खामियां थी उनको यह पूरा करे इस बात की कोशिश की गयी है। पिछले बिल में कुछ शब्दों की कोई व्याख्या नहीं की गयी थी किसी एकोमोडेशन के सिलसिले में वेकेंट और लाइकली टू बी वेकेंट की कोई व्याख्या नहीं थी। हर जिले के अन्दर जिलाधीश के व्यक्तिगत विवेक पर छोड़ दिया गया था कौन सा मकान खाली है अथवा खाली होने वाला है। धारा १२ में इस बात की कोशिश की गयी है मकान कब खाली समझा जायेगा और मकान कब खाली किया जाना समझा जायेगा यह एक स्वागत की बात है। दूसरी बात, मान्यवर, यह है कि जहांतक बेदखली का दावा दखल करने का सवाल है और रिलीज का सवाल, है पिछले विधेयक में भी इसके बारे में.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब ४ बजने जा रहे हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

यह आज ५ तक चलेगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह तय हुआ था कि और प्रश्न ४ बजे के बाद लिये जायेंगे ५ बजे तक का समय तो बजट सेशन के लिये ही था।

श्री गोविन्द सिंह---

५ भी बज जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

कल मतदान है। यह सिलसिला टूट जायेगा तो मतदान में इसका असर पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, प्रदेश में लोगों की जाने जा रही हैं। डिप्टी डाइरेक्टर को मारा गया है...

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि विरोध पक्ष के और सरकारी पक्ष के लोग कार्यमंत्रणा समिति द्वारा तय करते हैं और उसे यहां पर सदन में भी पास कर देते हैं .....

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

तय करने की बात है तो ४ बजे ही लिया जाय नियम ५१।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

आज हम ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिये आपने एक सवाल दिया और उसमें कहा कि इस पर मतदान होगा तो उसी प्रकार यह जो विधेयक आपके सामने है उसके ऊपर मतदान होगा और उसके बाद आपको पूरा अवसर दिया जायेगा। आप अपना प्रश्न लें। और भी बहुत से प्रश्न हैं। नियम ५१ के अन्तर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनायें सूची के १०वें क्रम पर है और यह जो है उसका क्रम ८ है। इसको निपटाने के बाद वे लिये जायेंगे। कल की बात यह थी कि उसमें विवाद जारी था। जिस दिन मतदान होगा उस दिन तक वही सिलसिला चलेगा। ५ बजे बाद लिये जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अच्छी बात है, हमें आपकी बात शिरोधार्य है। वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लोगों को बंगलों में मारा जा रहा है उनकी असुरक्षा हो गई है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मैंने भी बस्ती के सम्बन्ध में एक सवाल दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब आगे आयेगा।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, कल मुझे भी आश्वासन दिया गया था कि ४ बजे आप उसे लेंगे ? वह हाईकोर्ट के.....

श्री उपाध्यक्ष ---

उनके निर्णय के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यह सब मतदान के बाद लिये जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह---

पहले दफे इस बात का प्रयास किया गया है कि जो जिलाधीशों को अधिकार थे रिलीज के सम्बन्ध में और बेदखली के दावे के सम्बन्ध में, आज उनको परिभाषित करने की कोशिश की गई। इस सम्बन्ध में अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला देखें कि इस सम्बन्ध में कोई परिभाषा नहीं दी गई थी और एक फैसला दूसरे फैसले से रद्द किया जाता था। इस सम्बन्ध में जुडिशियरी में भी यूनिफारमिटी है। इसलिये यह बिल स्वागत योग्य है किन्तु इसके बावजूद भी कुछ ऐसी व्यवस्थायें रखी गई हैं जिनसे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि जब यह ऐक्ट व्यवहारिक रूप में प्रयोग मेंआये तो उसका जो मकसद है वह कहीं उल्टा न हो जाय। मान्यवर, धारा २ के अन्तर्गत भवनों को इस कानून के द्वारा छूट दी गयी है उनमें आते हैं—सिनेमा घर, कंपनियों और फर्मों के भवन तथा गोदाम। उनको छोड़ दिया गया है। इसमें यह खतरा पैदा हो गया है कि किरायेदारों को इसके द्वारा जो भवन उपलब्ध कराये जाने की योजना थी, उस पर कुठाराघात हो जायगा। अगर इस विधेयक में यह व्यवस्था होती कि इस विधेयक के पारित होने के बाद कोई आदमी अगर अपने निजी प्रयोग के लिये सिनेमा घर बनायें, कोई कारखाना बनाये, या उसके लिये कोई भवन का निर्माण कराये, और उसको छूट दी जाती, तब तो बात समझ में आती है। मैं पूछना चाहूंगा कि इस परिभाषा से आपका क्या मकसद है। क्या इसके अन्तर्गत वे पुराने सिनेमा घर भी आ जायेंगे जो अब भी चल रहे हैं। उन भवनों पर यह कानून लागू होगा या नहीं। अथवा उन कंपनियों ने जिन्होंने इकट्ठे भवन बना लिए हैं और जिनको ऊंचे किराये पर दे रखा है, क्या यह कानून उन भवनों पर लागू होगा या नहीं। इसके बारे में स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिये।

दूसरी बात इसमें यह रखी गयी है कि अगर कोई मकान मालिक किसी भवन के अन्तर्गत मरम्मत कराता है, या उसमें कोई नया सुधार करता है तो उसको खर्चे का एक फीसदी किराया बढ़ाने का अधिकार होगा। यह बहुत ऊंची दर है। अगर कोई ५ हजार रुपया लगाता है तो ५० रुपया माहवार किराया बढ़ाने का वह हकदार हो जायगा। इससे तो फिर यह भी हो जायगा कि अगर कोई किसी शहर में नया मकान बनाता है, उसमें १० या १५ हजार रुपया लगा देता है तो दस हजार पर १०० रुपया माहवार और १५ हजार पर १५० माहवार का किराया हो गया। यह शुद्ध १२ फीसदी का मुनाफा हो गया, जबकि बैंक के अन्दर ६ फीसदी से ज्यादा नहीं मिलता। अगर किसी उद्योग में भी लगाया जाय तो ६–७ फीसदी से ज्यादा उसको मुनाफा नहीं मिल सकता। लेकिन यहां आपने १२ फीसदी की छूट दे दी है। जब आपने इसको यहां रखा है तो जहां आपने मानक किराया माना है, वहां भी यह चीज धीरे-धीरे लागू हो जायगी। यह बहुत ऊंची दर है, मध्यमवर्गीय लोग इतना किराया नहीं दे सकेंगे।

दफा ६ मेंमानक किराये के बारें में दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है जिलाधीश किन-किन आधारों पर मानक किराया निर्धारित करेगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उस दिनांक को उस "क्षेत्र में प्रचलित किराया"। उसके द्वारा भी मानक किराया निर्धारित होगा। कृपया इस बात को भी आप निश्चित करें यह प्रचलित किराया कौन-सा होगा क्या वह किराया प्रचलित किराया समझा जायेगा जो आजकल मकानदार अपने किरायेदारों से एक्जोर्बीटेंट रेंट चार्ज कर रहे हैं। क्या वह किराया प्रचलित किराया समझा जायेगा? इस चीज का स्पष्टी-करण होना चाहिये। अगर आपने प्रचलित किराया वही मान लिया जो आजकल मकान मालिक वसूल कर रहे हैं किरायेदारों की मजदूरी को देखते हुये तो इस कानून से कोई फायदा गरीब और मध्यम वर्गों की जनता का नहीं होगा। तो माननीय मंत्री जी जब मानक किराये की दर तय करें तो कम से कम इस क्लाज को ऐक्ट के अन्दर न रखें।

अन्त में जो सब से खतरनाक बात इस विधेयक के मूल सिद्धान्तों पर कुठाराघात करती है वह हैं इस विधेयक की धारा १६ और २१। इन दोनों धाराओं में एलाटमेंट और रेलीज करने की पावर्स जिलाधीश को दी गयी हैं। जो पुराना कानून था उसके अन्तर्गत भी यह दोनों शक्तियां जिलाधीश को दी गयी थीं और हम जो कचहरियों में काम करते हैं उनका तजुरबा है कि तमाम जिलों के जिलाधीशों ने अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग किया है और जिलाधीशों के कार्या-लयों में भयंकर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार हुआ है। मैं इसकी दर्जनों मिसालें दे सकता हूं कि जिस अधिकारी को आपने यह शक्तियां दी हैं उसने खुले आम हजारों, लाखों रुपये रिश्वत लेकर मकान मालिकों के हक में फैसले किये। यह हकीकत है। इससे एक तरफ रिश्वत-खोरी का बोलबाला होगा और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमारा तजुरबा यह है कि अगर कोई कांग्रेसी सज्जन सिफारिश में गये तो मकान एलाट नहीं हो सकता। अगर कोई कांग्रेसी नेता सिफारिश में गये तो कान रेलीज नहीं हो सकता। अगर कोई नेता किरायेदार की सिफारिश में चले गये तो किरायेदार के हक में फैसला होगा। अगर मकान मालिक की सिफारिश में चले गये तो मकान मालिक के हक में फैसला होगा। पूरे प्रदेश में इस बात का बोलबाला था। आज माननीय चौधरी जी स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस धारा के रहते हुए आप प्रदेश के अन्दर स्वच्छ प्रशासन नहीं बल्कि फिर से भ्रष्टाचार की जड़ बनाने जा रहे हैं। क्लेक्टर साहब वही होंगे जो मंत्री जी के नीचे काम करते हैं, मंत्री जी उस दल के होंगे जो शासक दल होगा। शासक दल के एम० एल० ए० का रोब जिलाधीश पर होगा और आजकल जिलाधीश चाहे कितना ही ईमानदार हो, चाहे कितना ही कुशल प्रशासक हो राजनीतिक दबाव से आज वह बरी नहीं है। और अब राजनीतिक दबाव किस ढंग से बढ़ेंगे कि यह हमारा वोट देने वाला है, गांव का चौधरी

[श्री गोविन्द सिंह]

है, इसको खुश रखना है, इसके मकान की आप हिफाजत करिये। तो पुराने कानून में जो भ्रष्टाचार की जड़ थी इस कानून में भी उस जड़ को कायम रखा गया है। और इसकी जो अपील होगी वह कमिश्नर साहब के यहां होगी। कमिश्नर साहब को अगर टेलीफोन कर दिया मंत्री जी ने कि यह मकान रेलोज कराना है उन्होंने जिलाधीश को टेलीफोन कर दिया तो मकान रेलोज हो जायगा। अपील करेंगे तो उन्हीं कमिश्नर साहब के पास जो मंत्री जी के अधीन हैं।

इसी तरह से बेदखली की बात है। बेदखली की आज्ञा देने वाला डी० एम० उसके खिलाफ जो अपील होगी वह कमिश्नर को। इतना ही नहीं एक और भी खतरनाक बात जो इस कानून के अन्दर रखी गई है वह यह है कि जिलाधीश महोदय को न केवल बेदखली की परमिशन देने का अधिकार है बल्कि इस कानून में यहां तक उसको अधिकार दे दिया गया है कि अगर वह समझता है कि मकान मालिक को बेदखली की जरूरत है तो वह बेदखल भी कर देगा। बेदखली की पावर जिलाधीश को दे दी गई है। मान्यवर, इसका मतलब क्या हुआ ? अगर जिलाधीश से आपके तालुकात अच्छे हैं अगर मंत्री महोदय के यहां से जिलाधीश को टेलीफोन कर सकते हैं तो आपको न केवल परमिशन मिल जायेगी बल्कि आप उसका सामान सड़क पर फेंकवा देंगे। इतनी बड़ी पावर एक एक्जिक्युटिव आफिसर को दे रहे हैं इससे शक्ति का दुरुपयोग होना अवश्यंभावी है। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है और स्वच्छ प्रशासन लाना है तो एक्जिक्युटिव को कम से कम पावर दें और उसके ऊपर जुडिशियरी का नियंत्रण रहे। तो मान्यवर मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से यह है कि रिलीज की पावर आप जिलाधीश को दीजिए अलाटमेंट की पावर जिलाधीश को दीजिए और बेदखली का दावा करने की इजाजत देने की पावर जिलाधीश को दीजिए लेकिन जिलाधीश महोदय के जो भी आदेश हों उनकी जुडिशियल स्क्रुटिनी का भी अधिकार होना चाहिये। उनके ऊपर एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल का कंट्रोल होना चाहिये जो जुडिशियल स्क्रुटिनी कर सके। अगर जुडिशियल स्क्रुटिनी की गुंजाइश कानून में न होगी तो पावर का दुरुपयोग होगा और भ्रष्टाचार नहीं मिट पायेगा आजकल हम देखते हैं कि अलाटमेंट की पूरी शक्ति जिलाधीश को दे रखी है। मैं अपने जिला देहरादून की मिसाल देता हूं। होता क्या है ? २० रुपये का मकान डिप्टी कलेक्टर साहब को मिलेगा और जो बेचारा लखनऊ से ट्रांसफर होकर क्लर्क गया है उसको नहीं मिलेगा। अगर लिस्ट में उसका नाम आ भी जाय और वह जिलाधीश को दरख्वास्त अलाटमेंट के लिये दे तो भी उसको नहीं मिल पायेगा बल्कि उस अफसर को मिलेगा। आपके यहां एक चतुर्वेदी अफसर थे। उनको एक मकान यहां अलाट कर दिया गया और दूसरा उन्होंने इलाहाबाद में अलाट करवा लिया। तो मैं फिर से पुरजोर अपील करूंगा कि यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में देने का मतलब यह है कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको कायम रखना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस कानून की जो मंशा है जिससे मध्यम श्रेणी के लोगों को रिलीफ मिल सके अगर यही नीयत है और उसको आप कायम रखना चाहते हैं तो वह तभी हो सकता है जब आप जिलाधीश के इन आदेशों के ऊपर जुडिशियल स्क्रुटिनी का फोरम बनायें और वह डिस्ट्रिक्ट जज ही हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री पन्ना लाल (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय मैं उत्तर प्रदेश शहरी भवन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक इतना अच्छा और गरीब पर्वर बनाया गया है जिसकी जितनी तारीफ की जाय उतनी कम है। इसलिए मैं तारीफ ज्यादा कर रहा हूं कि हमारे भूतपूर्व मंत्रि-मण्डल ने भी इस पर काफी निगाह डाली है काफी अच्छी तरह से देखा है और देखकर इस विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को तैयार किया है। इसमें बड़ी मीनमेख निकाली गई हैं कि वह कौन-कौन सी चाजें हो सकती है जिनसे किरायेदारों का भला हो सकता है। मगर, उपाध्यक्ष महोदय, इसका जो अध्याय ४ है उसकी दफा २० से २४ को पढ़ने से मालूम होता है कि जिस आदमी ने यह विधेयक बनाया है उसकी पूरी मेन्टेलिटी उन पूंजीपतियों के साथ थी जिनके मकान काफी हैं और जो मकान के मालिक हैं क्योंकि इस अध्याय ४ के अन्दर ऐसे कानून बना दिये हैं कि जब चाहे जिलाधिकारी और उसकी मर्जी पर उसको खाली एक समाधान हो जाय कि मकान की जरूरत है। इसके खानदान के लिये या कल कारखाना खोलने के लिये जरूरत है या मकान बनाने के लिये जरूरत है या उस बड़े बंगले में कई फ्लाट बनवाने की जरूरत है तो उसको खाली करवा दे और पुलिस फोर्स से उसको बेदखल करके अधिकार मकान मालिक को दिला दें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूं कि जब यह सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय तो उसमें तरमीम करें।

इधर मैंने देखा है कि हमारी सरकार का रुझान अफसरों की तरफ ज्यादा होता चला जा रहा है और वह सारे पावर्स उनको देती चली जा रही है। वह अधिकारी जो सेक्रेटेरिएट में आज बड़े-बड़े ओहदे पर हैं और करीब १६ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास मकान है और जो ८०० से १,६०० रु० तक किराया लेते हैं अपने मकानों का और खुद सरकारी बंगलों में रहते हैं। आपके सामने एक चतुर्वेदी जी का केस आया। अफसर बाहर ट्रांसफर हो जाते हैं उनके बच्चे और बीवी यहां रहते हैं और वह जहां जाते हैं वहां भी सस्ते मकान आकुपाई करते हैं। अगर दूसरा आदमी कर ले तो उसके ऊपर मुकदमा चले। इनके ऊपर मुकदमा भी नहीं चलता। यही कानून बनाने वाले हैं और यही तोड़ने वाले हैं। इस विधेयक को बनाने वाले भी वही लोग हैं जो सारी पावर्स घूमघुमाकर अपने पास रख लेते हैं। मान्यवर अभी गुन्डा ऐक्ट में उनको पावर दी गई लेकिन इस शहरी भवन में कौन सी ऐसी चीज थी कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के पास या जुडिशियरी में चली जाती तो बड़ी भारी हानि हो जाती। गरीब आदमी को कभी राहत नहीं मिलती इक्जेक्युटिव से। इक्जीक्युटिव से जो पैसे वाले लोग हैं जो असर वाले लोग हैं वह फायदा उठाते हैं। मगर जुडिशियरी में सिफारिश नहीं चलती और वहां गरीब को भी न्याय मिलता है। आज हम कहते तो हैं कि प्रजातंत्रवाद है हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं मगर करने जा रहे हैं केंद्रीयकरण। सारे पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देते जा रहे हैं। जिला परिषद् खत्म हुई तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गई गुन्डा ऐक्ट बना तो वह भी जिला मैजिस्ट्रेट के लिये और अब यह भवन का मामला आया तो इसमें भी जिला मैजिस्ट्रेट। आखिर एक आदमी पर इतना बोझ लादिये जितना वह ले चले। इतना न लादिये कि ठोकर खाकर गिर पड़े और न आपका काम हो और वह अस्पताल में दवाई करावे। तो अध्याय ४ की दफा २० से लेकर २४ तक ऐसा बोझा है जो जिलाधिकारी के ऊपर लादा गया तो वह ठोकर खाकर गिरेगा। जब मकानों की दिक्कत आयेगी कौन सा जिलाधिकारी ऐसा है जो बड़े आदमियों के सामने नतमस्तक नहीं हो जाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण सन् १९५६ का दे दूं। यहीं पर आपके सरकारी अधिकारियों ने हाउस स्मगलिंग में परमिट लिया। कोयले के पांच-पांच वैगन लिये सीमेंट ली और कहीं बट्टा नहीं लगा। उच्च अधिकारियों ने यहीं मिनिस्टरों के सामने ६ आने स्क्वायर फुट में जमीन ली। एक सबसे बड़े उच्च अधिकारी और एक सीतापुर के जिलाधीश ने बटलर पैलेस के सामने जो बंगला चार एकड़ का था वह १० ००० रु० में ले लिया और रातोंरात में अफसर का सारा सामान पुलिस के द्वारा फिंकवा कर कब्जा कर लिया गया। तो यह अफसर जो हैं इनके लिये कोई कानून-कायदा नहीं है क्योंकि कोई बात हम उठाते हैं तो खट से फाइल दबा कर नीचे रख दी जाती है। तो यह बड़ी खराब हालत है। अब तो इसमें टाउन एरिया भी आ गयीं। तो बताएं कैसे काम होगा?

[श्री पन्ना लाल]

एक उदाहरण में दे दूंगा। हमारे जिले में पी० डब्लू० डी० की तरफ से एन्क्रोचमेंट के मुकदमे चले, १० बाई १५ फीट जमीन के एंक्रोचमेंट के, उन पर चार-चार हजार की मालियत लगाई गई जबकि वह १५ रुपये की भी जमीन नहीं है और सरकारी वकीलों ने खूब मेहनताना लिया। अब दूसरा वकील जो जाता है उससे पैसा लेते हैं। तो कानून तोड़ना पब्लिक के बजाय सरकारी अफसर ज्यादा जानता है। जैसे लखनऊ की एक कहावत है—मखमल में लपेटकर रखो, सीधे मत रखो। तो यह मखमल में लपेट कर तोड़ते हैं। ऐसे कानून से गरीबों को राहत मिले वह तो ठीक है, लेकिन पूंजीपति इसका जितना उपयोग करेगा, गरीब नहीं कर पाएगा। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि आज कौन सा सरकारी अफसर है जो गरीब घर का है। ८० प्रतिशत बड़े घर के हैं और उन्हीं का फायदा करते हैं। मैं अपने जिले में देखता हूं कि जो बड़े-बड़े आदमी होते हैं उन्हीं का सब काम होता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्याय ४, दफा २० से २४ तक बिलकुल निकाल दें। वहां कोई कमेटी बना दें। कमेटी विचार करे फिर किसी मैजिस्ट्रेट को दे। जैसे गुन्डा ऐक्ट में भी था, आज कमिश्नर तक पावर लिमिटेड कर दी, पहले गवर्नमेंट तक थी, वह रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आती थी। गवर्नमेंट देखती थी कि गुन्डा है तब बन्द किया जाता था। आज सारी पावर्स ब्यूरोक्रेसी को दे दी गई है। इसलिए दफा २० से २४ पर सेलेक्ट कमेटी गंभीरता से विचार करे और गवर्नमेंट भी इस बात को सोचें कि सारी पावर्स ब्युरोक्रेसी को न देकर एक कमेटी बनावें। श्रीमन्, और दफाओं का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव को मान लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के संबंध में इस बात के लिये तो माननीय मंत्री जी को बधाई देनी ही पड़ेगी कि उन्होंने एक स्थायी विधेयक लाने की कोशिश की है। लेकिन श्रीमन्, यह विधेयक मंत्री जी की जानकारी से बाहर बनाया गया। इसका पहला सबूत यह है कि आपको आधा घंटे के लिये हाउस स्थगित करना पड़ा। मंत्री जी को तो इसको पढ़ने की भी फुरसत नहीं मिली कि उसमें शुद्ध लिखा है या गलत लिखा है। तो माननीय मंत्री जी की नजरों से तो वह गुजरा ही नहीं, यह बात साफ जाहिर है। इसको बनाने में विभाग के बड़े बड़े अफसरों का हाथ है।

मुझे केवल दो-तीन व्यावहारिक बातें कहनी है। श्रीमन्, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुराना जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट है वह इस विधेयक के मुकाबले में ज्यादा प्रभावशाली है और उससे ज्यादा राहत मिल सकती है। यह जो विधेयक पेश किया गया है इसमें कानून का जाल बिछाकर लंबा-चौड़ा जरूर इसको बनाया है लेकिन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसको छोड़ दिया गया है। मान्यवर, हमने कभी यह सुना नहीं कि मकान-मालिकान इस बात के लिये राजी हो जायेंगे। मान लीजिये कोई फिमेल है और उसकी जायदाद या मकानात हैं तो क्या वह अपनी हैसियत की जायदाद में से अपने नाना जी इत्यादि को हक दे सकेगी। मैं समझता हूं यह बड़ा ही हास्यास्पद है। मंत्री जी कृपया इसको रोक दें। अगर कोई फिमेल किरायेदार है तो क्या उसका हक उसके बाबा जी या नानाजी को मिलेगा? मैं समझता हूं कि अगर मंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं तो वह बड़ी ही अव्यावहारिक बात होगी। मुझे पूर्ण आशा है मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे।

दूसरी बात वह है जो कि माननीय सदस्य ने कही। उपाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि है कि विभाग ने इस बिल का प्रारूप बनाया है। मैं समझता हूं कि विभाग ने अपने साथियों,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दोस्तों और रिश्तेदारों को संरक्षण के लिये ही ऐसा किया है। उपाध्यक्ष जी, रोजवेज के एक जनरल मैनेजर हैं मल्कानी साहब जो यहां पर हैं। दो साल पहले वे नैनीताल में थे। नैनीताल में बहुत बढ़िया बंगला बनाया है। वह बंगला बड़ा ही ठाठदार है। एक बहुत बढ़िया बंगला किराये का उनके कब्जे में है। उपाध्यक्ष जी, वे बड़े ही ठाठ से किराये के बंगले में रह रहे हैं। मैं आपको ऐसे १०० उदाहरण दे सकता हूं, मगर मैं समय जाया नहीं करना चाहता हूं। बहुत से बड़े-बड़े आदमी जहां जहां हैं वहां-वहां उन्होंने अच्छे-अच्छे मकान किराये पर लेकर अपने कब्जे में कर रखे हैं। इन जगह में आप जाएं और देखें।

पहले जो अस्थायी रेंट कंट्रोल ऐक्ट था उसमें भी ऐसा नहीं था। उसमें भी किरायेदार को इस तरह से बेदखल नहीं किया जा सकता था। मैंने आपको मल्कानी साहब का किस्सा सुनाया। जब मल्कानी साहब की लड़की के स्वसुर मकान के हकदार हो सकते हैं तो विभाग के सब लोग भी हकदार हो सकते हैं। इस में सब बातें आनी चाहिये थी। पता नहीं, क्यों नहीं आयीं। यह बात सही है, उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय को दोष नहीं दूंगा, उनके विभाग के उच्चाधिकारियों ने ऐसा किया होगा। उन्हें इस बात का पूरा-पूरा ख्याल था कि धन्ना सेठ जो शहरों में बड़ी-बड़ी जायदाद बनाये बैठे हैं, उन्हें संरक्षण कैसे दिया जाय और उनके हितों को कैसे सुरक्षित रखा जाय? सरकार ने इस अधिनियम को लाने की बात कही है। सरकार की तरफ से बीच-बीच में बहुत सी बातें आयी थीं कि पुराना रेंट कंट्रोल ऐक्ट स्थायी रूप से रखा जायगा। नाम मात्र को कुछ कर दिया गया हो, मगर इससे छोटे किरायेदार को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। किरायेदार को कोई लाभ ही नहीं, बल्कि छोटे किरायेदार को सरलता से कोई भी मकान नहीं मिल सकेगा। उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक से तो मकान मालिक को मकान छुड़ाने में सरलता मिलेगी। इतनी सरलता तो उसको पहले कभी नहीं दी गई। सन् १९४७ का रेंट कंट्रोल ऐक्ट था। उसमें भी यह नहीं था। उसमें बड़े रेस्ट्रिक्शन्स थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बड़ी कठिनाई से मकान को रिलीज कर पाते थे। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से अपील हो गई तो गवर्नमेंट के यहां कह सुनकर के सहूलियत हो जाती थी। इसमें तो आपने सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिस्पोजल पर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतना डिस्क्रिशन नहीं देना चाहिये। इतनी सरलता से मकानों को रिलीज करना अनुचित होगा। मैं कह सकता हूं कि इससे तो भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा और राजनीतिक दबाव में गलत कार्य किये जायेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, वह सही है, राजनीतिक दबाव होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ठीक तरह से बात को पूरी नहीं करते हैं तो रातों रात उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्वतंत्र नहीं है। इसलिये उपाध्यक्ष जी, ये तमाम सारे मामले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन में देना अनुचित होगा। इससे और कुछ नहीं होगा, केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उन सब बड़े-बड़े सेठ लोगों को, जो शहरों में मकान बनाने वाले हैं, और बड़े-बड़े लैंड लार्ड हैं, पैसा इकट्ठा करने का साधन बनाते हैं। यह सरकार कहती है कि समाजवाद ला रहे हैं। इस तरह से समाजवाद नहीं आयेगा।

दूसरी बात यह है कि नये निर्माण के लिये १० साल की छूट दी गई है। इससे यह होगा कि तमाम मकान मालिकों को मकानों से अधिक से अधिक पैसा कमाकर नया निर्माण करके नया मकान खड़ा करने की पूरी छूट मिल जायेगी। मेरा यह सुझाव है कि वह छूट जो १० साल की है इस मियाद को आप ५ साल की कर दें। बहुत सी जगह ऐसा है कि जो नया निर्माण होता है ५ सल के बाद वह अपने आप रेंट कंट्रोल के अन्दर आ जाता है।

इसी प्रकार से जो किरायेदर से १ प्रतिशत किराये की बात की गई है वह भी अधिक है। उसको आप एक बटा दो कर दें। एक बटा दो प्रतिशत अगर उसको नहीं रखा जायगा तो जो छोटे-छोटे किरायेदार हैं वह मकान किराये पर नहीं ले सकेंगे। आप जानते हैं कि शहरों में एक बटा चार के अलावा बाकी लोग मध्यम वर्गीय रहते हैं। वे काम करने वाले,

[श्री डूंगर सिंह बिष्ट---]
मजदूर, और छोटे तबके के लोग किराये पर रहते हैं। उनको सरकार यदि सहूलियत देना चाहती है और ईमानदारी के साथ समाजवादी व्यवस्था देश में लाना चाहती है और यह ईमानदारी की बात है तो आप इस चीज की तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

समरी ट्रायल की बात जो इसमें रखी गई है उसका मैं स्वागत करता हूं कि वह बहुत बढ़िया बात इसमें रखी गई है। मैं जानता हूं कि यह स्थायी रेंट कंट्रोल चालू हुआ तो सरकारी विभागों में जो ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं वह बहुत तरह से बहुत से मकानों को, बड़े-बड़े मकानों को बहुत तरह का छल प्रपंच करके अपने हस्तगत कर सकते थे। यह जो समरी ट्रायल की बात इसमें रखी है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं किन्तु डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अपील को कमिश्नर को सुनने का जो अधिकार दिया गया है वह नहीं होना चाहिये। ये दोनों ही एग्जक्यूटिव पावर वाले लोग हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर दबाव राजनैतिक पड़ता था तो वह कमिश्नर के ऊपर भी हो सकता है। वहां भी राजनैतिक दबाव डाला का सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर विचार कर लिया जाय और इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां हो। इसकी अपील अगर हाई कोर्ट में होगी तो यह बिलकुल एक देर का मामला हो जायगा। इसलिये मैंने जो सुझाव माननीय मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत किये हैं उनका वह ध्यान रखेंगे और इस विधेयक के अन्दर उनका समावेश करने की कृपा करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन की चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके सम्बन्ध में सामने आई। माननीय मंत्री जी इस बात का अनुभव करेंगे कि सदन की भावना स्पष्ट रूप से प्रकट की गई कि जो अनावश्यक छूट इस ऐक्ट से दी गई है जिसका जिक्र इस सदन के अन्दर हुआ, वह उचित नहीं है। जैसा कि फर्म को कुछ छूट दी गई है या कुछ और छूट दी गई है बड़ी बिल्डिंग के विषय में उनका दुरुपयोग होने की सम्भावना है इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से दूसरी भावना यह व्यक्त की गई कि किरायेदार पर किराये बढ़ाने की गुंजायश जो जोड़ दी गई है वह बिल्डिंग को रिपेयर करने के नाम पर उससे किरायेदारों के ऊपर बड़ी मुसीबत आ जायगी। इस भावना को माननीय मंत्री जी समझ गये होंगे ऐसा मैं समझता हूं।

तीसरी बात एक और है सुनवाई के विषय में चाहे वह स्माल काज कोर्ट के द्वारा हो या डी० एम० के द्वारा बेदखली की हो इस विषय में सदन की भावना यह रही है कि इस विषय में प्रवर समिति में विचार किया जाय। प्रवर समिति में इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को इतनी सरल सुनवाई के लिये करने की आवश्यकता है ताकि न्यायालय के अन्दर सुचारु रूप से हो सके। इसको सरल करने की आवश्यकता है। चाहे जिलाधीश की अदालत हो या मुन्सिफ की अदालत हो इस पर मन्त्री जी विचार करने की कृपा करें।

यह जो खतरा है मकानों को गिराकर किरायेदारों को बेदखल करने का इसको बहुत ही गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह ऐसा हथियार आप मकान मालिक के हाथ में दे रहे हैं जिससे किरायेदारों के सिर के ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहेगी और उसकी डोरी बहुत पतली होगी और वह तलवार कभी भी गिर सकेगी। यह भी भावना आई कि मालिकान को जितना इनसेन्टिव मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। इस बात को व्याख्या होनी चाहिये कि जिसको लैंडलार्ड स्वयं अपने पास रखेंगे वह रेंट कंट्रोल में नहीं आने चाहिये।

एक बात मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि यह अलाटमेंट की बात ऐसी है कि इस पावर का बहुत अधिक दुरुपयोग जिलाधीशों के द्वारा हुआ है, उस की कोई सीमा ही नहीं है, चाहे जिसके नाम उन्होंने अलाटमेंट किये हैं, कोई नीति, कोई कानून, कोई परिधि उनकी इस पावर की

नहीं रखी गई है। इसलिये उनको अलाटमेंट करने के लिए एक परिधि या दायरे में बांध दिया जाय कि किन परिस्थितियों में आवश्यकता देखकर या किस प्रायटी से या किन आवश्यकताओं को देख कर और कम्पेयर कर के वह कैसे अलाटमेंट करेंगे। इन तमाम बातों पर हमें विचार करना होगा।

ज्यादा समय न लेकर मैं एक सुझाव और दूंगा और वह यह कि इस विधेयक को प्रदेश के सभी बार असोसियेशन्स में सरकुलेट किया जाय, उनके प्रधानों को यह भेजा जाय, उनके पास क्वेश्चनेयर या प्रश्नावली बना कर भेजी जाय और साथ ही प्रदेश के हाईकोर्ट व सबार्डिनेट कोर्ट्स के मशहूर वकीलों से भी इस विधेयक पर राय ली जाय और इसकी खामियों को उनके प्रैक्टिकल अनुभव की बिना पर दूर किया जाय और जो लूपहोल है उसको भरने की कोशिश की जाय।

एक बात और कहनी है और वह यह है कि अन्य प्रदेशों में जो रैंट कंट्रोल ऐक्ट बने हैं समिति के सामने रखा जाय और उनके भाषणों को प्रवर समिति के सामने रखा जाय और उन पर विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जो प्रवर समिति में भेजने का मेरा प्रस्ताव जो विरोधी पक्ष की ओर से आया है उसको वह स्वीकार करें। वह उस परम्परा पर न चलें कि अगर विरोधी पक्ष की ओर कोई संशोधन आये तो उस को गिरा ही दिया जाय। रहा एक मास के लिये समिति में जाने की बात वह चाहे एक मास के लिये हो या अगले अधिवेशन तक के लिये हो, यह कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं है। मेरी अन्त में प्रार्थना है कि मंत्री जी हमारे संशोधन को स्वीकार करें और सदन की भावनाओं को स्वीकार करते हुये और इस संशोधन को स्वीकार करते हुये वह इस बिल की खामियों को दूर करने का प्रयत्न करें।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री भवगती सिंह विशारद हैं नहीं, उन का भी संशोधन था। अब खाद्य मंत्री जी बोलें।

श्री बल्देव सिंह आर्य---

उपाध्यक्ष जी, कल से इस सदन में प्रस्तुत विधेयक पर विचार हो रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी बहस में भाग लिया है और उन्होंने जो सुझाव दिये हैं और जो अपने विचार प्रकट किये हैं उसके लिये मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे मित्र स्वामी नित्यानन्द जी ने, श्री शम्भूनाथ चौधरी जी ने, किदवई साहब ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं यह कह सकता हूं कि वह सभी विचारणीय सुझाव हैं। यह जो सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव आया है, मुझे विश्वास है कि संयुक्त प्रवर समिति में उन सभी सुझावों पर अवश्य विचार होगा और जो सुझाव स्वीकार करने योग्य होंगे वे अवश्य स्वीकार किये जायंगे। सब से बड़ी बात जो यहां पर कही गई वह यह है कि पहले जो लिटिगेशन का प्रोसीजर या तरीका था वह काफी लम्बा था इसकी चर्चा काफी हुई। अब जब उसको कुछ सरल बनाया गया तो उस पर भी माननीय सदस्यों का कहना यह है कि वह सरल होने पर भी जो हमारे किरायेदार हैं, टेनेन्ट उनको अधिक लाभ नहीं हुआ। उसका लाभ मकानदार को होनेवाला है। मेरा नम्रतापूर्वक यह कहना है कि अगर आप देखें हमारे पूरे देश में जितने राज्य हैं उनमें जो रेंट कन्ट्रोल और एविक्शन ऐक्ट है, उन को अगर आप एक नजर से देख लें तो हमारा जो यह वर्तमान अधिनियम है और जो विधेयक आप के सन्मुख प्रस्तुत है वह काफी अच्छा है इस माने में कि टेनेन्ट को हर तरह से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई है। उसको राहत दिलाने की कोशिश की गई है। यह ठीक बात है जैसा मैंने निवेदन किया था कि इस समय जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है उससे जनता

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

को मकानों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो हमें इस बात का भी प्रयास करना होगा उससे अधिक तादाद में मकान बन सकें और जो किराये के इच्छुक व्यक्ति हैं उनको उचित किराये के भवन मिल सकें। तो मैंने दूसरे राज्यों का जिक्र किया मैं कहना चाहता हूं कि लिटिगेशन के सिलसिले में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां कि मकान मालिक सीधे ही सिविल कोर्ट में दावा कर देता है। उसे कहीं इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।

आज हमारे प्रदेश में जो वर्तमान अधिनियम है उसके द्वारा वह पहले रेन्ट कन्ट्रोल या जिलाधीश के सामने अपनी दरख्वास्त को पेश करता है। उसके बाद कमिश्नर के यहां एग्रीव्ड पार्टी रिवीजन फाइल करती है। उसके बाद राज्य सरकार के सामने रिवीजन पेश होता है। जब यहां से निर्णय होता है तो उन दीवानी अदालत में जाकर एविक्शन की डिग्री लेता है। इतने स्टेजेज को पार कर के एक लैन्ड लार्ड को सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। दूसरे प्रदेश जहां वह सीधे ही सिविल कोर्ट में चला जाता है मैं आप को बताना चाहता हूं ऐसे प्रदेश हैं आसाम, बिहार, बाम्बे, जम्मू–काश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। इन प्रदेशों में सीधे ही लैन्ड लार्ड को सिविल कार्ट में जाने की बात है। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिसके विषय में आपने यहां विचार व्यक्त किये हैं कि जो रेंट कंट्रोल आफिसर हैं वे इतने सीनियर अधिकारी नहीं हैं कि वे आसानी से न्याय दिला सकें। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ प्रदेश हमारे देश में ऐसे हैं जहां रेन्ट कन्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन आफिसर को ही सिविल कोर्ट की पावर हैं। वे सारे मामले को सुनते हैं। वे आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा, केरल और ईस्ट पंजाब हैं। तो इस तरह की व्यवस्था उन प्रदेशों में है। इससे आप अन्दाज लगा सकेंगे कि हमारे प्रदेश में वादों को सुनने के लिये जो प्रोसीजर कायम किया गया है जो तरीका बनाया गया है यह इतना कठिन है कि लैन्डलार्ड को वह आसानी से नहीं मिल सकता।

दूसरी बात मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो सिर्फ रेन्ट और कन्ट्रोल को ही रेगुलेट करते हैं, बेदखली को और किराये की, बातों से उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे राज्य हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। इस तरह का रैन्ट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट उन प्रदेशों में लागू हैं। वे प्रदेश हैं—आन्ध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, मद्रास, राजस्थान इस तरह से कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कि वे खाली दो चीजों को करते हैं।

अब यहां पर एक चर्चा इस बात की हुयी कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े-बड़े कारखानेदार हैं, वे लोग अपने मकानों को कभी कभी किराये पर उठा सकते हैं और उससे नाजायज लाभ उठा सकते हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जो आम राय है कि अगर कोई भी कारखानेदार मकान बनायेगा और फिर उन्हें बाहर के आदमियों को किराये पर देगा तो यह कानून उस पर भी लाग होगा परन्तु केवल एक प्रतिबन्ध है कि अगर वह अपने अधिकारियों, अपने कर्मचारियों, और अपने मजदूरों के लिए बनाते हैं और सही तौर से इस्तेमाल होते हैं तो फिर उन पर रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट लागू नहीं हो सकता है। ऐसा प्राविधान इसमें कर दिया गया है।

एक बात का यहां पर और जिक्र हुआ है कि सिनेमा घर क्यों इसमें रखा गया है। यह बहुत बड़े कामर्शियल कन्सर्न हैं, बहुत बड़ा व्यवसायिक कन्सर्न हैं, सिनेमाघरों का। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ये सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट के जरिये से इनकी व्यवस्था होती है, इनका नियंत्रण होता है। जिन मकानों के सम्बन्ध में, जिन संस्थाओं के सम्बन्ध में पहले से कानून बने हुए हैं, उन पर दूसरे कानून लगाने से कम्प्लीकेशन होने का डर है। इसलिए उन को इस कानून की परिधि से अलग रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह ठीक ही हुआ है। इसलिये यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। जैसा कि मैंने कल ही निवेदन किया था

इसमें यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि खास कैटेगरी के मकानों को यदि सरकार चाहे तो इस अधिनियम की परिधि से विशेष विज्ञप्ति से पृथक् कर सकती है लेकिन अगर इससे कोई कानून का दुरुपयोग होगा तो सरकार को यह अधिकार है कि उसको फिर से परिधि के अन्दर ले आये। यह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखा है। मैं माननीय भगवती सिंह विशारद से कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है कि जनता की राय जानने के लिए इसका प्रसार किया जाय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन से इस आदरणीय सदन में इस विधेयक को पुरःस्थापित किया है, उसी दिन से अखबारों में और जनता के अनेक वर्गों से, वकीलों से और जो बड़े-बड़े लोग इसके जानकार हैं, उन्होंने अपनी राय लिख कर सरकार के पास अपने-अपने सुझाव भेजे हैं तो जनता में इस विधेयक का काफी प्रचार हो चुका है और जनता के लोगों की राय हमारे पास पहुंच चुकी है। इसलिये इसके और प्रचार की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आप यहां कहते हैं, उसका प्रचार तो जनता में होता ही रहता है। इसलिए मैं अपने मित्र माननीय विशारद जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

मैं स्वामी जी का भी हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का काफी अध्ययन किया है और अच्छे सुझाव दिए। मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं चूंकि सरकार ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, इसलिए उनके प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और वे भी अपना प्रस्ताव यदि वापस ले लें तो मैं उनका भी बड़ा आभारी हूंगा। अन्त में मैं पुनः आप सब मित्रों का हृदय से आभारी हूं कि आप ने इस पर जो सुझाव दिये हैं, वे सुझाव हमें सलेक्ट कमेटी में मदद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

अन्त में मैं आप सब मित्रों को धन्यवाद देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी आश्वासन दिये हैं उसके बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने विधेयक की कुछ त्रुटियों के संबंध में कहा था कि शुद्धि पत्र निकाला गया है। जो छापे आदि की गलतियां हैं उनको तो आप ठीक कर लें, लेकिन एक दो जगह ऐसी गलती हैं जो छापे की नहीं है, जैसे पृष्ठ २ पर धारा २ (६) (ख) के दूसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति के शुरू के शब्द के लिये "के पश्चात् शब्द" अभिप्रेत हो" होना चाहिये। और उसके नीचे (२) में शब्द "सिवाय" के बाद शब्द "धारा" की जगह शब्द "अधिनियम" होना चाहिये। इसी तरह पृष्ठ ३ पर (ग) के प्रतिबन्धात्मक खंड की दूसरी पंक्ति में शब्द "मैजिस्ट्रेल को" के बाद जो "खंड (अ)" लिखा है यह अस्पष्ट है। इसे स्पष्ट होना चाहिये कि यह किस धारा के अधीन है।

इसी तरह से जो भी गलतियां हैं छापे आदि की हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी संयुक्त प्रवर समिति में इस बिल को ठीक कराकर साइक्लोस्टाइल करा के माननीय सदस्यों को दें ताकि वहां कोई दिक्कत न हो। वहां शुद्ध प्रति उपलब्ध होना चाहिये।

श्री बलदेवसिंह आर्य--

आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

एक शब्द मैंने बताया था उसे भी मंत्री जी देख लें।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी अधिवेशन के प्रथम उपवेशन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

मेरा एक प्रस्ताव था .....

श्री उपाध्यक्ष--

आपका जो प्रस्ताव है उसके बारे में स्थिति यह है कि चूंकि हाई कोर्ट में उसके संबंध में रिट है, अतः वह यहां सदन में नहीं उठ सकता।

श्री धर्मवीर--

हाई कोर्ट में नहीं है, जज महोदय ने सुनने से इन्कार कर दिया है ...

श्री उपाध्यक्ष--

और भी प्रस्ताव हैं, आप सुन लें, फिर कहें।

एक-कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, रामधारी शास्त्री, आदि की है।

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय, राम कुमार शास्त्री, निहाला सिंह और अमरनाथ दुबे द्वारा प्राप्त हुई है जो बस्ती कचहरी में दिन दहाड़े हत्या तथा केदार नाथ, उपनिदेशक पालीटेक्निक, लखनऊ का कमरे में कत्ल के बारे में है। माननीय अध्यक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५१ की १० सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री शम्भूनाथ चौधरी व श्री भाभी राम यादव का बलिया, गाजीपुर, आदि जिलों में चावल के आयात में लगी रोक के कारण अभाव की स्थिति के बारे में है। पहले भी आया था। वह उसी की पुनरावृत्ति है। इस-लिये यह अस्वीकृत किया गया है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैंने कल नियम ३०१ के अन्तर्गत एक प्रश्न यहां उठाया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में जो चुनाव कारपोरेशन का होने जा रहा है उस चुनाव के अन्तर्गत मैं आप से एक घटना बतला देना चाहता हूं कि सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर ने किस तरह से दखलन्दाजी की है और वहां की जनता को धोखे में डाला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

न्यायालय के अधीन यह मामला है। इस पर आप भाषण न दें।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

यह प्रश्न हाईकोर्ट के विचाराधीन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब अध्यक्ष महोदय ने स्वयं लिख दिया है कि यह न्यायालय के अधीन है, तो उसका कोई आधार होगा। मैं आप की बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जो आप कहते हैं। मैं इस पर आप को बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। इस पर आप नहीं बोल सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह न्यायालय के समक्ष है।

नियम ५१ के अन्तर्गत एक श्री हिम्मत सिंह व श्री कृष्णस्वरूप वैश्य का देवरिया जिले की खड्डा चीनी मिल का सारा गन्ना पेरे बिना बन्द हो जाने के बारे में है। वह भी अस्वीकृत किया गया है।

एक श्री डूंगर सिंह विष्ट का अधिकतम जोत सीमा निर्धारित करने के कारण बड़े फार्मों पर कार्य करने वाले मजदूरों की बेकारी के बारे में है। वह भी स्वीकार नहीं किया गया है।

एक श्री सूबेदार प्रसाद, श्री कल्यान सिंह, श्री सन्तूराम, श्री रामनिहोर राय, और श्री राम प्यारे का—मिर्जापुर जिले में सहकारिता विभाग द्वारा कठोरता से कर्ज वसूली किये जाने के बारे में है। वह भी स्वीकार नहीं किया गया है।

एक श्री नित्यानन्द स्वामी और श्री त्रिवेणी सहाय का जिला सहकारी बैंक, उरई के संचालक मंडल को भंग करके श्री विष्णुदत्त शर्मा को संचालक नियुक्त करने के बारे में है, यह भी स्वीकार नहीं किया गया है।

एक श्री महरम सिंह, श्री सुखपाल पांडेय और श्री राम करन सिंह का श्री केदार नाथ अग्रवाल, उप-निदेशक, पोलीटेक्निक-लखनऊ की उनके कमरे में हत्या किये जाने के बारे में है। यह भी स्वीकार नहीं किया गया है।

एक सर्वश्री इन्द्रमणी बडोनी, राम लखन सिंह, राम विलास पांडेय, कल्पनाथ सिंह, बंशीधर पांडेय, अमरनाथ दुबे, मुमताज मोहम्मद खां, शिवानन्द नौटियाल तथा राम कुमार शास्त्री का—बद्रीनाथ के पुण्य स्थल तप्त कुंड आदि स्थानों को सरकार द्वारा नष्ट किये जाने के बारे में है। इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

एक श्री रियासत हुसैन का पी० एम० टी० परीक्षार्थियों को ओरीजिनल प्रवेश-पत्र न देकर डुप्लीकेट प्रवेश-पत्र जारी करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के बारे में है। इसको नियम ५१ में स्वीकार किया गया है।

[श्री उपाध्यक्ष]

एक सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, राम विलास पांडेय, राम कुमार शास्त्री, लालसा प्रसाद मिश्र, अमरनाथ दुबे और इन्दमणी बडोनी का शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बझेड़ा में ओला तथा बाढ़ पीड़ितों को सरकार का आदेश होने के बाद भी तकावी न बांटे जाने के बारे में है। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन् मेरा एक बड़े महत्व का प्रश्न था, जिसे मैंने और त्रिवेणी सहाय जी ने दिया था। उस पर आप गौर कर लेते। इस प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री ने सारे नियमों का उल्लंघन करके, अपने पद की सब नैतिकता को ताक में रखकर अपने पुत्र को बैंक का एक पदाधिकारी मनोनीत कर दिया है। यह उरई सहकारी बैंक का मामला है। इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसे कर्मचारी को जिसको डिसमिस कर दिया गया था, इस स्वच्छ प्रशासन का राग अलापने वाली सरकार ने पुनः नौकरी में रख लिया है और सचिव बना दिया है। इसके अलावा जिनका तबादला हो गया था उनको रोक कर रखा गया है। ५-५ हजार रुपया अपने स्कूलों को जिसके वह स्वयं प्रबन्धक हैं दिलवाया गया है। इस प्रश्न पर नियम ५१ के अन्तर्गत चर्चा नहीं होगी तो कोई भी अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं रह जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यदि आप आज्ञा देंगे तो कर लेंगे, लेकिन यह विचार करें कि माननीय चरण सिंह की सरकार के एक मंत्री ने, जो स्वच्छ प्रशासन कहते हैं, अपने लड़के को नामिनेट कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में विचार होना चाहिए और मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें कि उन्होंने अनुचित प्रभाव डाला है या नहीं? और क्या उन्हीं जैसे लोगों के कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं पनप रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैंने श्रीमन्, एक काम रोको प्रस्ताव जो दिया था उसके बारे में.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो उरई का प्रश्न है, उसके बारे में आप अल्पसूचित प्रश्न पूछें उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बारे में छानबीन करके, बिना आक्षेप किए हुए आप प्रश्न करेंगे तो ठीक होगा और उसका उत्तर आ जाएगा।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

माननीय नित्यानन्द स्वामी ने जो सवाल उठाया है, उसका मुझे कोई इल्म नहीं है। तो मैं बहुत अनुगृहीत हूंगा स्वामी जी का कि वह मुझसे बात कर लें और जो उनके पास जानकारी हो, उसे मेरी नोटिस में लाने की कृपा करें, मैं उसे अवश्य देख लूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैंने एक नियम ५१ में दिया था, उसके बारे में आपसे यह सूचना मिली कि यह एक बार अस्वीकृत हो गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अस्वीकृत हुआ था १६ तारीख को, वह केवल बलिया के बारे में था, किन्तु उस समय केवल बलिया पर प्रहार हुआ था। जो समय बीता है बलिया के अलावा गाजीपुर, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस चार जिलों पर और माननीय मंत्री ने प्रहार किया है। तो विषय व्यापक हो गया है। अस्वीकृत बलिया का

हुआ था। पांच जिलों के लिए नहीं हुआ था। यह लोक महत्व का प्रश्न है। जब देशी रियासतों को समाप्त करके सारा हिन्दुस्तान एक इकाई के रूप में आर्थिक दृष्टि से है, माननीय मुख्य मंत्री क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाने का विरोध किये हैं, उनके काल में....

श्री उपाध्यक्ष—

कई जिले बढ़ा दिये हैं यह सही है। यह नीति का प्रश्न है। आप अल्पसूचित प्रश्न को सूचना दे दें। इसको नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

यह अस्वीकृत नहीं हुआ है। जो बलिया के सम्बन्ध में था वह अस्वीकृत हुआ है। अब पांच जिले आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष —

आप अल्पसूचित प्रश्न कर दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने अल्पसूचित प्रश्न किया था और श्रीमन् ने उसको स्वीकार किया है लेकिन आज तक नहीं आया। तब तक यह अधिवेशन खत्म हो जायगा। यही कह दें कि अल्पसूचित प्रश्न कल आ जायगा। बलिया पर अल्पसूचित प्रश्न दिया है। श्रीमन् ने स्वीकृत किया है।

श्री उपाध्यक्ष —

इस पर देख लेंगे। पूछ लेंगे, अध्यक्ष जी ने जो किया है उस पर आप की ऐसी भावना (फीलिंग) है। व्यापक सवाल है। अगर वक्तव्य के लिए हो सकेगा तो देखेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था चाहता हूं। आपने अभी जो कहा, आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि १९६५ में जब ऐतिहासिक घटना घटी थी केशव सिंह की इस असेम्बली ने प्रतारणा की थी। उसके बाद केशव सिंह के मामले पर असेम्बली के सजा देने के बाद जजों ने जो फैसला दिया, उस पर असेम्बली ने जजों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। उस समय केशव सिंह का मामला पेंडिंग था। उसके बावजूद उस समय के अध्यक्ष माननीय वर्मा जी ने चर्चा करवायी थी। माननीय उपाध्यक्ष जी अगर आप देखेंगे तो तीन, चार मामले ऐसे हैं, सदन में सारी पुस्तक को नहीं ला पाया, मैं साबित कर सकता हूं इस मामले में चर्चा हो चुकी है। जो विषय न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर ऐसी चर्चा न करें जिससे माननीय न्यायाधीशों के निर्णय देने में प्रभाव पड़े। यहां पर यह बात नहीं है। एक्जिक्यूटिव डिपार्टमेंट के रूप में स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। उन्होंने एक नया सिम्बल बढ़ा दिया जो बैठे हैं श्री अतीकुर्रहमान। मैं माननीय मुख्य मंत्री की तारीफ करता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री ने सहकारिता मंत्री के सम्बन्ध में कहा कि इस मामले को सुनेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन भ्रष्ट मंत्री की बात सुन लीजिये जिन्होंने अपने सारे पदों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने नया सिम्बल बढ़ा दिया।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

प्वाइंट आफ आर्डर। मेरे माननीय मित्र ने यह कहा कि भ्रष्ट मंत्री जी बैठे हैं। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब बात नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

भ्रष्ट नहीं। जो भ्रष्ट तरीके उन्होंने अपनाये।

श्री चरण सिंह—

यह दूसरी बात है। आपने भ्रष्ट मंत्री कहा ह। यह बिल्कुल अनपार्लियामेंटरी है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने भ्रष्ट तरीका कहा। यह भ्रष्ट तरीका उन्होंने अपनाया है यह मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप कहते हैं कि आपने नहीं कहा तो उसे माने लेता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर भ्रष्ट मंत्री मैंने कहा है तो मैं उसे वापस लिये लेता हूं। कांग्रेस का विघटन अवश्य हुआ है कांग्रेस (आर०) तथा कांग्रेस (ओ) में लेकिन केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ही नेशनल पार्टी है। न कोई रीजनल पार्टी है, न कोई "आर" है और न कोई "ओ" है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के यह सब लोग निष्कासित किये गये हैं जैसे सुभाष बाबू निकाल दिये गये थे, रफी अहमद साहब निकाल दिये गये थे। उन्होंने एक पार्टी बना ली उसे चाहे इंडिकेट कहिये, इंदिरा गांधी की पार्टी कहिये। मद्रास हाई कोर्ट में सिंगिल जज ने फैसला दिया था वर्किंग कमेटी में हमारी मेजारिटी है और वर्किंग कमेटी अपनी जगह है और हमारी पार्टी को सिम्बल देने के लिये फैसला किया गया लेकिन चूंकि कमीशन उस बात को सुन रहा था और वह जुडीशियल बाडी है फुल बेंच ने यह फैसला करके मद्रास हाई कोर्ट के सिंगिल जज के फैसले को रद्द कर दिया। कमीशन को राइट है सिम्बल को एलाट करने का और पार्टियों के एलाटमेंट के बारे में सुनवाई करे। अब यह सिम्बल देने की जिम्मेदारी रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल्स ऐक्ट के मातहत इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है। लेकिन पता नहीं कैसे अतीकुर्रहमान साहब ने वहां डायरेक्टर इलेक्शन को कह दिया और उसने एक नया सिम्बल जोड़ कर एक बैल बांट दिया।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

यह बिलकुल बेबुनियाद बात है। माननीय सदस्य ने एक बात भी सही नहीं फरमाई।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंत्री जी जो मेरी बात को कहते हैं कि यह बेबुनियानद है तो वह गैर ईमानदारी की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको तमीज नहीं है। (व्यवधान) इतनी बेईमानी की बात की है ....

श्री चरण सिंह—

यह झूठ शब्द जो माननीय सदस्य ने कहा है यह अनपार्लियामेंटरी है। इसे वापस करवाइये।

श्री बंशीधर पांडेय—

मुझे दुख होता है कि आप अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं। आपने उनकी पूरी बात को सुना नहीं। जिस लहजे में उन्होंने कहा कि मेरी बात बेबुनियाद है।

श्री चरण सिंह—

इसका सवाल नहीं है। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि किसी माननीय सदस्य का यह कहना कि फलां झूठ बोलते हैं यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने झूठ नहीं कहा। जब उन्होंने कहा कि मैं बेबुनियाद बोलता हूं तब मैंने कहा कि झूठ बोलते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

इस बात की जांच कर ली जाय क्या यह वाकया नहीं है। इलाहाबाद के चुनाव में वह कहते हैं कि हमारी बात बे बुनियाद है तो आप पता लगा लें कि उन्होंने कारपोरेशन को यह आर्डर दिया है या नहीं कि एक सिम्बल बैल का जोड़ दिया जाय।

अगर हम गलती पर हैं तो माफी मांग लेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जरूर कहा है कि ये झूठ बोलते हैं। इस शब्द को आपको वापस लेना चाहिए।

श्री वंशीधर पांडे—

मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सत्य से परे कहा जाय। किन्तु आपने झूठ शब्द कहा है। प्रश्न यह है कि चाहे किसी ने सुना हो चाहे न सुना हो, कहा हो या न कहा हो किन्तु यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं कहा है तो माना जाता है कि उन्होंने नहीं कहा है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जैसे मैंने निवेदन किया था कि आप पंच बन जाइये।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आज खुशकिस्मती का दिन है कि कृष्णानन्द राय जी भी मुझे पंच बना रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके अन्दर कुछ राज है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं और पांडे जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी बातें हुईं तो सभा में बहस करना नामुमकिन हो जायेगा। जैसे आपने झूठ शब्द कहा, और फिर बेइमान और गुंडा कह कर इस सदन को क्या हालत होगी—बहस नहीं हो पायेगी। आप यह कह सकते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, आप बे-बुनियाद कह रहे हैं किन्तु आपने झूठ शब्द कहा है। तो मैं माननीय मित्र से आग्रह करूंगा कि यह मुनासिब नहीं है। इस शब्द को उन्हें वापस लेना चाहिए।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं मुख्य मंत्री जी के कहने से वापस ले लेता हूं किन्तु उन्होंने भी बे-बुनियाद कहा है वे भी वापस लें या नहीं लें मैंने तो वह शब्द वापस ले लिया है। तो, उपाध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि यह बात सही है कि माननीय मुख्य मंत्री इस बात का पता लगायें कि ये सिम्बल जोड़ा गया है अथवा नहीं? यह आप बे-बुनियाद कहते हैं तो यह हिम्मत करके कहें कि एक बैल का सिम्बल इलाहाबाद नगरपालिका के चुनाव में जोड़ा गया है या उसमें नहीं जोड़ा गया है?

श्री अतीकुर्रहमान—

मैंने कहा कि इस मामले का मुझसे ताल्लुक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी को एक बैल के सिम्बल दिये जाने का प्रमाण देना चाहता हूं। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। यहां के जो इलेक्शन

[श्री धर्मवीर]

आफीसर श्री प्रेम प्रकाश हैं उन्होंने २३ तारीख को यह कहा कि कोई सिम्बल दो बैलों की जोड़ी का किसी पार्टी को नहीं दिया जायेगा। किन्तु २४ तारीख को उन्ही इलेक्शन आफीसर के हस्ताक्षरों द्वारा किसी स्पेशल मैसेन्जर के हाथों एक पत्र भेज दिया गया और यह सिम्बल इलाहाबाद नगरमहापालिका को दिया गया। तो माननीय मुख्य मंत्री जी इसका पता लगायें और इसकी जांच करावें।

श्री चरण सिंह--

माननीय धर्मवीर जी गुस्सा हो रहे हैं। एक बैल की और दो बैल की जोड़ी का सब झगड़ा निपट जायेगा। अकेला बैल तो कुछ नहीं कर सकता है यह तो सभी जानते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न पी० एम० टी० की परीक्षा से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष--

जिस विषय पर बहस हो रही है क्या यह कम महत्वपूर्ण है? यह भी महत्वपूर्ण है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इस एक बैल के झगड़े में एक हिस्सा मेरा भी है उस माने में कि इस देश का इस दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास में जब एक अध्याय बनेगा तो उसी में यह भी लिखा जायेगा कि ऐसा नाकारा दल भी मिला जिसने अपना सिम्बल एक बैल बनाया। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि एक बैल का क्या करेगा क्या एक बैल को बेचेगा, गिरवी रखेगा और यह सही है कि अगर सचमुच वह दल है जो कि न कांग्रेस (आर) है, न कांग्रेस (इन) है और न कांग्रेस (ओ) है। इस समय भी अखिल भारतीय कांग्रेस एक महान् संस्था है, बराबर रही है और आज भी है। मेरे मित्र हंसे और उस हंसी पर मुझे भी हंसी आ गयी। जब उनको कटु सत्य कहा गया तो उनको अच्छा न लगा।

एक सदस्य--

मुझे एक शंका हो गयी। दो बैल में से जब एक बैल उन्होंने ले लिया तो उनके पास भी तो एक ही रह गया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

हमारे पास तो दो के दो ही हैं और जो एक बैल पर निगाह डाल रहे हैं, उनके पास न एक रहेगा और न दो रहेंगे।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की चर्चा जिसका सम्बन्ध केन्द्र की एक पार्टी से है, इस सदन में नहीं उठायी जा सकती। एक बैल है या दो बैल हैं, इसकी चर्चा इस सदन का विषय नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार चर्चा इस सदन में न की जाय तो अच्छा है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं इस बारे में बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि केन्द्र की पार्टी का नाम लेकर हमें न डराया जाय। वे डरना चाहते हैं तो डरें लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, न केन्द्र की पार्टी के नाम से और न इन्दिरा जी के नाम से।

श्री धर्मदत्त—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की यहां चर्चा चलेगी तो क्या आप उसका उत्तर देने के लिये हमें भी समय देंगे ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

आप किस चीज की चर्चा करना चाहते हैं ? यहां तो प्रश्न दूसरा ही है । यहां न आवेश का प्रश्न है और न उजलत का । मैं तो उसका जिक्र कर रहा था कि हमारे यहां एक विचित्र बात हो गयी ।

एक सदस्य—

अभी आपने धर्मवीर जी के प्रस्ताव पर निर्णय दे दिया कि वह हाई कोर्ट के विचाराधीन ह, इसलिये बहस नहीं हो सकती है फिर यह बहस क्यों हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर तो निर्णय हो ही गया ।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

अगर सीमित क्षेत्र में इस प्रश्न पर चर्चा चली तब तो मैं इसको बहुत अच्छा समझूंगा । लेकिन अगर यह प्रश्न इस प्रकार से प्रस्तुत हुआ जिस प्रकार से माननीय आचार्य जी ने प्रस्तुत किया है तो हमको भी उसका उत्तर देना होगा और एक विवाद खड़ा हो जायगा । फिर कहा नहीं जा सकता कि यह कहां तक जायेगा । इस प्रकार का बाहर निबटारा भी हो चुका और जनता ने भी इसका निबटारा कर ही दिया है और दूसरी जो संस्था है, उसका तो कहीं पता नहीं रहा है ।

(व्यवधान)

शोर मचाने से कुछ न होगा अगर आप कहेंगे तो आपको सुनने के लिये तैयार होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो इसको गंभीर बना रहे हैं । मजाक में कुछ बातें चल गयीं । इस सदन में अगर हंसी में भी कुछ चल जाता है तो अच्छा है । वह भी एक गुण है । जब कभी एक बात मजाक में चले, तो हो सकता है वह किसी एक के खिलाफ हो या दूसरे के खिलाफ हो, लेकिन उसको हंसी के सिवाय और किसी प्रकार से लेना उचित नहीं है । इस प्रकार की बहस ठीक नहीं है कि उनका गुट अच्छा है या इनका गुट अच्छा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

यह बात हंसी में नहीं गंभीरता से कही गई । अगर हंसी में कही गयी होती तो हम भी हंसी में जवाब देना जानते हैं और हंसना हम भी जानते हैं लेकिन न माननीय आचार्य जी हंसे, न उन्होंने हमको हंसाया । उन्होंने एक गंभीरता से बात कही इसलिये आवश्यकता है कि गंभीरता से उत्तर दिया जाय ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मान्यवर, कृष्ण चन्द्र जी, ने सचमुच मुझे बहुत गलत समझा ।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मैं जानना चाहता हूं कि किस विषय पर विवाद हो रहा है इस समय ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

आप अगर यह भी न समझे तो आपकी बहुत खूबी है ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य को सलाह दूंगा कि दिल्ली में जो ए० आई० सी० सी० की बैठक हो रही है उसके लिये अपनी शक्ति को रिजर्व रखें ।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मुंशी प्रेमचन्द जी ने बैलों की तारीफ में लिखा है कि किसी साधू की तरह बैल बिल्कुल तपस्वी, निर्लिप्त होता है । उससे सीधा जानवर एक और है और वह खाली है ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

एक बैल आपके लिये काफी है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारे पास तो बरगद है, हम उसमें बांध सकते हैं उसको ।

(व्यवधान)

श्री रियायत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा आपसे यह निवेदन हैं कि जो दफा ५१ में आपने स्वीकृत किया है जिसमें ८–९ हजार बच्चों के इम्तहान का मामला है आज वह बच्चे जब आना शुरू हुए तो उनको बजाय ओरिजिनल के डुप्लिकेट ऐडमिट कार्ड मिलते हैं । मेरा मतलब यह है कि कल और परसों की छुट्टी है आप सरकार से यह कहें कि २९ तारीख को जवाब दे दें क्योंकि २ तारीख से इम्तहान होने जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष— .

अगर इस सवाल के बारे में जो स्वीकार किया गया है अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री आज जवाब देने की स्थिति में हों तो जवाब दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

चर्चा किस विषय पर हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्री-मेडिकल टेस्ट के प्रवेश-पत्र ओरिजिनल और डुप्लिकेट दिये जाते हैं । इससे गड़बड़ी होने की संभावना है और इम्तहान होने वाला है

(व्यवधान)....

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

२९ तारीख को इस संबंध में जो सूचना प्राप्त होगी उसकी जानकारी सदन को दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के ४०० विद्यार्थियों का इम्तहान उन्हीं तारीखों में है....

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी अहमियत को बता दिया मैंने, इसलिये मैं कह रहा हूं, इस बात को सुन लें ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

मैं नियम ११० के अन्तर्गत कार्य-स्थगन का प्रस्ताव करने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं। अपने सत्तारूढ़ होने के प्रायः तुरन्त बाद.....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं, इस पर नहीं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री.....

(घोर व्यवधान)

रामनगर बाजार में विषाक्त भोजन से दो व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

मान्यवर, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा चेतराम गंगवार ने यह सूचना दी थी कि रामपुर नगर में खाद्य पदार्थों में मिलावट और नगर स्वच्छता के अभाव के कारण जन-जीवन संकटग्रस्त है और हाल ही में बाजार से भोजन लेकर खाने के फलस्वरूप दो परिवार बेहोश हो गये थे। इन परिवारों के दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। उन्होंने यह भी कहा था कि इस घटना से पूरे नगर में आतंक का वातावरण फैला हुआ है। पिछले कई महीनों से नगर-पालिका, रामपुर नगर के स्वास्थ्य और स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण नगर में बहुत गन्दगी फैली हुई है।

शासन को इस संबंध में जो जिले से सूचना प्राप्त हुई है, उससे मालूम होता है कि २६ मई, १९७० को एक तीन साल का बच्चा जिसका नाम नजाकत था तथा एक व्यक्ति लियाकत, सिविल अस्पताल में लाये गये। श्री लियाकत अस्पताल में पहुंचने से पूर्व ही मर चुके थे। श्री नजाकत का इलाज किया गया लेकिन उनका भी २७ मई, १९७० को देहान्त हो गया। दोनों ही के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन मृत्यु का कारण नहीं मालूम हो सका। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस को भेजी गयी, जो इसकी जांच कर रही है। अब तक इस मामले में जो जांच हुई, उससे यह मालूम हुआ कि ये दोनों व्यक्ति श्री अब्दुल मजीद के लड़के थे, जो मरीजों का इलाज भी करते हैं और भूत-प्रेत की झाड़-फूंक भी करते हैं। यह बिलकुल अनपढ़ आदमी हैं और अपना दस्तखत भी नहीं कर सकते। जिलाधिकारियों का यह ख्याल है कि श्री अब्दुल मजीद ने कोई धतूरे की दवाई बनाई थी और उसके बर्तनों को भलीभांति साफ नहीं किया था। धतूरा पीसकर कहीं रखकर छोड़ दिया था, जिसका प्रयोग मसाला समझकर कर लिया गया और उसके कारण सारा परिवार बेहोश हो गया। उनके मकान से एक कापी बरामद हुई है, जिसमें धतूरे के नुस्खे लिखे हुए हैं। यह मालूम होता है कि यह दुर्घटना परिवार की लापरवाही के कारण हुई थी।

जिले की रिपोर्ट यह है कि नगरपालिका रामपुर शहर की सफाई इत्यादि की तरफ ध्यान देती है। १ जनवरी, १९७० से १९ जून, १९७० तक ५ मुकदमें मिलावट (adulteration) के संबंध में अदालत में दायर किये गये हैं। यहां ४६५ सफाई मजदूर हैं, २१ हाथ की गाड़ियां है, ३५ भैंसा गाड़ियों और इसके अतिरिक्त ३ ट्रक और ८ ट्रैक्टर हैं जिनके साथ मैला ढोने का ट्रेलर लगा हुआ है। नगरपालिका में कुछ स्टाफ की कमी अवश्य है। इस समय ७ सेनेट्री इन्सपेक्टर के पदों में से ४ पद खाली हैं और एक सेनिट्री इन्सपेक्टर छुट्टी पर है। जो पद खाली हैं उनको भरने का प्रयत्न शासन की ओर से किया जा रहा है।

जहां तक शासन को मालूम है, रामपुर शहर में कोई आतंक नहीं फैला हुआ है। नगर-पालिका नगर की सफाई में और अधिक सुधार करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री अतीकुर्रहमान द्वारा वक्तव्य पढ़े जाने के बीच में बार-बार श्री सुखपाल पांडे द्वारा "व्यवस्था का प्रश्न है" कहने पर ।)

एक निश्चित घटना है, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया तो मैंने माननीय मंत्री जी को बोलने के लिये कहा और आप उसके बीच में सदन में इस तरह से रुकावट डाल रहे हैं। तो क्या यह सदन का अपमान नहीं है ? जब मंत्री जी किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आपको उस बीच में यह नहीं करना चाहिये ।

(व्यवधान)

इस तरह से बोलने की इजाजत नहीं दे सकता । आप अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

अब आप प्रश्न उठा सकते हैं । इस तरह से प्रदर्शन करना ठीक नहीं है । यहां आप लाउड स्पीकर का जो प्रयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं वह किस लिये कर रहे हैं ? किस माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया और हमने उठाने नहीं दिया । किन्तु जिस तरह आपको अपनी आजादी प्रिय है बोलने की वैसी ही दूसरे को भी प्रिय है ।

श्री सुखपाल पांडेय—

हमारी आजादी समाप्त कर दी गई है । आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे कहूं कि आप वहां खड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, बैलों की चर्चा पर इतना समय दिया तो इनको भी थोड़ा दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इनको पूरा सुनना चाहता हूं लेकिन आप ही बतावें कि जब आप खड़े हों और दूसरा कोई खड़ा हो और आपको न बोलने दे क्या यह ठीक है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह सही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप पूछिए क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री केदारनाथ अग्रवाल, उप निदेशक पोलिटेक्निक, लखनऊ की हत्या के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

केदारनाथ अग्रवाल, उप निदेशक की हत्या उनके आफिस में कर दी गई । उसी संबंध में मैंने दफा ५१ के अन्तर्गत आपके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । यह घटना लखनऊ में ८ बजे रात जहां उनके चौकीदार और सारे के सारे लोग मौजूद रहे हों, बत्तियां जल रही हों मान्यवर, यह चिराग तले अंधेरा है । माननीय चौधरी चरण सिंह के राज में इस तरह की घटनाएं अधिकारियों के ऊपर हो रही हैं । इस पर आपको विचार करना चाहिये और

स्वीकार करना चाहिये था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे सारे लखनऊ में आतंक फैला हुआ है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये आपको अनुमति देनी चाहिये थी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

इसी प्रसंग में मैं बहुत विनम्र...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जवाब दे लूं। इस प्रश्न को ५६ में जहां बस्ती कचहरी में दिन दहाड़े गोली को रखा गया है जोड़ा गया है। उसमें श्री केदार नाथ का भी है। आपका नाम भी जोड़ा जा चुका है। लेकिन इसको अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि सार्वजनिक महत्व का नहीं है। गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है। मैं अध्यक्ष से इस पर बात करूंगा।

श्री राम कुमार शास्त्री—

अब तो पीठासीन अध्यक्ष महोदय है नहीं। आखिर जान खतरे में हो तो जानोमाल की रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? बहुत मोटी बात है। एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं आखिरकार वह कौन अहम मसला हो सकता है जो आपके सम्मुख हम उपस्थित करेंगे। हम इसलिये उपस्थित करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने पावे और जब कि हमारे सामने मुख्य मंत्री भी हैं। यह एक जगह की बात नहीं है। कई जगह का जिक्र है और हमारे लिये यही रास्ता है कि जहां श्रीमान् हों, मुख्य मंत्री भी हों इसको उठावें और वह चाहे उसके पक्ष में कहें या विपक्ष में कहें लेकिन कहें और इससे माकूल कोई वक्त नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे वह स्वीकृत हो गया हो या अस्वीकार हो गया हो अगर मुख्य मंत्री जी को जानकारी है तो बतला दें। जिस वक्त यह अग्रवाल जी की घटना घटी तो इस बात का प्रयास किया गया कि यहां के जो नेता हैं उनके पास भी और मुख्य मंत्री के पास भी यह सूचना दे दी जाय। तो मेरा निवेदन है कि अगर इस किस्म की कोई घातक बात हो जाय तो मुख्य मंत्री तो बता ही सकते हैं। यह विश्वास कैसे हो सकता है कि हमारी जान व माल की हिफाजत होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने किया है, वह सही है। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वे इस विषय में कु बताएं।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मेरी समझ में यह घटना—यह वाकया रूल ५१ या ५२ के अन्दर नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत आता है।

श्री चरण सिंह—

मुझे नहीं मालूम—नियम ५६ क्या है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

नियम ५६ का मतलब एडजर्नमेंट मोशन से है।

*श्री चरण सिंह—

एडजर्नमेंट मोशन तो बिलकुल नहीं आता है। जो मेरे पास इत्तिला है वह मैं आपको बतलाये देता हूं। ३,००० कत्ल होते हैं। अगर हर कत्ल के बारे में या १/४, १/२ या १० पर्सेन्ट के बारे में एडजर्नमेंट मोशन रखे जायेंगे तो क्या हालत होगी। इस केश के सिलसिले में कोई खास बात नहीं है। यह दूसरी बात है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है वह हमारा एक उच्चाधिकारी था। इसलिये मैं समझता हूं कि एडजर्नमेंट मोशन का प्रश्न नहीं उठता है।

मेरे माननीय मित्र ने सुबह फोन किया और जो वाकया हुआ मुझे बतलाया। उन्होंने कहा कि हमने रात को भी आपको फोन किया था, लेकिन आप सोए हुए थे। यह उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे याद किया और यह मेरी बदकिस्मती थी कि मैं सोया हुआ था। उन्होंने आई० जी०, एस० पी० व सब-इन्सपेक्टर को फोन कर रखे थे। मुझे भी उन्होंने आई० जी० से फोन करने के लिये कहा। मैंने कहा कि यह साधारण मामला है और लोकल पुलिस स्वयं दिलचस्पी ले रही होगी, क्योंकि एक बड़े आफिसर का कत्ल हुआ है। तो मैंने आई० जी० को फोन करना जरूरी नहीं समझा। अगर हर ऐसे मामले में मुझे आई० जी० या एस० पी० से कहना पड़े तो यह समझा जायगा कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है और एस० पी० और आई० जी० अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैंने फोन नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा करना गैर जरूरी समझता था। एडजर्नमेंट मोशन का कोई सवाल ही नहीं है। मेरे मित्रों ने इस सवाल को उठाया और करीब-करीब आधा घंटा इसमें लग गया। मैं अपने मित्रों की एन्डयोरेंस के लिये बधाई देता हूं। लेकिन बात सुनाये देता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। यह एक ऐसी बात थी जिसके लिये वे मुझे चिट्ठी लिख सकते थे। इतना समय लेने की आवश्यकता नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २५ जून, १९७० को श्री के०एन० अग्रवाल उप निदेशक (प्रशासन) डाइरेकटरेट आफ ट्रेनिंग एन्ड एम्प्लायमेंट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ अपने कार्यालय में जो गुरू गोविंद सिंह मार्ग के समीप है, लगभग आठ बजे शाम को काम कर रहे थे। उनका चपरासी और एक चौकीदार बाहर फाटक के पास बैठे थे। आठ बजे के करीब पूरी बिल्डिंग की बत्तियां यकायक बन्द हो गई और चपरासी तथा चौकीदार का कहना है कि उन्होंने उसी समय श्री अग्रवाल के शब्द "हाय मार डाला" और कुर्सियों के खींचे जाने की आवाजें सुनीं। वे कमरे की तरफ दौड़े तो कुछ लोगों को भागते देखा। कमरे में जाने पर उन्होंने श्री अग्रवाल को बेहोश पड़े पाया। उनके शोर मचाने पर बिल्डिंग में उधर रहने वाले कुछ छात्र आये और मेन स्विच, जो बन्द कर दिया गया था, आन करने पर पाया गया कि श्री अग्रवाल खून से लथपथ पड़े थे और उनकी गर्दन पर गहरी चोट थी।

इस संबंध में थाना हुसैनगंज पर धारा ३०२ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी जांच उच्च अधिकारियों और क्राइम के पर्यवेक्षण में हो रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

यों तो मुख्य मंत्री जी कह देंगे कि यह घटना साधारण है। उनका यह कह देना बहुत आपत्तिजनक है कि यह घटना साधारण है। यह साधारण क्यों है। सरकार के एक उच्चाधिकारी, जो डिप्टी डाइरेक्टर की हैसियत के थे, की सरकारी कार्यालय में हत्या कर दी गयी। यह घटना वहां संभव हो गई और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि यह साधारण घटना थी। वे इसको असाधारण नहीं मानते हैं। वह दिन दूर नहीं जब यहां पर आपके सचिवालय में लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दाखिल होंगे और मंत्री और सचिव, जो यहां दफ्तर में बैठते हैं, उन पर घातक प्रहार होंगे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि वह दिन भी आ सकता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि बर्मा में पूरी कैबिनेट उड़ा दी गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भी बम फेक दिया गया। लार्ड हार्डिग पर भगतसिंह ने सेन्ट्रल एसेम्बली में बम फेंक दिया। तो कोई चीज असम्भव नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप लोग जान और जायदाद को इतना साधारण मानते हैं वह चीज हमें हैरान करती है और वह चीज ऐतराज के लायक है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने बयान दिया और मैं समझता हूं कि विरोध पक्ष के लोगों ने उसको पसन्द भी किया।

श्री रामकुमार शास्त्री—

एप्रीसियेट तो जरूर किया लेकिन जिस लहजे में कहा वह जंचा नहीं। उन्होंने कहा कि लोकल घटना है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वह आटोमैटीकली सब कुछ करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास कौन लोकल अथारटीज है। हमारे लिए तो मुख्य मंत्री जी ही निकटतम हैं। अगर हम कोई अरदास करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। मेरे मन पर तो यह प्रभाव पड़ा कि आप रिडीक्यूल करते हैं। मामूली, गैर-मामूली—ये अलफाज बहुत जगह बहुत मौजूं नहीं हुआ करते हैं। मैं बाअदब गुजारिश करना चाहता हूं कि हम और आप पुराने दोस्त है। एक दूसरे को समझना चाहिये कि क्या हम कहते हैं, वह उचित है या नहीं। आपने हमारी सब प्रार्थना को पूरा कर दिया लेकिन जिस लहजे में आपने कहा वह जरा जंचा नहीं।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने ये बातें कहने की इजाजत दे दी इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब केवल यह था कि एडजर्नमेन्ट मोशन अगर ऐसी हत्याओं पर आए तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। यह नहीं कि हत्याएं होनी चाहिएं या गवर्नमेन्ट की तरफ से इन्तजाम नहीं होगा। माननीय मित्र ने कहा कि एक दिन आएगा कि सारी केबीनेट कत्ल हो जाएगी। प्रेसीडेन्ट आफ अमेरिका का कत्ल कर दिया गया जहां सबसे ज्यादा एफीशियेंट पुलिस है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका की पुलिस इनएफीशियेन्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी है? कोई आदमी बड़े से बड़ा किसी भी मिनट कत्ल हो सकता है। उसके बाद पुलिस इंवेस्टीगेशन करती रहेगी। लेकिन यह कभी मुमकिन है ही नहीं, क्या डिप्टी डायरेक्टर, क्या मामूली स्वीपर, क्या चीफ मिनिस्टर, और क्या प्राइम मिनिस्टर, कि उनकी ऐसी रक्षा की जा सके कि हत्या ही न हो सके। यह कि यहां भी कत्ल हो जाएगा इस बात से फालो नहीं करता कि क्योंकि वह कत्ल हो गया। वह कत्ल न होता तब भी हम लोग यहां पर कत्ल हो सकते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि एडजर्नमेन्ट मोशन के लायक यह मजमून नहीं था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम लोग सब मामूली आदमी है और जो केबिनेट के हमारे सदस्यगण है, जिस तरह आज उनकी सीक्योरिटी का इन्तजाम होता है, जब यह सफर करते हैं या यहां पर रहते हैं, अगर आप तशरीफ लाएं मेन गेट से तो आपको लगेगा कि आजकल हमारा सचिवालय बिल्कुल एक पुलिस लाइन में तब्दील हो गया है। इस तरह से सादी वर्दी में पुलिस यहां पर तैनात रहती है। इन मंत्रियों के मकान पर पुलिस तैनात रहती है। जब ये मंत्री सफर करते हैं तब भी चप्पे-चप्पे पर पुलिस रहती है। इस तरह से इनकी हिफाजत हो सकती है लेकिन इधर बैठने वाले सदस्यों के लिये कोई गारन्टी नहीं है।

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

आपको यह गारन्टी है कि आप सिक्योर हैं। आपके कमरों में वारदात नहीं हो सकती है लेकिन हमारे लिये यह गारन्टी नहीं है। आपकी वृष्टि में यह साधारण घटना है। अगर इस तरह से होता रहेगा तो यह क्या गारन्टी है कि दारुलशफा में ऐसा नहीं होगा। तमाम पुलिस के रहते हुये यहां पर लीफलेट फेंक देते हैं। उस आदमी के दफ्तर में चले गये। आपके दफ्तर में भी जा सकते हैं।

श्री चरण सिंह—

तो आपके खयाल में वहां पर पुलिस की पोस्टिंग पहले से होनी चाहिये थी? क्या पुलिस को पहले से मालूम था कि ऐसी घटना होने वाली है? यहां पर पुलिस की इनएफिशियेन्सी किस तरह से थी? आखिर यहां पर आप किस चीज पर डिस्कशन करा रहे हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अगर कोई आदमी मारा जाय तो आगे ऐसा न हो उसका तो इन्तजाम होना चाहिये। मान्यवर, ये किस तरह से सोचते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि आपके अलावा और आपके दल के अलावा किसी और को यहां पर जिन्दा रहने का हक नहीं है। जब आप बोलने का इस तरह से ढंग अखतियार करते हैं तो हमको बोलना पड़ता है।

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)—

इस वक्त यह किस चीज पर बहस हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष—

दफा ५६ में जो अस्वीकर किया था उसके विषय में मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया। उसी पर यह सफाई हो रही है।

श्री चरण सिंह—

आखिर किसी मजमून को लिमिट तो करना चाहिये।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी नाराज होकर उत्तर देते हैं तो हमको घबराहट होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इस प्रकार का है कि उस पर सफाई होना अच्छा था। इस सवाल के बारे में जो यहां पर कहा गया उस पर हर एक सदस्य की दो दृष्टि हो सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया गया जिसमें केदारनाथ की हत्या का प्रश्न था। बस्ती में हत्यायें हुई। हर जगह तो पुलिस तैनात नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो मामला था उसका जवाब जितना मालूम था मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दे दिया।

(इसके बाद सदन ६ बजे सोमवार २९ जून, १९७० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२६ जून, १९७०।

नत्थी "क"

(देखिये ता० प्र० ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

विधान सभा प्रश्न सं० ७१ का संलग्नक

	मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	स्कूलों की संख्या जिनको मान्यता प्रदान की गई स्थाई/अस्थाई	स्कूलों के नाम जिन्हें मान्यता नहीं दी गई	मान्यता न देने के कारण
	१	२	३	४
प्राईमरी स्कूल ..	८	.. ४ (३०-६-७० तक)	१—श्री बराह प्राइमरी पाठशाला, सोंरो २—श्री गौतम प्राइमरी पाठशाला, कासगंज ३—श्री लाल बहादुर शास्त्री, बालमन्दिर, कासगंज। ४—बाल विद्या मंदिर बेसिक प्राइमरी स्कूल, अबागढ़।	इनके संबंध में उप-विद्यालय निरीक्षक, एटा की पूर्ण जांच-आख्या प्राप्त नहीं हुई। मान्यता संबंधी प्रतिबन्ध पूरे नहीं हुये थे।
जूनियर हाई स्कूल—(स्थायी मान्यता प्राप्त)	१८	११-७	१—जूनियर हाई स्कूल, सियपुर। २—जूनियर हाई स्कूल, बरौली। ३—श्री नेहरू जूनियर हाई स्कूल, करमपुर। ४—शिवा जूनियर हाई स्कूल कातोर। ५—जनता जूनियर हाई स्कूल, छछेना। ६—गांधी जूनियर हाई स्कूल, सहावर। ७—सरस्वती जूनियर हाई स्कूल, सहावर।	स्थायी मान्यता की शर्तें पूरी न होने के कारण स्थाई मान्यता प्रदान नहीं की गयी—इनकी अस्थाई मान्यता ३०-६-७० तक बढ़ा दी गई।

	मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	स्कूलों की संख्या जिनको मान्यता प्रदान की गई स्थाई/अस्थाई	स्कूलों के नाम जिन्हें मान्यता नहीं दी गई	मान्यता न देने के कारण
	१	२	३	४
(अस्थायी मान्यता हेतु)	१४	४	१—रमेश जूनियर हाई स्कूल, चमकरी । २—जनता जूनियर हाई स्कूल, खुरसलिया । ३—सती गया देवी भारतीय विद्यालय, अमरौली । ४—रामबेटी जूनियर हाई स्कूल, इमिलिया । ५—सम्राट चन्द्रगुप्त जूनियर हाई स्कूल, सोंरों । ६—श्रीकृष्ण विद्या मंन्दिर, जूनियर हाई स्कूल, सोहार । ७—श्री सरस्वती विद्या मंन्दिर, जूनियर हाई स्कूल, गैवर, असदुल्लापुर, समौर । ८—राणा प्रताप जूनियर हाई स्कूल, राजा रजौंला ९—राजेश्वरी विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, सराय अगहत । १०—डा० जाकिर हुसैन, इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल, निधौली कलां ।	मान्यता इस लिये नहीं दी गई क्योंकि उक्त संस्थाओं ने मान्यता संबंधी शर्तें पूरी नहीं कीं । मान्यता हेतु आवेदन-पत्र विलम्ब में इसी मास १८–६–७० को प्राप्त हुआ है ।

नत्थी "ख"

(देखिये ता० प्र० ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६४ पर)

गोंडा जिले के झील / तालाबों के नाम जिनमें मछलियां पाली जाती हैं

जलाशय का नाम	ब्लाक का नाम
(क) झील—	
(१) पारवती	नबाबगंज
(२) अरगा	नबाबगंज
(३) कोहरगड्डी	पचपेड़वा
(४) गनेशपुर	तुलसीपुर
(५) बघेलखंड	तुलसीपुर
(ख) तालाब—	
(१) बरहवाकोट	उतरौला
(२) केरावगढ़	उतरौला
(३) चितरपारा कान्हा	उतरौला
(४) चितरपारा ननसुआ	उतरौला
(५) तिलहर	उतरौला
(६) मैरमपुर	उतरौला
(७) मधुपुर	उतरौला
(८) बरैल	उतरौला
(९) गिध्रया	बलरामपुर
(१०) बघनवा	बलरामपुर
(११) ककरा	बलरामपुर

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

नत्थी "ग"

(देखिये ता० प्र० ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

तालिका

वर्ष		आय	व्यय	बचत
		रु०	रु०	रु०
१९६५–६६	..	१,३७,५०,३२५	१,११,३२,६५२	२६,१७,६७३
१९६६–६७	..	१,५६,२९,७०५	१,१४,८४,०२०	४१,४५,६८५
१९६७–६८	...	१,६६,३६,६६५	१,५४,७३,२९६	११,६३,३६९
१९६८–६९	..	१,९७,४७,४४२	१,६०,६२,५७४	३६,८४,८६८
१९६९–७०	..	२,२४,८४,००० (अनुमानित)	१,७३,८२,७६५	५१,०१,२३५ (अनुमानित)

नत्थी "घ"

(देखिये अता० प्र० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

सन् १९६९ की एक जनवरी से लेकर ३१ मार्च, १९७० तक फर्रुखाबाद जिल में हरिजनों को मकान और कुआं बनाने के लिये प्रत्येक विकास क्षेत्र में निम्नांकित धन दिया गया

क्रम-सं०	विकास क्षेत्र का नाम	हरिजनों को मकान बनाने के लिये दी गयी धनराशि	हरिजनों को पेय जल कूप निर्माण के लिये दी गयी धनराशि
१	२	३	४
		रु०	रु०
१	कमालगंज	१,०००.००	३,८६५.००
२	शमशाबाद	१,०००.००	४,६६६.००
३	कायमगंज	..	२,०००.००
४	मोहम्मदाबाद	..	२,६००.००
५	छिबरामऊ	१,०००.००	३,०००.००
६	हसेरन	..	१,८५०.००
७	तालग्राम	..	४,८८६.००
८	कन्नौज	६००.००	२,०००.००
९	उमंदा	..	३,०००.००
१०	राजेपुर	..	५००.००
	..	३,६००.००	२८,०००.००

नत्थी "ङ"

(देखिये अता० प्र० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

अनुसूची (क)

तहसील हंडिया एवं सोरांव के अन्तर्गत कूप निर्माण-कार्य

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	भुगतान की गई धनराशि
		रु०
१	श्री राम औतार, पुत्र दबरी पासी, ग्राम--अजनी, पोस्ट, सैदाबाद, इलाहाबाद ।	१,०००.००
२	श्री सहदेव, पुत्र विश्वनाथ पासी, बासुपुर, हंडिया, इलाहाबाद । ..	१,०००.००
३	रामलाल, पुत्र फली पासी, अतरसुइया, प्रतापपुर, इलाहाबाद । ..	१,०००.००
४	विन्देश्वरी, पुत्र गनेश पासी, ग्राम आसेपुर पो० सैदाबाद, इलाहाबाद ।	१,०००.००
५	श्री अमर, पुत्र भगौती चमार, ग्राम कटुआ, पो० सराय ममरेज, इलाहाबाद ।	१,०००.००
६	श्री बसन्ते, पुत्र महादेव पासी, ग्राम थरवई, इलाहाबाद । ..	१,०००.००
७	झुन्नू, पुत्र माता गुलाम चमार, ग्राम बीरेखाद, पोस्ट सराय ममरेज, इलाहाबाद ।	१,०००.००
८	श्री मुन्नीलाल, पुत्र रूरी पासी, ग्राम महराजपुर, पो० पिपरी, इलाहाबाद ।	१,०००.००
९	श्री सीताराम, पुत्र गजाधर चमार, ग्रा० नयकीपुर, पो० कटहरा इलाहाबाद ।	१,०००.००
१०	श्री रामलखन, पुत्र रघुबीर पासी, ग्रा० झिरिहरी पो० इंडिया इलाहाबाद ।	१,०००.००
११	श्री पारशनाथ, पुत्र बुधई चमार, ग्राम भुगराज, पो० इंडिया, इलाहाबाद ।	१,०००.००
१२	श्री देवसरन, पुत्र छुट्ठू पासी, ग्राम वालीपुर, पोस्ट बरौत, इलाहाबाद ।	१,०००.००
१३	श्री रामस्वरूप, पुत्र रामचरन चमार, ग्राम कशोरा, हंडिया । ..	१,०००.००
१४	श्री शिवदयाल, पुत्र गंगादीन चमार, ग्राम यासीनपुर, पो० उतराव, इलाहाबाद ।	१,०००.००
१५	श्री राम नाथ, पुत्र गोपी पासी, ग्राम करवाडीह, पो० प्रतापपुर इलाहाबाद ।	१,०००.००
१६	श्री हीरालाल, पुत्र पंचम चमार, ग्राम शंकरपुर, पो० हंडिया । ..	१,०००.००
१७	श्री ओखराम, पुत्र राम औतार चमार, ग्राम सराय बक्स, पोस्ट भोक्तपुर, इलाहाबाद । ..	१,०००.००
१८	श्री रामलखन, पुत्र जगेशर चमार, ग्राम महजनी, पोस्ट गिर्वकोट, इलाहाबाद ।	१,०००.००

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	भुगतान की गई धनराशि
		रु०
१९	श्री बोडई, पुत्र दर्शन चमार, ग्राम मरदापुर, पोस्ट सैदाबाद, इलाहाबाद।	१,०००.००
२०	श्री रामगदीप, पुत्र देवी दयाल चमार, ग्राम सरठपुर, पो० कटहरा, इलाहाबाद।	१,०००.००
२१	श्री बैजू, पुत्र लहरी चमार, ग्राम दसीती, पो० सैदाबाद, इलाहाबाद। ..	१,०००.००
२२	श्री राम औतार, पुत्र लोहर पासी, ग्राम सैदहा, पोस्ट सराय ममरेज, इलाहाबाद।	१,०००.००
२३	श्री धनई, पुत्र शिवनारायण पासी, ग्राम भदवा, पो० सैदाबाद, इलाहाबाद।	१,०००.००
२४	श्री रामनाथ, पुत्र ठाकुरदीन चमार, ग्राम जगुआ सोंधा, पो० हंडिया, इलाहाबाद।	१,०००.००
२५	श्री मोहनलाल, पुत्र बचई चमार, ग्राम व पो० घोकरी, इलाहाबाद।	५००.००
२६	लाला राम, पुत्र बुधई राम चमार, ग्राम गनेशीपुर, पो० खपटिहा।	१,०००.००
२७	श्री विदेशी, पुत्र राम अधीन चमार, ग्राम पोडन, पो० उतराव, इलाहाबाद।	५००.००
२८	श्री पीरू, पुत्र जुम्मन वाल्मीकि, ग्रा० थरवई, पो० जगदीशपुर, इलाहाबाद।	१,०००.००
२९	श्री रामगरीब, पुत्र गहरू चमार, ग्राम गजऊ का पुरा, पो० बदलापुर, इलाहाबाद।	१,०००.००
३०	श्री हुबई, पुत्र सरन पासी, ग्राम बरा काठे, पो० हंडिया, इलाहाबाद।	८००.००
३१	श्री श्यामलाल, पुत्र अलोपी चमार, ग्राम फतूहा, पो० सैदाबाद, इलाहाबाद।	८००.००
३२	श्री वैद्यनाथ प्रसाद, पुत्र महावीर पासी, ग्राम गोचा, पो० वरात, इलाहाबाद।	६००.००
३३	श्री माता चरण, पुत्र भागीरथी चमार, ग्राम डवेका कलां, पो० हंडिया, इलाहाबाद।	६००.००
३४	वैथनाथ, पुत्र ब्रम चमार, ग्राम व पो० बीरा कलां, इलाहाबाद। ..	८००.००
३५	श्री गोविन्द राम, पुत्र रग्घू चमार, ग्राम मिसकी, पो० सैदाबाद, इलाहाबाद।	८००.००
३६	श्री कल्लू, पुत्र रामसहाय पासी, ग्राम विज्ञविनिया, पो० सैदाबाद, इलाहाबाद।	८००.००
३७	श्री रामदुलारे, पुत्र दुखी चमार, ग्राम व पो० महठौरा, सोरांव, इलाहाबाद।	५००.००

अनुसूची (ख)

अनुसूचित जाति भवन निर्माण, तहसील हंडिया—इलाहाबाद

क्र० सं०	प्रार्थी का नाम व पता जिनको अनदान दिया गया	भुगतान की गई धनराशि
१	श्री धनवासी, पुत्र राम औतार चमार, ग्राम मलाढी, पोस्ट कटहरा, इलाहाबाद।	रु० १,०००.००
२	श्री जगन, पुत्र शीतल चमार, ग्राम पिपरी, सराय, पो० सरांय, ममरेज, इलाहाबाद।	१,०००.००
तहसील सोरांव—इलाहाबाद शून्य।		

अनुसूची (ग)

अनुसूचित जाति पशुपालन (कुटीर उद्योग) तहसील हंडिया एवं सोरांव

१	श्री रामखेलावन, पुत्र राम भरोसे चमार, ग्राम परनपुर, पोस्ट होलागढ़, इलाहाबाद।	रु० ५००.००
२	श्रीमती भरगासी देवी, पत्नी स्व० बन्धू चमार, ग्राम हंडिया खास, पोस्ट हंडिया, इलाहाबाद।	५००.००
३	श्रीमती धनिया देवी, पत्नी स्व० जगदेव चमार, ग्राम सुदर्शनपुर, पोस्ट साहीपुर, हंडिया, इलाहाबाद।	५००.००
४	श्री गिरधारी, पुत्र माता गुलात चमार, ग्राम याहीनपुर, पोस्ट उतराव, इलाहाबाद।	५००.००

अनुसूची (घ)

इलाहाबाद जनपद में विभागीय सहायता प्राप्त वाचनालय, पुस्तकालय तथा छात्रावास

पुस्तकालय एवं वाचनालय

१—अम्बेदकर पुस्तकालय, सदर बाजार, इलाहाबाद।
२—हरिजन पुस्तकालय, नीवा, चायल, इलाहाबाद।
३—पुस्तकालय, कनैलगंज, इलाहाबाद।
४—गांधी मेमोरियल पुस्तकालय, दुर्जनपुर, इलाहाबाद।
५—महात्मा गांधी पुस्तकालय, शंकरगढ़, इलाहाबाद।
६—रविदास नवयुवक पुस्तकालय, दारागंज, इलाहाबाद।
७—सुदर्शन मेहतर पुस्तकालय, ५८० कुम्हराना, दरियाबाद, इलाहाबाद।
८—रविदास नवयुवक पुस्तकालय, २१६ कीटगंज, इलाहाबाद।
९—महात्मा गांधी पुस्तकालय, ताडबाग, सुलेमसरांय, इलाहाबाद।
१०—महार्षि बाल्मीकि पुस्तकालय, नं० १६ हेस्टिंग रोड, इलाहाबाद।
११—पुस्तकालय एवं वाचनालय, नयापुरा, इलाहाबाद।
१२—आदि हिन्दू पुस्तकालय, चक निरातुल, इलाहाबाद।
१३—पुस्तकालय, सोहबतियाबाग, इलाहाबाद।
१४—आदि हिन्दू पुस्तकालय, राजापुर, इलाहाबाद।
१५—आदि हिन्दू पुस्तकालय, बेली रोड, इलाहाबाद।
१६—आदि हिन्दू पुस्तकालय, लूकरगंज, इलाहाबाद।

छात्रावास

१—आदि हिन्दू छात्रावास, राजापुर, इलाहाबाद।
२—छात्रावास २ बी हाशिमपुर रोड, इलाहाबाद।
३—श्री गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक छात्रावास, ४०-बी० बलुआघाट, इलाहाबाद।
४—ईश्वर शरण यूनिवर्सिटी छात्रावास, इलाहाबाद।
५—राय साहब चौधरी श्याम लाल स्मारक छात्रावास, कनैलगंज, इलाहाबाद।
६—अतरसुइया हरिजन छात्रावास, इलाहाबाद।

नत्थी "च"

(देखिये पीछे पृष्ठ ३०४ पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उ० प्र० अधिनियम संख्या १६, १९६०

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, उपधारा (३) निकाल दी जाय।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(क) खण्ड (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(५) मुतवल्ली" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो या तो अलिखित रूप से, अथवा किसी ऐसे विलेख या करण के अन्तर्गत जिससे कोई वक्फ सृजित किया गया हो, या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा, किसी वक्फ का मुतवल्ली नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई नायब मुतवल्ली, खादिम, मुजावर सज्जाद नशीन, अमीन या मुतवल्ली के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए किसी मुतवल्ली द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी है और, इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के सिवाय, कोई ऐसा व्यक्ति या समिति भी है जो तत्समय इस रूप में किसी वक्फ संपत्ति का प्रबन्ध या प्रशासन कर रही हो;" और

(ख) खण्ड (११) में शब्द "वक्फ अलल औलाद" और शब्द "तथा उपयोगवश वक्फ" के बीच में कोष्टक और शब्द "(उस सीमा तक जहां तक सम्पत्ति किसी ऐसे प्रयोजन के लिए समर्पित की जाय जो मुस्लिम विधि के अनुसार धार्मिक, धर्मशील या पूर्त के रूप में स्वीकृत हो)" रख दिये जायं।

धारा ६ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) में खण्ड (च) निकाल दिया जाय।

धारा ११ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ११, में उपधारा (१) में खण्ड (५) में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायं।

धारा १२ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (१) में, खण्ड ४ में शब्द "दस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायं।

धारा १९ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (२) में,

(क) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(च च)—(१) वक्फ के उद्देश्यों के अनुकूल किसी वक्फ की अतिरिक्त आय का उपयोग किये जाने का निदेश देना;

(२) यह निदेश देना कि ऐसे वक्फ, जिसके उद्देश्य किसी कारण से स्पष्ट न हों, की आय का किस रीति से उपयोग किया जायगा;

(३) किसी ऐसे मामले में जहां किसी वक्फ का कोई उद्देश्य समाप्त हो जाय अथवा उस उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव न रह जाय, यह निदेश देना कि वक्फ की उतनी आय जो पहले उस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जा रही थी किसी अन्य उद्देश्य के लिए जो निर्दिष्ट किया जाय और जो मूल उद्देश्य के सदृश्य या यथासम्भव उसके सदृश्य हो, प्रयोग में लायी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिये बिना इस खण्ड के अधीन कोई निदेश न दिया जायगा; "

(ख) खण्ड (ञ) में, शब्द "बैंक" के बाद शब्द "या किसी डाकघर" रख दिये जायें, तथा शब्द "और उसका उपयोग वक्फ के उद्देश्यों के लिए करना" निकाल दिये जायें।

धारा २६ का संशोधन

८—(१) मूल अधिनियम की धारा २६ को उक्त धारा की उपधारा (१) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में शब्द "बोर्ड के सचिव" के पश्चात् शब्द "या बोर्ड के ऐसे अधिकारी, जिसे सचिव सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करें," बढ़ा दिये जायें, और अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—,

"और कार्यवाही या अभिलेख के प्रथम दृष्ट या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार के लिए ऐसे प्रत्येक वाद में तथा उस सीमा तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी जिसमें और जहां तक मूल कार्यवाही या अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता, ऐसे विषय या व्यवहार को प्रमाणित करने के लिए ग्राह्य होता "

(२) उक्त उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें बोर्ड एक पक्ष न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या लेख्य जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की, अथवा उसमें अभिलिखित विषय या व्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायगी जब तक कि न्यायालय उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसी आज्ञा देना आवश्यक न समझे।"

धारा २७ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (२) में, शब्द "नियत किये जायें" के स्थान पर शब्द "समय-समय पर अवधारित किये जायें" रख दिये जायें।

धारा ४८ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा ४८ में, खण्ड (ख) में, शब्द "तीन वर्ष से अनधिक किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाय" रख दिये जायें।

नई धारा ४९-क और ४९-ख का बढ़ाया जाना

११—मूल अधिनियम की धारा ४९ के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:—

वक्फों की स्थावर संपत्ति का अन्तरण

"४९-क—ऐसे विलेख या करण में, यदि कोई हो, जिसके द्वारा वक्फ सृजित किया गया हो, दी गई किसी बात के होते हुए भी, वक्फ की किसी स्थावर सम्पत्ति का—

(१) विक्रय, दान, बन्धक या विनिमय, या

(२) कृषि भूमि की दशा में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए, या अकृष्य भूमि या भवन की दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये, पट्टे के रूप में;

अन्तरण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना वैध न होगा।

धारा ४९-क का उल्लंघन करके अंतरित वक्फ सम्पत्ति की पुनर्प्राप्ति

४९-ख—(१) यदि बोर्ड का ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, जांच करने के पश्चात यह समाधान हो जाय कि धारा ३० के अधीन रखे गये वक्फ रजिस्टर में वक्फ सम्पत्ति के रूप में दर्ज कोई स्थावर सम्पत्ति धारा ४९-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके बोर्ड की पूर्व स्वीकृत के बिना अंतरित कर दी गई है, तो वह उस कलेक्टर को जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर सम्पत्ति स्थित हो, सम्पत्ति का कब्जा लेने और उसे दिये जाने का अधियाचन कर सकता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन अभियाचन प्राप्त होने पर, कलेक्टर ऐसी आज्ञा देगा जिसमें सम्पत्ति पर काबिज व्यक्ति को आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर सम्पत्ति बोर्ड को दे देने का निदेश होगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा—

(क) उस व्यक्ति को, जिसके लिए वह अभिप्रेत हो, देकर, या प्रस्तुत करके, या उसे डाक द्वारा भेज कर; या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति न मिले, तो उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान अथवा कारोबार के स्थान के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर, या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष-सदस्य अथवा सेवक को देकर, या प्रस्तुत करके, अथवा उसे सम्पत्ति के, जिसके सम्बन्ध में वह हो, किसी प्रमुख भाग पर चिपकवा कर—

तामील की जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि वह व्यक्ति जिस पर आज्ञा तामील की जानी हो, अवयस्क हो, तो उसके अभिभावक पर या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष-सदस्य या सेवक पर की गई तामील उस अवयस्क पर तामील समझी जायगी।

(४) उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा की तामील के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर उस जिला न्यायाधीश के न्यायालय में, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्पत्ति स्थित हो, अपील कर सकता है।

(५) जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील का निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है और किसी ऐसी अपील को वापस लेकर या तो उसका निस्तारण कर सकता है अथवा उसे अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अपर जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के किसी अन्य न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है, और प्रत्येक दशा में न्यायालय का निर्णय अन्तिम होगा।

(६) यदि उपधारा (२) के अधीन दी गई आज्ञा का पालन न किया गया हो और ऐसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत किये बिना अपील प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गई हो, अथवा नियत समय के भीतर प्रस्तुत अपील, यदि कोई हो, खारिज कर दी गई हो, तो कलेक्टर उस सम्पत्ति का, जिसके सम्बन्ध में आज्ञा दी गई हो, कब्जा लेगा जिसके लिए वह ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो, और फिर कब्जा बोर्ड को दे देगा।

(७) इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में कलेक्टर ऐसे नियमों द्वारा निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये जायें।"

धारा ५५ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (१) में, खण्ड (१) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(१—क) उसने, उचित कारण के बिना, लगातार दो वर्ष तक, धारा ३४ के अधीन देय अंशदान न दिया हो; या"

धारा ५८ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ५८ में, शब्द "अध्याय" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

धारा ६३ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा ६३ में, उपधारा (५) में, "तो बोर्ड या इस प्रकार नियुक्त मुतवल्ली" से आरम्भ होकर "जिनके कब्जे में वह सम्पत्ति, स्वत्व-विलेख या अन्य लेख्य हों" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"तो बोर्ड आज्ञा द्वारा मुतवल्ली को वक्फ सम्पत्ति और उससे सम्बद्ध स्वत्व-विलेख या लेख्यों का कब्जा बोर्ड या तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी अथवा वक्फ सम्पत्ति के मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति या समिति को देने का निदेश दे सकता है, और बोर्ड की आज्ञा किसी दीवानी न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और दीवानी न्यायालय द्वारा निष्पादित की जायगी मानो उसी ने डिक्री दी हो।"

धारा ८५ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ८५ में, उपधारा (२) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पूर्व निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"किसी ऐसे वक्फ पर अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो निम्नलिखित अधिनियमितियां भी एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं:—

(१) बंगाल चेरिटेबिल इंडाउमेन्ट्स पब्लिक बिलडिंग्स ऐण्ड एस्चीट्स रेगुलेशन, १८१०,	१८१० का १९
(२) रिलिजस इंडाउमेन्ट्स ऐक्ट, १८६३,	१८६३ का २०
(३) चैरिटेबल इंडाउमेन्ट्स ऐक्ट, १८९०,	१८९० का ६
(४) चैरिटेबल ऐण्ड रिलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, १९२०"	१९२० का १४

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० के अधीन राज्य वक्फ बोर्डों के कृत्यों में कुछ कठिनाइयों को दूर करने तथा वक्फ सम्पत्तियों के बेहतर प्रशासन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, उक्त अधिनियम में इस विधेयक द्वारा कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव है। मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित है :—

(१) वक्फ अधिनियम की धारा २(३) के अनुसार अधिनियम ऐसे वक्फों पर लागू नहीं होता है जिनमें वक्फों की आय का ७५ प्रतिशत से अधिक वाकिफों या उनके वंशजों के लिये आरक्षित हो। वाकिफों के वंशजों का लोप होने से अन्य वक्फों के समान वक्फ अलल-औलाद की आय किसी धार्मिक, धर्मशील या पूर्त प्रयोजनों के लिए उपलभ्य हो जाती है। जब तक कि वक्फ बोर्ड में ऐसे वक्फों की रजिस्ट्री न हो, उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता है। यह प्रस्ताव है कि यह अधिनियम ऐसे सभी वक्फ अलल-औलाद पर उस सीमा तक लागू किया जाय जहां तक उनकी सम्पत्ति धार्मिक, धर्मशील या पूर्त प्रयोजनों के लिये अर्पित हो।

(२) शब्द "मुत्तवल्ली" की परिभाषा का भी इस प्रकार अर्थ-विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि उसके अन्तर्गत ऐसी समितियां भी आ जायं जो मुतवल्ली के रूप में कार्य करती हैं।

(३) धारा १९ इसलिये संशोधित की जा रही है जिससे कि राज्य बोर्ड वक्फ की अतिरिक्त आय का उपयोग करने के लिये निदेश दे सकें और जब वक्फ का उद्देश्य समाप्त हो जाय अथवा वह उसकी प्राप्ति न कर सके तो इस सम्बन्ध में समुपयुक्त आज्ञा जारी कर सके।

(४) धारा ४८ के अधीन यदि मुतवल्ली का पद रिक्त हो जाय और बोर्ड को मुतवल्ली नियुक्त करने के लिये कोई सक्षम व्यक्ति न मिले तो उस दशा में बोर्ड उक्त वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबन्ध तीन वर्ष की अवधि के लिये अपने हाथ में ले सकता है। उक्त अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे कि बोर्ड को वक्फ सम्पत्ति के प्रशासन में सुधार करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके।

(५) इस आशय की एक नई धारा ४९—क बढ़ाई जा रही है कि किसी वक्फ सम्पत्ति की बिक्री करने, बन्धक रखने, अन्तरण या विनिमय करने, अथवा कृषि भूमि की दशा में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये और अकृष्य भूमि अथवा भवन की दशा में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए उसे पट्टे पर देने के सम्बन्ध में बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे मुतवल्ली वक्फ की सम्पत्तियों का स्वच्छंदता से निस्तारण न कर सके।

(६) इसी प्रकार धारा ४९—ख बढ़ाने का आशय यह है कि यदि कोई मुतवल्ली बोर्ड की स्वीकृति के बिना किसी रजिस्ट्रीकृत वक्फ की सम्पत्ति का अन्तरण करे तो बोर्ड कलेक्टर को अन्तरित सम्पत्ति पर कब्जा लेने के लिए अधियाचन कर सके। कलेक्टर उक्त सम्पत्ति पर काबिज व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे ऐसी सम्पत्ति को तीस दिन के भीतर देने के लिए कहा जायगा, और यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध हो तो वह जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है।

(७) धारा ६३ इसलिए संशोधित की जा रही है कि यदि बोर्ड किसी वक्फ की सम्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रबन्ध ले ले अथवा अन्य मुत्तवल्ली या समिति नियुक्त करे तो वह ऐसी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले सके और बोर्ड की आज्ञा दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान कार्यान्वित की जाय। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बोर्ड को पंच निर्णय प्राप्त करने के

लिये अधिकरण के पास जाना पड़ता है। यदि बोर्ड, इस बात का निर्णय करने के लिये सक्षम था कि सम्पत्ति का मुतवल्ली किसे होना चाहिए अथवा सम्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रबन्ध किसे देना चाहिए तो उसके निर्णय के निष्पादन के लिए अधिकरण द्वारा पंच-निर्णय की व्यवस्था अनावश्यक थी।

उपर्युक्त तथा अन्य छोटे मोटे संशोधन अधिकांशतः इस विषय पर केन्द्रीय विधायन के तदनुरूप उपबन्धों के समान हैं।

तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

अनवार अहमद,
मंत्री वक्फ ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२१ एल० ए०—१६७१—८४५ ।